



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032022-234526  
CG-DL-E-26032022-234526

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1318]  
No. 1318]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 25, 2022/चैत्र 4, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 25, 2022/CHAITRA 4, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022

का. आ. 1360(अ).—भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का 30), की धारा 36 (1) (2) और (3) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शासी बोर्ड के अनुमोदन से सीनेट भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के निम्नलिखित अध्यादेश बनाती है।

अध्यादेश और विनियम

बी. टेक कार्यक्रम

अध्यादेश

O.1 केंद्रीय सीट आवंटन बोर्ड (आगेसे सीएसएबी)/संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (इसके बाद जो.सा) द्वारा आईआईआईटीडी व एमकर्नूल (आगे से, संस्थान) में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता 10+2 (कक्षाXII) अंतिम परीक्षा या उसके समकक्ष में उत्तीर्ण होना

i) किसी भी मान्य केंद्रीय/राज्य सेकेंडरी परीक्षा बोर्ड के, जैसे सेंट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी शिक्षा, नई दिल्ली और काउण्डिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाएँ, नई दिल्ली की +2 स्तर की परीक्षाएँ 10+2 पैटर्न में।

ii) मान्य बोर्ड/ विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित इंटरमीडियट या दो वर्ष विश्व विद्यालय पूर्व परीक्षाएँ।

- iii) राष्ट्रीय डिफेन्स अकादमी के जाइंट सेवा विंग के दो वर्षीय अंतिम परीक्षाएँ।
  - iv) भारत या विदेश में कोई पब्लिक स्कूल/बोर्ड/विश्व विद्यालय परीक्षाएँ जो भारतीय विश्व विद्यालय संघ द्वारा 10+2 प्रणाली के समकक्ष माना गया हो।
  - v) हेच.एस.सी. व्यावसायिक परीक्षाएँ।
  - vi) नेशनल ओपन स्कूल द्वारा आयोजित सीनियर सेकेण्डरी स्कूल ग्रेड में पास बशर्ते न्यूनतम पांच विषय लिया हो।
  - vii) स्टेट बोर्ड आफ तकनीकी शिक्षण या एआईसीटीई द्वारा मान्य 3 या 4-वर्षीय डिप्लोमा।
- O.2** सीएसएबी काउंसलिंग के दौरान लिये गये निर्णय के अनुसार विशिष्ट शाखा के अध्ययन में प्रवेश
- O.3** बी.टेक पाठ्यक्रम की अवधिसामान्यतः 8 सेमेस्टर का होगा।
- O.4** विद्यार्थी बी टेक पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर के अंत में सीनेट द्वारा बनाए गए विनियम के अधीन बी टेक (ऑनर्स) के लिए पंजीकरण कर सकता है।
- O.5** बी.टेक डिग्री की उपाधिसंस्थान के सीनेट के विनियम के अनुरूप प्रदान किया जाएगा।

### विनियम

#### आर.1.0 प्रवेश

- आर.1.1** संस्थान में बी.टेक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विधा के लिए सीटों की संख्या का निर्णय सीनेट द्वारा निर्णय किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, और विकलांग व्यक्तियों को समय समय पर भारत सरकार द्वारा नियमानुसार आरक्षित किया गया है।
- आर.1.2** किसी भी वर्ष बी.टेकपाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए उस वर्ष के जाइंट एंट्रेंस परीक्षा (जेईई) मैन और हेचएससी परीक्षा के, सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी शिक्षा (सीबीएसई) के मार्गदर्शन, सीएसएबी /जो.सा द्वारा आयोजित काउंसिलिंग के आधार पर होगा।
- आर.1.3** जेईई मैन में परीक्षा देने के लिए योग्यता मानदंड, अध्यादेश O.1 के अनुरूप होगा।
- आर.1.4** जो.सा/सीएसएबी जेईई मैन परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया का निर्धारण और सामान्य संवर्ग के छात्रों के लिए एक मेरिट सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए एक अलग मेरिट सूची तैयार करेगा।
- आर.1.5** प्रवेश के समय, उम्मीदवार को किसी भी योग्यता परीक्षा के अंतिम परीक्षा लिखा होना या उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि कोई बोर्ड ग्रेड शीट में अंकों की प्रतिशतता न देकर केवल अक्षर ग्रेड प्रदान करता है तो उम्मीदवार को उस बोर्ड से समतुल्य अंक का उल्लेख करते हुए पत्र लाना चाहिए और काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा नहीं दिया गया तो उनकी योग्यता पर संयुक्त कार्यान्वयन समिति द्वारा लिये जानेवाले निर्णय अंतिम होगा।
- आर.1.6** आवेदन पत्र के साथ दिये गये सूचना ब्राउचर में उल्लेखितानुसार प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को चिकित्सा मानकों की पूर्ति करनी है।
- आर.1.7** प्रवेश पत्र में उल्लेखितानुसार प्रवेश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने और निर्धारित शुल्क अदा करने के बाद चयनित उम्मीदवार को बी.टेकपाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
- आर.1.8** यदि प्रवेश के बाद किसी भी समय यह पाया गया है कि उम्मीदवार प्रवेश के समय की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते तो संस्थान प्रवेश को रद्द कर सकता है और इस मामले को सीनेट को रिपोर्ट कर सकता है।
- आर.1.9** प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी चतुर्थ सेमेस्टर के अंत में ऑनर्स डिग्री के लिए चयन कर सकते हैं। इस हेतु विद्यार्थी का सी.जी.पी.ए 9.0 या उससे अधिक होना चाहिए एवं पाठ्यक्रम में निर्धारित सभी विषयों में प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ऐसे विद्यार्थी जो कि पी अथवा यू अथवा डब्ल्यू ग्रेड लेकर उत्तीर्ण हुए

हो उन को ये पात्रता नहीं होगी।

## आर.2.0 बी.टेकपाठ्यक्रम की संरचना

आर.2.1 पाठ्यक्रमके निर्देश में निम्नलिखित होगा :

- (i) एक सामान्य कोर पाठ्यक्रमजिसमें बुनियादी विज्ञान, बुनियादी इंजीनियरिंग, मानविकी;
- (ii) एक इंजीनियरिंग कोर प्रोग्राम जो छात्र को उसकी शाखा की इंजीनियरिंग की बुनियाद से परिचित कराता है;
- (iii) एक वैकल्पिक पाठ्यक्रमजिससे छात्र को अपनी रुचि के अनुरूप ग्रुप आफ कोर्स ले सकते हैं ;और
- (iv) विभाग द्वारा अनुमोदित एक परियोजना इसके अलावा, छात्र को संतोषजनक रूप में निर्धारित एनसीसी/एनएसओ/एनएसएस पाठ्यक्रमकी पूर्ति करनी है।

आर.2.2 पूर्ण पाठ्यक्रम के 5 संवर्ग हैं : मानविकी, बुनियादी विज्ञान, बुनियादी इंजीनियरिंग , व्यावसायिक मेजर और वैकल्पिक विषय जो प्रत्येक वर्ष दो सेमेस्टर के हिसाब से आठ सेमेस्टर में व्याप्त है ।

आर.2.3 बी.टेकपाठ्यक्रम के प्रत्येक शाखा में सीनेट द्वारा अनुमोदित कोर्स के लिए पाठ्यक्रम एवं कोर्स कन्टेंट (सिलबी) होगा।

आर.2.4 निम्नलिखित सामान्य पैटर्न पर कोर्स आधार पर क्रेडिट निर्धारित किया जाता है : प्रत्येक वक्तृता अवधिके लिए एक क्रेडिट; प्रत्येक प्रयोगशाला या व्यावहारिक या तीन पीरियड की परियोजना सत्र के लिए दो क्रेडिट।

आर.2.5 बी.टेक पाठ्यक्रम के किसी शाखाके करिकुलम में कुल लगभग 163 क्रेडिट होना है ताकिबी.टेकउपाधिप्रदान किया जा सके।

आर.2.6 कोई भी सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में अधिकतम 27 क्रेडिट और चार प्रयोगशाला कोर्सएवंछ: वक्तृता भाषण आधारित कोर्स निर्धारित है तथा निम्नलिखित बाध्यता के अधीन है।

पांचवे सेमेस्टर से छात्र अतिरिक्त कोर्स (बैकलाग) के लिए पंजीकृत कर सकते हैं। फिर भी, विशेष मामलों में, VII वे सेमेस्टर के छात्रों को सात भाषण आधारित कोर्स लेने की अनुमति दी जा सकती है यदि उन्हें पहले ही पिछले सेमेस्टरों में सात कोर्स निर्धारित नहीं किया गया हो हालांकि:

क. चार अनुशंसित लेब स्लॉट में से कम से कम दो या तीन फ्री हो।

ख. किसी भी सेमेस्टर में पंजीकृत क्रेडिट की अधिकतम संख्या 27 से ज्यादा नहीं हो।

ग. विनियम 7.1 के सिवा पंजीकृत कोर्स से किसी भी विषय को वापस नहीं लिया जा सकता है।

घ. छात्र के संकाय सलाहकार की सिफारिश से वह होगा।

ड. V & VI सेमेस्टर में छात्र एक बैकलॉग कोर्स का पंजीकरण कर सकता है और VII & VIII सेमेस्टर से दो बैकलाक कोर्सेसका पंजीकरण कर सकता है बशर्ते एक सेमेस्टर में अधिकतम 27 क्रेडिट हो।

आर.2.7 बी.टेकपाठ्यक्रम के प्रत्येक कोर्स किसी भी छह संवर्ग में सूचीबद्ध है

सारणी 1 कोर्स के वर्गीकरण

क्र.सं	कोड	संवर्ग
1.	हेचएमसी	मानविकी एवं प्रबंधन कोर्स
2.	बीएससी	बुनियादी विज्ञान कोर्स भौतिकी/ रसायन/गणित/ लाइफ साइंस
3.	बीईसी	बुनियादी इंजीनियरिंग कोर्स
4.	पीईसी	व्यावसायिक इंजीनियरिंग कोर्स
5.	एईसी	एलाइड इंजीनियरिंग कोर्स
6.	पीसीडी	व्यावसायिक/ कैरियर विकास औद्योगिक भाषण/ इंटर्नशिप

7.	डीईएस	अभिकल्पना कोर्स
----	-------	-----------------

**बी.टेक. उपाधिप्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट 163 है।**

**आर.2.8** ऑनलाइन पाठ्यक्रम केवल बी.टेक कार्यक्रम के लिए एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम या बी.टेक (ऑनर्स) कार्यक्रम की आवश्यकता के लिए एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में लिया जा सकता है। ऑनलाइन कोर्स करने के नियम नीचे दिए गए हैं।

**आर.2.8.1** छात्रों को केवल स्वयं/एनपीटीईएल से प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने की अनुमति है।

**आर.2.8.2** अधिकतम 9 (नौ) क्रेडिट केवल एक छात्र द्वारा पूरे कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अर्जित किया जाता है। हालांकि, बी.टेक (ऑनर्स) कार्यक्रम में छात्र ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से अतिरिक्त तीन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं। पूरे 4 सप्ताह के एनपीटीईएल/स्वयं पाठ्यक्रम को एक क्रेडिट बेटेज दिया जाता है।

**आर.2.8.3** अध्यक्ष, सीनेट की सिफारिशों के आधार पर, ग्रेड के साथ स्वयं/एनपीटीईएल एमओओसी के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखा जाएगा।

**आर.2.8.4** समिति के अनुमोदन से पंजीकृत और सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम का उल्लेख ग्रेड शीट में पास/असफल पाठ्यक्रम के रूप में किया जाएगा। हालांकि, छात्रों द्वारा प्राप्त ग्रेड उनके सीजीपीए की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

**आर.2.8.5** ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के पंजीकरण के लिए छात्रों को संस्थान के संबंधित विभागाध्यक्ष/शैक्षणिक अनुभाग से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

**आर.2.8.6** जो छात्र किसी विशेष ऑनलाइन पाठ्यक्रम को पूरा करने में असफल होते हैं, वे फिर से उसी ऑनलाइन पाठ्यक्रम या किसी अन्य ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं या जब भी अगली पेशकश की जाती है तो वे किसी अन्य इन-हाउस वैकल्पिक पाठ्यक्रम के लिए भी पंजीकृत कर सकते हैं।

**आर.2.8.7** पूर्ण किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) के लिए क्रेडिट पर एक सेमेस्टर के लिए विचार किया जाएगा यदि पिछला अंतिम सेमेस्टर (सिद्धांत) परीक्षा से दो सप्ताह के भीतर पूर्णता प्रमाणपत्र शैक्षणिक अनुभाग में जमा किया जाता है; अन्यथा, क्रेडिट अगले सेमेस्टर में जोड़ दिया जाएगा।

**आर.2.8.8** छात्रों को परीक्षा समाप्त करने के बाद उत्पन्न स्व-सत्यापित ग्रेड कार्ड और / या पूर्णता प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए।

**आर 2.9** निर्देश, परीक्षा और परियोजना रिपोर्ट का माध्यम अंग्रेजी होगा ;

**आर 2.10** बी.टेक. (ऑनर्स) के छात्र 5वें सेमेस्टर से आगे बी.टेक पाठ्यक्रम के अलावा पाठ्यक्रमों के ऑनर्स बास्केट से एक सेमेस्टर में अधिकतम 3 अतिरिक्तपीईसी कोर्सेस के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

**आर.3.0 संकाय सलाहकार**

**आर.3.1** संस्थान बी.टेक प्रोग्राम के शुरुआत में, छात्रों को अपने अध्ययन कोर्स चुनने की सहायता करने और अकादमी पाठ्यक्रम पर सामान्य सलाह पाने के लिए, छात्रों के समूह के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए एक संकाय नियुक्त करेगा।

**आर.3.2** प्रत्येक सेमेस्टर की शुरुआत में संकाय सलाहकार के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा एक संकाय नामित किया जाता है

**आर.4.0 कक्षा समिति**

**आर.4.1** बी.टेक पाठ्यक्रम की प्रत्येक कक्षा में संकाय और छात्रों से बनी एक कक्षा समिति होगी।

**आर.4.2** कक्षा समिति की संरचना निम्नप्रकार होगी:

(i) एक प्रोफसर विभागाध्यक्ष, जो विशेष कक्षा के शिक्षण से संबंधित नहीं, निदेशक/उप निदेशक द्वारा कक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया जाता है।

- (ii) उस कक्षा के लिए सिद्धांतलेब पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले सभी संकाय
- (iii) संबंधित कक्षा से दो छात्र; और
- (iv) संबंधित कक्षा के संकाय सलाहकार

#### आर.4.3 कक्षा समिति के बुनियादी उत्तरदायित्व निम्नप्रकार है

- क. कक्षा की प्रगति को आवधिक रूप में पुनरीक्षण करना
- ख. पाठ्यक्रम और विषय और कक्षा चलाने से संबंधित समस्याओं की परिचर्चा
- ग. शिक्षक द्वारा तय किए गए प्रत्येक पाठ्यक्रम अभ्यास के लिए उपयुक्त वेटेज के साथ मूल्यांकन की विधि के बारे / में कक्षा समिति को सूचित किया जाता है और सेमेस्टर की शुरुआत में ही उसे छात्रों को घोषित किया जाएगा।
- घ. संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से निदेशक को कक्षा समिति की सिफारिशों से अवगत कराना।
- ड. कक्षा समिति की एक सेमेस्टर में कम से कम दो बार बैठक होगी, एक बार सेमेस्टर की शुरुआत में और एक बार माइनर II के शुरू होने से पहले।

#### आर.5.0 शाखा परिवर्तन

##### आर.5.1 एक विधा से दूसरी विधा में परिवर्तन की अनुमति निम्नप्रकार किया जा सकता है :

टाइप	से	तक	योग्यता मानदंड
उपाधिपरिवर्तन	बी.टेक	दोहरी उपाधि	(i) 8.5 सीजीपीए (ii) बी.टेक पाठ्यक्रम के III वर्ष के अंत में (iii) आवेदन देने की तारीख में कोई बैकलॉक कोर्सस न हो (iv) संबंधित पाठ्यक्रम के मूल मंजूर संख्या में 10% (+-) से अधिक न होने तक परिवर्तन स्वीकरणीय है। नियमित प्रवेश और भारत सरकार के नार्म्स के अनुरूप आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा।
शाखा परिवर्तन	बी.टेक सीओई बी.टेक ईडीएम बी.टेक एमडीएम	बी.टेक ईडीएम/एमडीएम बी.टेक सीओई/ एमडीएम बी.टेक सीओई / ईडीएम	(ii) I वर्ष बी.टेक के अंत में अन्य मानदंड उक्तानुसार

##### आर.5.2 पहले और दूसरे सेमेस्टर के सीजीपीए शाखा परिवर्तन का आधार होगा।

##### आर.5.3 सभी छात्रों जिन्होंने एक प्रयास में (बिना बैक-लॉग के) प्रथम वर्ष के सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, रिक्रियों की उपलब्धता के अनुरूप विचार किया जाएगा

##### आर.5.4 शाखा परिवर्तन में वर्तमान कक्षा संख्या में से दस प्रतिशत से कम नहीं होना है और कुल मंजूर संख्या में से दस प्रतिशत अधिक नहीं होना है। इसके लिए दोनों मामले में कक्षा में रहे छात्रों की कुल संख्या को लिया जा सकता है।

##### आर.5.5 फिर भी विनियम 5.4 के होते हुए भी प्रथम सेमेस्टर के अंत में प्रत्येक विधा से शाखा परिवर्तन के लिए कम से कम एक छात्र पर विचार किया जाएगा।

**आर.5.6** अन्य समस्याओं के कारण यदि किसी छात्र को उच्चतर जीपीए रखते हुए भी विशिष्ट शाखा नहीं दी गयी है तो उसे उससे कम जीपीए रखनेवाले अन्य छात्र को भले ही वर्तमान नाम्स के आधार पर योग्य हो, नहीं देना है।

#### **आर.6.0 पंजीकरण और नामांकन**

**आर.6.1** प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर, एक सेमेस्टर का पंजीकरण बाद के सेमेस्टर शुरू होने से पहले एक निर्दिष्ट सप्ताह के दौरान किया जाएगा।

देर से पंजीकरण/नामांकन की अनुमति पंजीकरण के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख से दो सप्ताह तक समय-समय पर तय किए गए जुर्माने के साथ दी जाएगी।

**आर.6.2** दूसरे सेमेस्टर से सभी छात्रों को निर्धारित दिनांक पर सेमेस्टर के आरंभ में नामांकित करना है। छात्र नामांकन के लिए तभी योग्य है जब आर. 8 के अनुकूल है और संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय और पिछले सेमेस्टर के अंत तक के एनसीसी यूनिट के लिए कोई देयता नहीं हो बशर्ते संस्थान द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई पर नामांकन के लिए वंचित किया हुआ न हो।

**आर.6.3** पंजीकरण फॉर्म, निर्धारित प्रोफार्मा में, सेमेस्टर की शुरुआत में प्रत्येक छात्र द्वारा भरा जाएगा और इसे संकाय सलाहकार द्वारा ध्यान से सत्यापित किया जाना चाहिए और विधिवत अनुशंसा की जानी चाहिए और सभी फॉर्मों को समेकित रिपोर्ट के साथ उचित चैनल से संबंधित विभाग के प्रमुख के माध्यम से शैक्षणिक अनुभाग को तुरंत जमा करना होगा।

**आर.6.4** बी.टेक छात्र भी पाठ्यक्रम में निर्धारित कोर्स के अलावा अतिरिक्त कोर्स लेने के लिए योग्य हैं यानी पाँचवा, छठा और सातवाँ सेमेस्टर में एक कोर्स और 8वाँ और 10वाँ सेमेस्टर में ज्यादा से ज्यादा दो कोर्स, बशर्ते अधिकतम 15 क्रेडिट हो, और छात्र कोई बैकलॉग नहीं रखता हो और पिछले सेमेस्टर में 7.0 या उससे अधिक सीजीपीए रखता हो। अतिरिक्त कोर्स लेनेवाले छात्र निदेशक/उप निदेशक के पूर्व अनुमोदन लेना है। इसे ग्रेड कार्ड में अतिरिक्त संवर्ग में दिखाया जाएगा और सीजीपीए गणना के लिए लिया जाएगा।

#### **आर.7.0 पंजीकरण आवश्यकताएँ**

**आर.7.1** किसी सेमेस्टर के लिए पाठ्यक्रम, अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर, सामान्यतः 21 और 29 के बीच क्रेडिट का होगा।

किसी सेमेस्टर में यदि कोई छात्र महसूस करता है कि अपना भार भारी है, या और कोई वैध कारण हो, वह सेमेस्टर के प्रारंभ होने का तीन सप्ताह के अंदर कोर्स को ड्रॉप कर सकता है लेकिन प्रथम माइनर की शुरुआत के पहले अपने संकाय सलाहकार और विभागाध्यक्ष से लिखित रूप में अनुमोदन लेना है। फिर भी, छात्र को सुनिश्चित करना है कि किसी भी सेमेस्टर में पंजीकृत क्रेडिट की कुल संख्या उन्हें आर.8.1 के अनुरूप है।

#### **आर.8.0 पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ**

**आर.8.1** छात्र को प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 10 सफलता पूर्वक क्रेडिट पाना है, दूसरे सेमेस्टर के अंत में 26 सफलता पूर्वक क्रेडिट पाना है। उसके बाद प्रति सेमेस्टर में औसतन 14 क्रेडिट रखना है जिसमें प्रथम दो सेमेस्टर भी शामिल है। फिर भी अंतिम सेमेस्टर में छात्र 14 क्रेडिट से कम पा सकता है हालांकि वह उपाधि पाने के लिए आवश्यकता को पर्याप्त रखता हो। उक्तानुसार प्रत्येक सेमेस्टर में यदि छात्र उपयुक्त क्रेडिट पाने से विफल होता है तो उस पाठ्यक्रम से बाहर हटा दिया जाएगा।

**आर.8.2** छात्र जो प्रथम छः सेमेस्टर में एनसीसी/ एनएसओ/ एनएसएस आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है (देखें आर.26) उन्हें बी.टेक पाठ्यक्रम में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**आर.8.3** छात्र को प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में सफलता पूर्वक समाप्त किये कोर्स के सीजीपीए की संगणना में न्यूनतम 5.0 (देखें आर.25.2) होना चाहिए। यदि सीजीपीए की गणना 5.0 से नीचे है या यदि वह औसत 20 क्रेडिट से कम प्राप्त करता है, और आने वाले अगले सेमेस्टर में उसका सीजीपीए 5.0 से कम है या आर.8.1 के अनुसार औसत 14 क्रेडिट अर्जित नहीं कर सका तो उसका नाम नामांकन से निकाल दिया जाएगा।

**आर.9.0 पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि**

**आर.9.1** बी.टेक पाठ्यक्रम को छात्रको आठ सेमेस्टर में पूरा करने की आशा की जाती है। फिर भी पाठ्यक्रम को धीमी गति से पूरा किया जा सकता है लेकिन किसी भी हालत में 12 सेमेस्टर से अधिक अवधि नहीं लेनी है जिसमें चिकित्सा ग्राउण्ड आदि पर छोड़े गये सेमेस्टर आदि आर.12 के अनुसार शामिल नहीं हैं। फिर भी छात्र को आर.8.1 के अनुरूप प्रत्येक सेमेस्टर में पूरा करना है जिसकी विफलता पर उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा।

**आर.10.0 पाठ्यक्रम को बीच में ही अस्थायी रूप में छोड़ना**

**आर.10.1** निदेशक की अनुमति से पाठ्यक्रम को बीच में सेमेस्टर या उससे अधिक समय के लिए बीमारी या अन्य वैध कारणों के लिए छोड़ा जा सकता है। सामान्यतः किसी छात्र को अधिकतम लगातार दो सेमेस्टर की अवधि के लिए ही पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

**आर.11.0 अनुशासन**

**आर.11.1** प्रत्येक छात्र को अनुशासन का अनुपालन करना है और कैंपस के अंदर और बाहर अच्छी तरह व्यवहार करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्थान के मान पर कलंक हो।

**आर.11.2** छात्र के कोई भी अनुशासनहीन कार्य निदेशक के यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और संस्थान की अनुशासन और कल्याणसमिति (डीडब्ल्यूसी) को रिपोर्ट किया जाएगा। समिति आरोपों पर पूछताछ करेगी और आरोप सही है तो उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी। अनुशासन और कल्याण समिति की सिफारिशों को निदेशक को भेजा जाएगा और निदेशक को उचित कार्रवाई लेने का प्राधिकार देगा।

**आर.11.3** अपील : छात्र सीनेट में परिचर्चा के लिए निदेशक को अपील कर सकता है और सीनेट का निर्णय अंतिम होगा।

**आर.11.4** किसी भी दृष्टिसे रेगिंग आपराधिक गति विधि है और हमारे देश और राज्य में गैर जमानती अपराध है और वर्तमान में केंद्रीय और राज्यों के विधान में कारावास सहित सख्त दंड का प्रावधान है। यदि कोई छात्र रेगिंग करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें संस्थान से बाहर भेज दिया जाएगा और किसी भी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस अमानवीय कार्य में यदि कोई एक को इंकित किया न सका तो सामूहिक दंड के लिए भी प्रावधान है। संस्थान के प्रत्येक वरिष्ठ छात्र के माता-पिता सहित प्रत्येक वर्ष लिखित रूप में यह आश्वासन देगा/देगी और एनरोलमेंट के समय पर समर्पित करेगा।

**आर.12.0 उपस्थिति**

**आर.12.1** प्रत्येक छात्र से एक पाठ्यक्रम में शत-प्रतिशत उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है। हालांकि थ्योरी और लैब कोर्स के लिए न्यूनतम 85% उपस्थिति अनिवार्य है।

**आर.12.2** छात्र संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित चिकित्सा आधार पर चिकित्सा अवकाश का लाभ उठा सकते हैं। यह अवकाश किसी विशेष पाठ्यक्रम में दी जाने वाली कुल कक्षाओं के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।

**आर.12.3** इसी तरह, पाठ्येतर गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों को संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित छुट्टी दी जा सकती है। यह छूटी अवकाश किसी विशेष पाठ्यक्रम में दी जाने वाली कुल कक्षाओं के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।

**आर.12.4** यदि किसी भी छात्र को मेडिकल अवकाश (आर 12.2 के अनुसार) और छूटी अवकाश (आर 12.3 के अनुसार), चिकित्सा अवकाश और छूटी अवकाश का योग कुल वर्गों के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए।

**आर.12.5** ऊपर 2.1 से 12.4 में दी गई उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाला कोई भी छात्र अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होगा और उस विशेष पाठ्यक्रम के लिए "डब्ल्यू" ग्रेड से सम्मानित किया जाएगा।

उस पाठ्यक्रम के लिए छात्र पंजीकरण रद्द माना जाएगा, और उसे उस पाठ्यक्रम में 'डब्ल्यू' ग्रेड (डब्ल्यू का मतलब उपस्थिति की कमी के कारण रद्द पंजीकरण) से सम्मानित किया जाएगा। यह ग्रेड ग्रेडकार्ड में तब तक दिखाई देगा जबतक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो जाता।

**आर.12.6 उपस्थिति को माफ करना :** अनुपस्थिति की कमी को तब माफ किया जाएगा जब चिकित्सा छुट्टी से इतर अवधिमें 75% से अधिक उपस्थिति रखता हो तो बशर्ते कुल अनुपस्थिति कोर्स में 60% से कम न हो जिसमें बीमारी की अवधिभी शामिल हो।

- (1) अस्पताल में भर्ती होकर बड़ा / लंबी अवधिचिकित्सा लिये छात्रों के लिए संस्थान अतिरिक्त अधित्याग पर विचार कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जिसे संस्थान के डॉक्टर को पृष्ठांकित करना है और निदेशक/ उससे नामांकित व्यक्ति उस पर प्रति मामले के अनुसार, उपयुक्त निर्णय ले सकता है।

### आर.13.0 मूल्यांकन प्रक्रिया—जांच और परीक्षाएँ

**आर.13.1** प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय में जांच और परीक्षाओं की प्रणाली पर समय समय पर अकादमी सलाहकार समिति/ सीनेट निर्णय लेगा।

### आर.14.0 परीक्षण प्रणाली

**आर.14.1** व्याख्यान ट्यूटोरियल आधारित पाठ्यक्रमों में पहले दो सेमेस्टर के सामान्य पाठ्यक्रमों के मामले में दो/माइनर और उच्चसेमेस्टर पाठ्यक्रमों के लिए होते हैं (परीक्षा), कक्षा समिति द्वारा तय किए गए माइनर होगा।

### आर.15.0 सत्रांत परीक्षा

**आर.15.1** प्रत्येक वक्रतुता आधारित विषय की एक सत्रांत परीक्षा होगी।

### आर.16.0 परियोजना मूल्यांकन

**आर.16.1** परियोजना की पूर्ति पर छात्र एक परियोजना रिपोर्ट समर्पित करेगा जिसका मूल्यांकन विधिवत नियुक्त परीक्षकों द्वारा किया जाएगा।

मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित होगा और परियोजना पर एक मौखिक परीक्षा होगी।

**आर.16.2** बी.टेक छात्रों की परियोजना रिपोर्ट जो अपना कोर्स कार्य पूरा नहीं किया हो, का मूल्यांकन उसी सेमेस्टर पर मूल्यांकित किया जाएगा और परिणाम गुप्त रूप में अकादमी कोर्स डीन को भेजा जाएगा। परियोजना कार्य मूल्यांकन का परिणाम अकादमी कोर्स के डीन द्वारा उन छात्रों द्वारा सफलतापूर्वक कोर्स पूरा करने पर ही घोषित किया जाएगा।

### आर.17.0 महत्व

**आर.17.1** प्रथम तीन सेमेस्टर के आम कोर्स के लिए: विभिन्न विषयों के लिए निम्नलिखितानुसार महत्व होगी :

क. सेमेस्टर समाप्ति पूर्व परीक्षाओं में माइनरस/परियोजनाएँ/ एसैन्मेंट और सत्रांत परीक्षाएँ होंगी। सेमेस्टर समाप्तिपूर्वपरीक्षाओं का कुल अंक सत्रांत परीक्षाओं के कुल अंक से ज्यादा न होना है यानी सत्रांत परीक्षाओं का अंक  $\geq 50\%$  होना है।

ख. प्रयोगशाला/ प्रैक्टिस कोर्स में इसी पैटर्न (क) का अनुपालन किया जाए

बी.टेक पाठ्यक्रमके उच्चतर सेमेस्टर के सैद्धांतिक कोर्स के लिए **वेटेज सत्रीय** मूल्यांकन और सत्रांत परीक्षाएँ दोनों के लिए 40% से कम नहीं होना चाहिए। उक्त अवरोध के अधीन कक्षा समिति स्वयं किसी भी कोर्स के लिए **वेटेज**का निर्णय कर सकता है और सेमेस्टर के प्रारंभ से 2 सप्ताह के अंदर छात्रों को सूचित कर सकता है।

**आर.17.2** सभी परीक्षण, ट्यूटोरियल एसैन्मेंट (यदि कोई हो तो) प्रयोगशाला काम और परीक्षाएँ अब्सलूट आधार पर होगा। संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रत्येक विषय में अंतिम ग्रेड सापेक्ष आधार पर प्रदान किए जाते हैं।



**आर.18.0 मेक-अप परीक्षाएँ**

**आर.18.1** वैध कारणों से यदि कोई छात्र माइनरस या सत्रांत की परीक्षाएँ न दे पाता है तो वे मेक-अप परीक्षाओं के लिए योग्य हैं। एक ही मेक-अप परीक्षा उस सेमेस्टर के लिए अनुमेय है। छात्र जो माइनरस में भाग नहीं ले पाये हैं और उसी कोर्स में वैध कारणों के कारण जैसे बीमारी आदि सत्रांत परीक्षाएँ नहीं दे पाये हैं तो मेक-अप परीक्षाएँ केवल उस सत्रांत परीक्षाओं के लिए लिख सकते हैं। उन्हें एक आवेदन निदेशक/ परीक्षा सेल को छूट गयी परीक्षा की तारीख से दस दिन के अंदर कारण बताते हुए देना है।

इस निर्धारित समय के बाद आनेवाले आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**आर.18.2** मेक-अप परीक्षाओं में बैठने की अनुमति असाधारण अवस्थाओं में जैसे बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती, दी जाएगी।

- चिकित्सा आधार पर छुट्टी आवेदन देने पर, छात्रावास में रहनेवाले छात्रों को संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है कि वह माइनर/ परीक्षाओं की अवधिपर अस्पताल में रहे थे।
- छात्रावास में रहनेवाले छात्र और बाह्य डाक्टरों से सलाह लेनेवालों को संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से लिखित अनुमति परामर्श के लिए जाने के पहले लेना है।
- छात्रावास में रहनेवाले छात्र लेकिन बाह्य डाक्टरों से सलाह लेनेवालों को संस्थान के चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा पाये प्रमाण पत्र पर पृष्ठांकन लेना है।
- कैम्पस से बाहर स्थायी रूप से/ अस्थायी रूप से रहे छात्र पंजीकृत चिकित्सा देनेवाले डाक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है जिसपर माता-पिता/अभिभावकों से पृष्ठांकित किया जाना है।
- चिकित्सा से संबंधित अन्य दस्तावेज (जैसे पिरस्क्रीप्शन, मेडिसन बिल आदि) चिकित्सा छुट्टी के प्रमाण में आवेदन के साथ रखना है।

**आर.18.3** एक मेक-अप परीक्षा सत्रांत परीक्षाओं के लगभग दो सप्ताह के बाद होगा उनमें जिन छात्रों को मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी गयीवे लिख सकते हैं।

**आर.18.4** एक छात्र जो इस मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाता उसे दूसरी बार मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती है। फिर भीलम्बी बीमारी के असाधारण मामलों में जिससे छात्र मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाते हैं तो डीन (अकादमी) /संकाय प्रभारी (अकादमिक) सीनेट के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके सीनेट के अनुमोदन के साथ छात्र को दूसरा मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी जा सकती है।

**आर.18.5** मेक अप परीक्षा में बैठने वाले छात्रों:, ग्रेडिंग के लिए आंतरिक अंकों पर विचार किया जाएगा। छात्र प्रदर्शन के आधार पर एस से यू तक कोई भी ग्रेड अर्जित कर सकता है।

**आर.19.0 अनुपूरक परीक्षाएँ**

निम्नलिखित विनियम के तहत छात्र जो किसी कोर्स में यू ग्रेड लिया है उसको अनुपूरक परीक्षाएँ लिखने की अनुमति दी जाती है :

- (1) आर 10.2 तहत किसी भी कोर्स के लिए छात्र को अनुपूरक परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी।
- (2) छात्रों को संस्थान के शैक्षणिक अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर पूरक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है।
- (3) एक उपचारात्मक उपाय के रूप में, यदि कोई छात्र ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में भाग लेना चाहता है और फिर पूरक परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना चाहता है, तो वे उसके लिए अनुरोध और पंजीकरण कर सकते हैं। यदि ग्रीष्म पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 10 है, तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान उस पाठ्यक्रम की पेशकश करने के इच्छुक संकाय सदस्य छात्रों को विषय को समझने के लिए कम से कम 30 घंटे तक कक्षाएं संचालित करेंगे। 15 जुलाई तक ग्रीष्म परीक्षा/पूरक परीक्षा संपन्न कराने के लिए कक्षाएं निर्धारित की जाएं।

- (4) पूरक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को पूरक परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर ही ग्रेड दिया जाएगा।
- (5) पूरक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को प्रति पाठ्यक्रम 500/- रुपये का परीक्षा शुल्क देना होगा।
- (6) पूरक परीक्षा में पाठ्यक्रम को पास करने वाले छात्र को एस, ए और बी ग्रेड से सम्मानित नहीं किया जाएगा। वह केवल सी के उच्चतम ग्रेड को सुरक्षित कर सकता था।

#### आर.20.0 छात्रों के विषय-वार ग्रेडिंग

**आर.20.1** सेमेस्टर कार्य निष्पादन के आधार पर, प्रत्येक छात्र को अंतिम अक्षर ग्रेड प्रत्येक विषय में दिया जाता है। अक्षर ग्रेड और उससे इंकित होनेवाले ग्रेड पाइंट्स का विवरण निम्नप्रकार है :

एस	10	ग्रेड पाइंट्स	
ए	9	"	
बी	8	"	
सी	7	"	
डी	6	"	
ई	5	"	
पी	4		
यू	0	-	अयोग्य / विफलता
डब्ल्यू	0	-	पर्याप्त उपस्थिति न होने के कारण विफलता
आई	0	-	अपूर्ण (बाद में उसी सेमेस्टर में पास (पीसेएस) या यू ग्रेड में परिवर्तित होने के लिए)
एक्स	0	-	पूर्ण (एनएसओ/एनसीसी/एसएसएस में)
वाई	0	-	अपूर्ण (एनएसओ/एनसीसी/एसएसएस में)

**आर.20.2** जब किसी छात्र यू/एफ या डब्ल्यू या आई के सिवा और कोई ग्रेड पाता है तो माना जाता है कि उस छात्र सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुका है। किसी विषय पर यू/एफ या डब्ल्यू है तो उसका मतलब उस विषय पर अनुत्तीर्ण है। सफलतापूर्वक पूरा किये गये विषय को पुनः नहीं लिख सकेंगे।

**आर.20.3** किसी भी विषय में सापेक्ष आधार पर ग्रेड सम्मानित किया जाएगा।

#### आर.21.0 ग्रेड प्रदान कराने की पद्धति

**आर.21.1** सत्रांत सेमेस्टर परीक्षा के अंतिम दिन से सात दिनों के अंदर कक्षा समिति की अंतिम बैठक छात्र सदस्य के बिना बुलाई जाएगी। इस बैठक में प्रदान किये जानेवाला अक्षर ग्रेड का अंतिम रूप दिया जाएगा।

**आर.21.2** प्रत्येक विषय के लिए जिसमें अंतिम ग्रेड हो के परिणाम शीट दो प्रतियाँ और उपस्थिति-कोड शीट और निरपेक्ष अंक के दो प्रतियाँ, अंतिम ग्रेड और उपस्थिति कोड प्राध्यापक द्वारा संबंधित कक्षा समिति के अध्यक्ष को समर्पित किया जाना है। कक्षा समिति बैठक में ग्रेड के अंतिम निर्णय लेने के बाद एक प्रति निरपेक्ष अंक के साथ और एक निरपेक्ष अंक के बिना केवल ग्रेड और उपस्थिति-कोड के साथ कक्षा समिति अध्यक्ष से डीन (अकादमी) /संकाय प्रभारी (अकादमिक) को अग्रेषित किया जाएगा।

#### आर.22.0 परिणाम की घोषणा

**आर.22.1** आर.20.1 के तहत कक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप देने के बाद, बी टेक कार्यक्रम के छात्रों को अक्षर-ग्रेड प्रदान किए जाते हैं।

**आर.22.2** एक बार डब्ल्यू ग्रेड प्रदान किये जाने पर वह छात्रों के रिकार्ड में होगा और वह तभी निकाला जाएगा जब वह उस विषय को बाद में सफलतापूर्वक पूरा करता/करती है बशर्ते कितनीवीं बार में पूरा किया है उसकी सूचना होगा।

**आर.22.3** छात्रों द्वारा पाये गये 'यू' ग्रेड सफलतापूर्वक पूरे किये कोर्स के आधार पर ग्रेड कार्ड से निकाल दिया जाएगा और कितनीवींबार में पूरा किया है उसकी सूचना होगा।

#### आर.23.0 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः जांच

**आर.23.1** छात्रों द्वारा सीखने की प्रक्रिया के रूप में और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कक्षा परीक्षण, माइनर(स), असाइनमेंट आदि में सुधार के बाद उत्तरपुस्तिकाएं परीक्षा/ परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह के भीतर छात्रों को दिखाई जाएंगी। कक्षा समीक्षा समिति में माइनरस में छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा की जाएगी।

**आर.23.2** अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की लिपियों के मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, उन उत्तरपुस्तिकाओं को भी ग्रेड के अंतिम रूप से एक दिन पहले तक छात्रों को दिखाया जाएगा। एक बार ग्रेड तय हो जाने के बाद, छात्र को अपनी उत्तरपुस्तिकाओं को सत्यापित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

**आर.23.3** छात्र किसी भी मध्यस्थता के लिए डीएएसी से संस्थान की वेबसाइट पर परिणाम की आधिकारिक प्रकाशन की तारीख से 20 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

#### आर. 23.4 उत्तर लिपियों का निपटान

पाठ्यक्रम से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं को परिणाम की घोषणा की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए संकाय द्वारा संरक्षित किया जाएगा। इस अवधि के बाद, संस्थान द्वारा इसे स्कैप के रूप में निपटाया जाएगा।

#### आर.24.0 कोर्स पुनरवृत्ति

**आर.24.1** जो छात्र उद्योगों/अनुसंधान एवं विकास संगठनों में अपनी परियोजना का काम करना चाहते हैं /, उन्हें तीसरे अंतिम सेमेस्टर दौरान ऐसे संगठनों में अपने परियोजना कार्य को करने की अनुमति दी जा सकती है।

#### आर.25.0 ग्रेड कार्ड

**आर.25.1** प्रत्येक छात्र को सत्रांत में जारी किये जानेवाले ग्रेड कार्ड में निम्नलिखित होगा :

- क. उस सेमेस्टर के लिए पंजीकृत प्रत्येक कोर्स के लिए क्रेडिट
- ख. प्रत्येक कोर्स में पाये अक्षर ग्रेड
- ग. प्रत्येक कोर्स के उपस्थिति कोड
- घ. प्रत्येक कोर्स संवर्ग के सेमेस्टर के अंत तक छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट की कुल संख्या
- ड. उस सेमेस्टर में लिए गए सभी पाठ्य क्रमों का सेमेस्टर ग्रेड बिंदु औसत (एसजीपीए)
- च. सभी कोर्स के प्रथम सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक, क्युमुलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए)

**आर.25.2** ग्रेड पाइंट एवरेज (जीपीए) निम्नलिखित सूत्र द्वारा संगणित किया जाएगा

$$GPA = \frac{\sum_i C_i \times GP}{\sum_i C_i}$$

जहाँ  $C_i$  = कोर्स के क्रेडिट, जीपी = कोर्स के लिए प्राप्त ग्रेड पाइंट और  $\sum_i C_i$  = उस सेमेस्टर में लिये गये ओवरऑल कोर्स में क्रेडिट के कुल

इसी प्रकार के फार्मुला क्युमुलेटिव ग्रेड पाइंट एवरेज (सीजीपीए) के लिए भी अपनाया जाता है जिसमें  $\sum_i C_i$  उस अवधितक के सभी पूरे किये गये सेमेस्टर के ओवरऑल कोर्स के क्रेडिट के कुल दर्शाया जाएगा।

सफलतापूर्वक पूर्ण किये कोर्सों के आधार पर सीजीपीए की गणना की जाती है, जिसमें 'य' या 'डब्ल्यू' ग्रेड को छोड़ दिया जाता है और उसे अलग रूप से ग्रेड कार्ड में दर्शाया जाता है।

**आर.25.3** बी.टेक पाठ्यक्रम के अंत में छात्र को कोई श्रेणी / डिविशन/ रैंक प्रदान नहीं किया जाएगा। सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने का सूत्र है सीजीपीए\*10।

**आर.26.0 एनसीसी/एनएसओ/एनएसएस की आवश्यकताएँ**

**आर.26.1** बी.टेक. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये सभी छात्र को पाठ्येतर पाठ्यक्रम के रूप में एनसीसी या एनएसओ/एनएसएस लेना ही है। एनसीसी कार्यक्रम विदेशी और महिला छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं है।

**आर.26.2** एनएसओ/एनएसएस कार्यक्रम संस्थान द्वारा घोषित कार्यक्रम के रूप में आयोजित किये जायेंगे।

**आर.26.3** एनसीसी/एनएसओ/एनएसएस की आवश्यकताओं को बी.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम चार सेमेस्टर के अंदर पूरा करना है।

**आर.26.4** एनसीसी/एनएसओ/एनएसएस पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम उपस्थिति आवश्यकताएँ 85% है।

**आर.26.5** यदि किसी छात्र को उपस्थिति आवश्यकताएँ कम हैं तो निम्न प्रकार से उस कमी को दूर करना है:

- (i) यदि अनुपस्थिति वैध आधार पर है तो कमी को उसी वर्ष अप्रैल के दौरान प्रदान किये जानेवाले अतिरिक्त एनसीसी/एनएसओ/ एनएसएस पाठ्यक्रम द्वारा दूर करना है।
- (ii) यदि अनुपस्थिति अप्राधिकृत है तो कमी को आगे के वर्ष में दूर करना है। एनसीसी की कमी को एनएसओ/एनएसएस कार्यक्रमों में कमी की तुलना में चार गुणा भाग लेकर दूर करना है : छूट गये प्रत्येक एनसीसी/एनएसएस कक्षा को चार एनएसओ कक्षा में शामिल होकर दूर करना है। छूट गये एनएसओ/एनएसएस कक्षा को प्रत्येक के लिए दो कक्षा में शामिल होकर दूर करना है।

**आर.27.0 बी.टेक उपाधि प्रदान करने के लिए आवश्यक योग्यताएँ**

**आर.27.1** बी.टेक उपाधि प्रदान करने के लिए छात्र को लायक तब घोषित किया जाएगा जब वह

- क. पंजीकृत और सफलतापूर्वक सभी कोर और ऐच्छिक कोर्स और परियोजना को पूरा किया हो;
- ख. करिकुलम में उल्लेखितानुसार निर्धारित अवधि के अंदर अपने स्ट्रीम के पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक पाये हो ;
- ग. विषयों के सभी संवर्ग में निर्धारित क्रेडिट का अर्जन ;
- घ. एनसीसी/एनएसओ/एनएसएस आवश्यकताओं की पूर्ति किया हो ;
- ङ. संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय, एनसीसी/एनएसएस/एनएसओ आदि के कुछ देय न हो और
- च. उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई निलंबित न हो

छात्र जो विदेश के विश्व विद्यालय एनयूएस/डीएएडी के संदर्शनया किसी और विश्व

विद्यालय का संदर्शन परिवर्तन पाठ्यक्रम के तहत करते हैं क्रेडिट अंतरण के लिए

निम्नलिखित को अपनाया जाएगा:

ग्रेड शीट में इंकित क्रेडिट/ग्रेड का उपयोग जो उस विश्व विद्यालय से प्राप्त है जहाँ छात्र अपना पाठ्यक्रम किया है, छात्र द्वारा ट्रांस्क्रिप्ट्स के अंश के रूप में करना चाहिए।

आईआईआईटीडीएम ट्रांस्क्रिप्ट्स केवल, आईआईआईटीडीएम में पूरा किये कोर्स, क्रेडिट और ग्रेड को दर्शाता है और उस विनिर्दिष्ट सेमेस्टर में अन्य विश्व विद्यालय में पाये गये (ग्रेड के बिना) क्रेडिट को दर्शाता है।

संस्थान में दिये गये क्रेडिट आधारित सीजीपीए संगणना के आधार पर ही पुरस्कार प्रदान करना है।

विदेश के विश्व विद्यालयों पर पाये गये क्रेडिट को उपाधिप्रदान करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट के लिए गणना की जाएगी।

**आर.27.2** डिग्री के पुरस्कार की सिफारिश सीनेट द्वारा की जानी चाहिए और संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

**आर.28. बी.टेक (ऑनर्स) पाठ्यक्रम**

**आर.28.1** बी.टेक (ऑनर्स) पाठ्यक्रम के लिए एक छात्र को निम्नलिखित नियमों की पूर्ति करने पर योग्य घोषित किया जाएगा।

- i) 4वाँ सेमेस्टर के अंत में छात्र द्वारा ऑनर्स पाठ्यक्रम का विकल्प दिया जाना चाहिए।
- ii) न्यूनतम सीजीपीए 9.0 होना है (पंजीकरण और प्रदान करने की योग्यता)
- iii) विभागाध्यक्ष द्वारा अनुसंधित संबंधित 09 अतिरिक्त क्रेडिट पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण.
- iv) आर.27.0 के तहत निर्धारित शर्तों के अलावा, बी.टेक (ऑनर्स) छात्रों को प्रत्येक सेमेस्टर में सीजीपीए 9.0 लाना होगा।
- v) उक्त शर्तों में विफल होने वाले छात्र को नियमित बी.टेक उपाधि प्रदान किया जाएगा।

**आर.28.2** एक छात्र को बी.टेक (ऑनर्स) की डिग्री के लिए पात्र घोषित किया जाएगा यदि वह आर 28.1 में सूची बद्ध शर्तों को पूरा करता है।

**आर.28.3** बी.टेक (ऑनर्स) डिग्री प्रदान करने के लिए सीनेट की सिफारिश और संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होना है।

**आर.29.0 संशोधन की शक्ति**

**आर.29.1** उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का अधिकार सीनेट रखती है।

**आर.30 ग्रीष्म कालीन कोर्स**

**आर.30.1** निदेशक/ उप निदेशक के अनुमोदन के साथ ग्रीष्म कालीन कोर्स प्रदान किया जा सकता है। कोई भी छात्र ग्रीष्म कालीन कोर्स में से दो से अधिक के लिए पंजीकृत नहीं कर सकता है जिसमें ग्रीष्म के दौरान चलाये गये संपर्क कोर्स भी शामिल है।

**आर.30.2** सत्रांत परीक्षाओं की शुरुआत के पहले समसंख्यक सेमेस्टर के अंत में ग्रीष्म कालीन कोर्स घोषित किया जाएगा। छात्र को सूचना में निर्धारित समय के अंदर निर्धारित शुल्क भरकर पंजीकृत करना है।

**आर.30.3** नियमित सेमेस्टर कोर्स के समान ही ग्रीष्म कालीन कोर्स के संपर्क सामायिक अवधि की संख्या भी होगी। ग्रीष्म कालीन कोर्स की मूल्यांकन प्रक्रिया भी नियमित सेमेस्टर कोर्स के अनुरूप ही होगी।

**आर.30.4** ग्रीष्म कालीन कोर्स सेपलटाव /वापसी अनुमेय नहीं है। सामान्यतः ग्रीष्म कालीन कोर्स के लिए कोई मेक-अप परीक्षाएँ (देखें आर. 18.0) नहीं होगी।

**आर.31 संपर्क कोर्स**

**आर.31.1** कोर्स में 'यू' ग्रेड पाये अंतिम वर्ष के छात्र को ही वह नियमित सेमेस्टर के या ग्रीष्म कालीन के दौरान एक संपर्क कोर्स आयोजित किया जा सकता है। प्राध्यापक और छात्र के पारस्परिक स्वीकृति के साथ विभाग की सिफारिश पर ही यह कोर्स प्रदान किया जाएगा।

**आर.31.2** नियमित सेमेस्टर या ग्रीष्म कालीन सेमेस्टर के दौरान चलाये जानेवाले संपर्क कोर्स में कोई भी छात्र दो से अधिक के लिए पंजीकृत नहीं करना है। यदि छात्र 2 ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के लिए पंजीकृत करता है तो उस ग्रीष्म में संपर्क कोर्स के लिए योग्य नहीं होंगे।

**आर.31.3** यदि उसी विषय पर नियमित या ग्रीष्म में प्रदान किया जाता है तो संपर्क कोर्स उस अवधि के दौरान नहीं दिया जाएगा।

**आर.31.4** ऐसे अंतिम वर्ष के छात्र को, जो संपर्क कोर्स लेना चाहता है, अकादमी कोर्स के डीन को सेमेस्टर/ ग्रीष्मकालीन सेमेस्टर के शुरुआत के पूर्व आवेदन देना है।

**आर.31.5** संपर्क कोर्स के मूल्यांकन प्रक्रिया नियमित सेमेस्टर कोर्स के जैसे ही होगी।

**आर.31.6** संपर्क कोर्स से पलटाव अनुमेय नहीं है।

### **आर.32 एक छात्र का उच्च सेमेस्टर में जाना**

छात्रों से हर सेमेस्टर में सभी विषयों को पास करने की उम्मीद की जाती है। Nth सेमेस्टर के दौरान पाठ्यक्रमों में बैकलॉग के मामले में, उन्हें N+3 सेमेस्टर के पूरा होने तक पूरक परीक्षाओं में कई मौके दिए जाएंगे। यदि कोई छात्र दिए गए अवसरों में बैकलॉग को साफ़ नहीं कर सकता है, तो उसे N+4 सेमेस्टर में समकक्ष क्रेडिट पाठ्यक्रम को छोड़ना होगा और N+4th सेमेस्टर के दौरान बैकलॉग कोर्स के लिए फिर से पंजीकरण करना होगा।

## **अध्यादेश और विनियम**

### **एम. टेक कार्यक्रम**

#### **अध्यादेश**

- O.1** आईआईआईटीडीएम कर्नूल में सीसीएमटी के माध्यम से प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग या इस के समकक्ष की उपयुक्त शाखा में 60% या 6.5 सीजीपीए है।
- (i) इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि के लिए योग्य उम्मीदवार या एआईसीटीई/ यूजीसी/ सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि और वैधिक गेट स्कोर (इंजीनियरिंग में स्नातक अप्टिट्यूड परीक्षण) में समय समय पर सीनेट द्वारा नियत न्यूनतम अंक पाये उम्मीदवार एम. टेक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन देने के लिए योग्य हैं।
- (ii) वैधिक गेट स्कोर के साथ व्यावसायिक निकाय के एसोसियेट सदस्यता रखनेवालों के लिए उनके अपने पैतृक विधा में निम्नलिखित में प्रवेश पाने के लिए आवेदन दे सकते हैं - (i) दि इंस्टिट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) (एएमआईई) (ii) दि इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मेटल्स (एएमआईएम) (iii) दि इंस्टिट्यूशन आफ इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली-कॉम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एएमआईटीई)।
- O.2** उद्योग/ सरकारी संगठन/ निजी और सार्वजनिक एन्टरप्राइस डीएसटी द्वारा मान्य और अनुसंधान और अभिकल्पना कार्य में काम करने वालों (24 महीने के लिए पूरे वेतन और भत्तों के साथ) द्वारा प्रायोजित और एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्य इंजीनियरिंग कालेज के उम्मीदवार जिसके पास आवेदन देने के अंतिम तारीख पर कम से कम दो वर्ष के व्यावसायिक अनुभव हैं, आईआईआईटीडी व एम को आवेदन दे सकते हैं, बशर्ते उनके पास :
- i. एआईसीटीई/यूजीसी मान्य इंजीनियरिंग कालेजों/विश्व विद्यालयों से प्राप्त प्रथम श्रेणी के या सभी चार वर्ष के 60 प्रतिशत के एग्ग्रेगट अंक सहित के बीई/बीटेक हो या
- ii. वैधिक गेट स्कोर के साथ एएमआईई और अन्य एसोसियेट मेम्बरशिप (जो ऊपर बताया गया है) हो
- O.3** अध्ययन की शाखा में प्रवेश सीसीएमटी परामर्श के दौरान तय किया जाएगा
- O.4** समय समय पर और प्रत्येक वर्ष संस्थान के सीनेट द्वारा अनुमोदित एम. टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए सटीक पात्रता मानदंड संस्थान द्वारा घोषित किया जाता है।
- O.5** एम. टेक पाठ्यक्रम के सामान्य अवधि, परियोजना सहित चार सेमेस्टर की होगी।
- O.6** विनियम में निर्धारितानुसार उद्योग और अन्य अनुमोदित संगठनों में परियोजना कार्य करने की अनुमति है।
- O.7** संस्थान के सीनेट के विनियम के अनुरूप एम. टेक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये छात्रों को आधा-समय प्रशिक्षण सहायता पुरस्कार (हेचटीटीए – हाफ टाइम टीचिंग एसिस्टेंटशिप पुरस्कार) दिया जा सकता है।
- O.8** संस्थान के सीनेट के विनियम के अनुरूप एम. टेक उपाधि दी जाएगी।

## विनियम

### आर.1.0. प्रवेश

- आर.1.1. प्रत्येक कार्यक्रम में सीटों की संख्या, जिसके लिए संस्थान में प्रवेश दिया जाना है, इसकी सीनेट द्वारा तय की जाएगी। भारत सरकार के समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित हैं।
- आर.1.2 किसी भी वर्ष एम.टेक कार्यक्रम में प्रवेश सीसीएमटी द्वारा आयोजित एक परामर्श के माध्यम से गेट में प्रदर्शन के आधार पर होगा।
- आर.1.3 इस कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को कम से कम 8 घंटे का काम करना होता है, जैसे कि सिद्धांत या प्रयोगशाला कक्षाएं, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट इत्यादि।
- आर.1.4 विदेशी नागरिक जिन के आवेदन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वे भी पात्र हैं। विदेशी नागरिक भी स्व-वित्तपोषण योजना के तहत पात्र हैं जिसके लिए उनके दूतावास के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
- आर.1.5 एचटीटीए के साथ पूर्णकालिक छात्रों के रूप में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम गेट स्कोर सहित प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड, सीनेट द्वारा तय किया जाएगा।
- आर.1.6 आईआईआईटीडीएम कुरनूल में एमटेक कार्यक्रमों में प्रवेश की शर्तें सीसीएमटी और संस्थान की वेबसाइटों पर दी जाएंगी। तथापि, यदि किसी भी समय डीन (अकादमिक)/ संकाय प्रभारी (अकादमिक)/ निदेशक किसी भी आवश्यकता को उम्मीदवार द्वारा पूरी नहीं पाते हैं, तो डीन (शैक्षणिक)/संकायप्रभारी (अकादमिक)/निदेशक उनके कार्यक्रम में प्रवेश को रद्द कर सकते हैं।

### आर.2.0 एम. टेक पाठ्यक्रम की संरचना

आर.2.1 विशिष्टीकरण के प्रत्येक स्ट्रीम के लिए पाठ्यक्रम निर्देश में निम्नलिखित विषय होंगे :

- i. प्रमुख कोर्स/कोर कोर्स (अनिवार्य)
- ii. वैकल्पिक कोर्स
- iii. परियोजना कार्य

पाठ्यक्रम के दौरान औद्योगिक / व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना है और एक या एक से अधिक संगोष्ठी छात्र को आयोजित करना है।

आर.2.2 पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि चार सेमेस्टर का होगा। प्रत्येक सत्र में प्रत्येक विशिष्टीकरण के लिए सीनेट द्वारा उल्लेखितानुसार परियोजना कार्य और/या कोर्स कार्य करना होगा। प्रत्येक सप्ताह में लगभग 32 घंटे सामान्यतः संपर्क घंटे होंगे।

आर.2.3. सीनेट द्वारा अनुमोदित प्रत्येक पाठ्यक्रम के विशिष्टीकरण के प्रत्येक स्ट्रीम में करिकुलम और सिलबी होगा। पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा होना है कि एम. टेक पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ति करने के लिए क्रेडिट की न्यूनतम संख्या 67 और 70 से अधिक न होना है।

आर.2.4 निम्नलिखित सामान्य पैटर्न पर आधारित पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट दिया जाएगा।

क. प्रत्येक वक्रतुता अवधिके लिए एक क्रेडिट

ख. प्रत्येक प्रयोगशाला या तीन पीरियड की व्यावहारिक सत्र के लिए दो क्रेडिट दिया जायेगा।

ग. पाठ्यक्रम में उल्लेखितानुसार संगोष्ठी/ परियोजना कार्य और औद्योगिक/ व्यावहारिक प्रशिक्षक के लिए क्रेडिट दिया जाएगा।

**आर.2.5** एक छात्र को सभी मुख्य उसका / उसकी विशेषज्ञता के चयनित क्षेत्र के पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए रजिस्टर और सफलतापूर्वक उन सभी को पूरा करना होगा। फिर भी विभागीय स्नातकोत्तर समिति छात्र को किसी कोर्स के पंजीकरण न करने के लिए अनुमति दे सकता है और स्नातक में सफलतापूर्वक समाप्त किये विषय के आधार पर कोई और कोर्स दे सकता है। इसे अकादमिक पाठ्यक्रमों के डीन(अकादमी)/संकाय प्रभारी (अकादमी)/ निदेशक को सूचित करना और उनसे अनुमोदन प्राप्त करना है।

**आर.2.6** अनुमोदित कोर्स सूची में से उस विशिष्ट सेमेस्टर में विभाग द्वारा दिये जानेवाले कोर्स में से विकल्पचुनना है। फिर भी, लगभग सभी विभाग, विभाग द्वारा दी गयी सूची से इतर वैकल्पिक विषय लेने के लिए अनुमति देती है हालांकि विशिष्टीकरण और विषय से संबंधित हो और संकाय सलाहकार के अनुमोदन प्राप्त हो।

**आर.2.7** कुछ विशिष्टीकरण में छात्रों को अधिक से अधिक दो बी.टेक कोर्स के लिए पंजीकरण की अनुमति दी जाती है। संबंधित विभाग ऐसे कोर्सों को पहचानेगा और सीनेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

**आर.2.8** निर्देश का माध्यम/ पढाई का माध्यम, परीक्षा, संगोष्ठी और परियोजना रिपोर्ट आदि अंग्रेजी में होगी।

### **आर.3.0 संकाय सलाहकर**

**आर.3.1** छात्रों को अपने अध्ययन कोर्स चुनने की सहायता और अकादमी पाठ्यक्रम पर सामान्य सलाह पाने के लिए, संबंधित विभाग कुछ छात्रों को संकाय सदस्य से जोड़ेगा जिन्हें संकाय सलाहकार कहा जाएगा।

### **आर.4.0 कक्षासमिति**

**आर.4.1** एम.टेक कार्यक्रम के प्रत्येक कक्षा में एक कक्षा समिति (सीसी) होगी जिसमें संकाय और छात्र शामिल होंगे।

**आर.4.2** कक्षा समिति का गठन इस प्रकार होगा:

क. एक प्रोफेसर/ विभाग का प्रमुख जो कक्षा को पढाने से जुड़ा नहीं है, जिसे निदेशक द्वारा कक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामित किया जाएगा।

ख. उस कक्षा के लिए सिद्धांत/ प्रयोगशाला पाठ्यक्रम पढाने वाले सभी संकाय।

ग. संबंधित कक्षा से दो छात्र; तथा

घ. संबंधित कक्षा के संकाय सलाहकार।

**आर.4.3** कक्षा समिति के बुनियादी उत्तरदायित्व निम्नप्रकार है :

क. कक्षा संबंधित, छात्रों द्वारा सामना किये जानेवाले मामलों की प्रगति का आवधिक पुनरीक्षण

ख. कोर्स के मूल्यांकन के प्रकार कक्षा समिति द्वारा अध्यापक के साथ परामर्श करके किया जाएगा और सेमेस्टर की शुरुआत में ही उसे छात्रों को बता दिया जाएगा।

ग. प्रत्येक कक्षा समिति अपनी सिफारिशों को विभागाध्यक्ष और अकादमी कोर्स के डीन के यहाँ सूचित करेंगे।

घ. कक्षा समिति, बिना छात्र सदस्य के सेमेस्टर परिणाम के अंतिमरूप देने का भी उत्तरदायी है।

**आर.4.4** कक्षा समिति कम से कम वर्ष में दो बार मिलना है, एक बार सेमेस्टर के प्रारंभ में और दूसरा ग्रेड को अंतिमरूप देने के लिए सेमेस्टर के अंत में मिलना है।

### **आर.5.0 शाखा में परिवर्तन**

एम. टेक पाठ्यक्रम में एक बार प्रवेश पाने पर शाखा परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

### **आर.6.0 पंजीकरण की आवश्यकता**

**आर.6.1** पहले सेमेस्टर को छोड़कर, सेमेस्टर के लिए पंजीकरण उस सेमेस्टर के शुरू होने से पहले एक निर्दिष्ट सप्ताह के दौरान किया जाएगा। देर से पंजीकरण/ नामांकन की अनुमति पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट अंतिम तिथि से 2 सप्ताह तक समय-समय पर तय किए गए जुर्माने के साथ दी जाएगी।



**आर.6.2** एम.टेक छात्र पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यक्रमों के अलावा अतिरिक्त पाठ्यक्रम लेने के लिए पात्र हैं, अर्थात् तीसरे सेमेस्टर में एक पाठ्यक्रम और चौथे सेमेस्टर में दो से अधिक पाठ्यक्रम नहीं, अधिकतम 9 क्रेडिट के अधीन, बशर्ते एक छात्र के पास कोई बैकलॉग नहीं है और उसे पिछले सेमेस्टर के अंत तक 7.0 या उससे अधिक का सीजीपीए अर्जित करना चाहिए था। अतिरिक्त पाठ्यक्रम लेने वाले छात्रों को डीन (अकादमिक)/संकायप्रभारी (अकादमिक) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

**आर.6.3** अंतिम परियोजना सेमेस्टर के दौरान, छात्रों को आमतौर पर पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि, जिन छात्रों के पास डिग्री के लिए आवश्यक कुछ क्रेडिट की कमी है, उन्हें डीन (अकादमिक)/ संकायप्रभारी (शैक्षणिक) द्वारा परियोजना के साथ एक या दो पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण करने की अनुमति विभागाध्यक्ष द्वारा दी जा सकती है।

ऐसे मामलों में परियोजना की अवधि को सामान्य अवधि से उपयुक्त रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार एम.टेक एचटीटीए का भुगतान अधिकतम 24 महीने की अवधि के लिए ही किया जाएगा।

**आर.6.4** सेमेस्टर के शुरू होने की तारीख से दो सप्ताह तक पंजीकृत पाठ्यक्रम से निकासी की अनुमति है। किसी अन्य पाठ्यक्रम द्वारा प्रतिस्थापन की अनुमति नहीं है। यदि वे कोर कोर्स (अनिवार्य पाठ्यक्रम) की सूची से संबंधित हैं, तो उन्हें अगली बार पेश किए जाने पर वापस लेने वाले पाठ्यक्रमों को लेना होगा।

**आर.6.5** चिकित्सा आधार जैसी असाधारण परिस्थितियों में, एक छात्र को डीन (अकादमिक)/संकायप्रभारी (अकादमिक) द्वारा एक सेमेस्टर से पूरी तरह से वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है। आमतौर पर एक छात्र को केवल दो सेमेस्टर की अधिकतम निरंतर अवधि के लिए कार्यक्रम से हटने की अनुमति होगी।

#### **आर.7.0 पाठ्यक्रम को जारी करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ**

**आर.7.1** छात्र को प्रथम सेमेस्टर में न्यूनतम 10 सफलपूर्वक क्रेडिट पाना है, दूसरे सेमेस्टर के अंत में 26 सफलपूर्वक क्रेडिट और तृतीय सेमेस्टर के अंत में 36 सफल क्रेडिट रखना है।

इसका न होने पर छात्रों को उस पाठ्यक्रम से बाहर जाने के लिए कह दिया जाएगा।

**आर.7.2** उक्त के अलावा, पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए, छात्र को कम से कम 5.0 सीजीपीए रखना है जिसकी संगणना आर.23.2 में बताये गये अनुसार की जाएगी। फिर भी जारी रखने की योग्यता की सीजीपीए की संगणना में जिस कोर्स में छात्र पढ़ता है और विचारणीय अवधितक जितने सफलतापूर्वक पूरा कर चुका है उसी को लिया जाएगा। किसी छात्र की सीजीपीए ऐसी संगणना में 5.0 से कम होता है उसे चेतावनी दी जाएगी और यदि वह अगले सेमेस्टर तक प्रगति नहीं करता/करती और सीजीपीए 5.0 से कम ही है तो उन्हें पाठ्यक्रम छोड़ने के लिए कहा जाएगा।

#### **आर.8.0 पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम अवधि**

**आर.8.1** छात्र से आशा की जाती है कि एम. टेक पाठ्यक्रम को चार सेमेस्टर में पूरा करें। फिर भी तीन/चार सेमेस्टर में यदि वह अपनी परियोजना को पूरा नहीं करता है तो पूर्व अनुमति के साथ उन्हें पांचवाँ सत्र में समर्पित करने के लिए कहा जाएगा।

छात्रों को पांच सेमेस्टर के अंदर कोर्स को पूरा करना है और संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रवेश करने की तारीख से 8 सेमेस्टर में पूरा करना है जिसमें परियोजना काम भी शामिल है।

#### **आर.9.0 पाठ्यक्रम को बीच में ही छोड़ना**

**आर.9.1** छात्रों को कार्यक्रम को बंद करने और नौकरी करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते उन्होंने सभी पाठ्यक्रम कार्य पूरा कर लिया हो। परियोजना कार्य बाद की अवधि के दौरान या तो उस संगठन में किया जा सकता है जहां वे काम करते हैं यदि उसके पास आर और डी सुविधा है, या संस्थान में। ऐसे छात्रों को कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से छह सेमेस्टर के भीतर परियोजना को पूरा करना चाहिए।

किसी भी स्तर पर अपने कार्यक्रम को बाद की तारीख में पूरा करने के इरादे से अपने कार्यक्रम को बंद करने के इच्छुक छात्रों को ऐसा करने से पहले डीन (शैक्षणिक) / संकायप्रभारी (अकादमिक) / निदेशक की अनुमति लेनी चाहिए।

#### आर.10.0अनुशासन

**आर.10.1** प्रत्येक छात्र को अनुशासन का अनुपालन करना है और कैंपस के अंदर और बाहर अच्छी तरह व्यवहार करना है और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे संस्थान के मान पर कलंक हो।

**आर.10.2** छात्र के कोई भी अनुशासनहीन कार्य डीन के यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा और समय समय पर सीनेट द्वारा संस्थापित अनुशासन एवंकल्याण समिति को संदर्भित किया जाएगा।

समिति आरोपों पर पूछताछ करेगी और आरोप सही है तो उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी। उपयुक्त समितिअनुशासन और कल्याण समिति की सिफारिशों पर डीन (अकादमी)/संकाय प्रभारी (अकादमी) को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

**आर.10.3** अपील : छात्र अध्यक्ष, सीनेट के यहाँ अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा। सीनेट की अगली बैठक में डीन (अकादमी)/ संकाय प्रभारी (अकादमी) कार्रवाई की रिपोर्ट करेंगे।

**आर.10.4** किसी भी दृष्टि से रेगिंग क्रिमिनल है और हमारे देश और राज्य में गैर जमानती अपराध है और वर्तमान में केंद्रीय और राज्यों के विधान में कारावास सहित सख्त दंड का प्रावधान है। यदि कोई छात्र रेगिंग करते हुए पकड़ा गया तो उन्हें संस्थान से बाहर भेज दिया जाएगा और किसी भी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस अमानवीय कार्य में यदि कोई एक को इंकिट किया न सका तो सामूहिक दंड के लिए भी प्रावधान है। संस्थान के प्रत्येक वरिष्ठ छात्र माता-पिता सहित प्रत्येक वर्ष लिखित रूप में यह आश्वासन देगा/देगी और एनरोलमेंट के समय पर समर्पित करेगा।

#### आर.11.0उपस्थिति

**आर.11.1** छात्रों से एक पाठ्यक्रम में 100% उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, प्रत्येक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 85% वाले छात्रों, या तो सिद्धांत/ अभ्यास, को केवल अंतिम सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। न्यूनतम उपस्थिति प्रतिशत को पूरा करने में विफल रहने वाले छात्रों को अगली बार पेश किए जाने पर पाठ्यक्रम को दोहराना होगा।

**आर.11.2** प्रत्येक पाठ्यक्रम/अभ्यास के लिए छात्रों की उपस्थिति में कमी का विवरण संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से डीन (अकादमिक)/संकायप्रभारी (शैक्षणिक) को भेजा जाना चाहिए।

#### आर.12.0 छुट्टी नियम

**आर.12.1** एम. टेक के सभी छात्र जब कभी कक्षा/ परियोजना कार्य में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, छुट्टी के लिए विभागाध्यक्ष को कारण बताते हुए आवेदन देना है। अपने खाते में छुट्टी होते हुए भी यदि वह अप्राधिकृत छुट्टी है तो अनुपस्थिति के समय हेचटीटीए के लिए हकदार नहीं होंगे।

**आर.12.2** प्रत्येक सेमेस्टर के लिए 15 दिन के हिसाब से छात्रों वर्ष में 30 दिन की छुट्टी के पात्र हैं और प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय सेमेस्टर तक यह छुट्टी कैरीओवर होगी और उसी प्रकार तृतीय सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर तक कैरीओवर होगा। (यानी प्रथम वर्ष की छुट्टी को दूसरे वर्ष में कैरीओवर नहीं कर सकते) छुट्टी के पूर्व एवं बाद की सामान्य छुट्टियों को जोड़ने का प्रावधान है पर बीच की सामान्य छुट्टी को छुट्टी से काटा जाएगा।

#### आर.13.0 मूल्यांकन कार्यवाही :जांच और परीक्षण

**आर.13.1** सेमेस्टर के दौरान न्यूनतम दो सत्र मूल्यांकन के वक्तृता / वक्तृता और टुटोरियल आधारित विषय पर मूल्यांकन होगा। सत्र का मूल्यांकन, आवधिक परीक्षण, असैन्मेंट या दोनों का जो भी विषय के लिए उपयुक्त है उस रूप में होगा। कक्षा समिति में जो भी मूल्यांकन विवरण संबंधी निर्णय होगा उसे प्राध्यापक द्वारा सेमेस्टर के प्रारंभ में ही छात्रों को बताया जाएगा।

**आर.14.0 सेमेस्टर अंत परीक्षा**

**आर.14.1** विषय आधारित प्रत्येक वक्तृता में 3 घंटे की अवधिकी परीक्षा सेमेस्टर के अंत में होगा। यदि प्रयोगशाला संबंधी विषय हो तो अंतिम परीक्षा हो भी सकती है और न भी हो सकती है। परियोजना के मामले में, परियोजना कार्य की समाप्ति पर एक मौखिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।

**आर.15.0 परियोजना मूल्यांकन**

**आर.15.1** छात्र सभी कोर और वैकल्पिक कोर्स की आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप में पूरा करने पर ही परियोजना के मूल्यांकन कार्य लिया जाएगा।

**आर.16.0 वेटेज**

**आर.16.1** विभिन्न विषयों के लिए निम्नलिखितानुसार वेटेज दिया जाएगा।

क. वक्तृता या वक्तृता और ट्यूटोरियल आधारित विषय:

सत्र मूल्यांकन : न्यूनतम 40%

सत्रांत परीक्षा : न्यूनतम 40%

ख. प्रयोगशाला आधारित विषय :

सत्र मूल्यांकन 75 से 100%

अंतिम परीक्षा, यदि होती है तो 25%

**आर.16.2** सभी परीक्षण ट्यूटोरियल/ असैन्मेंट्स (यदि कोई हो तो), प्रयोगशाला कार्य और परीक्षा के लिए मार्किंग्स निरपेक्ष आधार पर होगा। आर 19.1 में दिये गये वेटेज के आधार पर प्रत्येक विषय के लिए अंतिम अंक की प्रतिशतता की गणना की जाएगी।

**आर 17.0 मेक-अप परीक्षा**

**आर.17.1** वैध कारणों से यदि कोई छात्र सत्र मूल्यांकन नहीं दे पाया है तो अनुपस्थिति का कारण बताते हुए अकादमिक अनुभाग को आवेदन करना है और प्राध्यापक इन अनुरोध की उपयुक्तता पर विचार किया जाएगा।

**आर.17.2** वैध कारणों पर कोई छात्र सत्रांत परीक्षा नहीं दे पाया तो डीन (अकादमी) / संकाय प्रभारी (अकादमिक) को छुटी गयी परीक्षा की तारीख से दस दिन के अंदर आवेदन देना है। विषय/ विषयों में मेक-अप परीक्षा के लिए बैठने की अनुमति असाधारण परिस्थिति में जैसे अस्पताल में भर्ती या छात्र का कोई दुर्घटना आदि में दी जाती है। एक छात्र जो इस मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाता उसे दूसरी बार मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती है।

फिर भी असाधारण बीमारी के मामलों में जिससे छात्र मेक-अप परीक्षा लिख नहीं पाते हैं तो डीन (अकादमी)/ संकाय प्रभारी (अकादमिक) / सीनेट के अध्यक्ष के साथ परामर्श करके छात्र को दूसरा मेक-अप परीक्षा लिखने की अनुमति दी जा सकती है।

**आर.17.3** चिकित्सा आधार पर छुट्टी आवेदन देने पर, छात्रावास में रहनेवाले छात्रों को संस्थान के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है।

कैंपस से बाहरस्थायी रूप से/ अस्थायी रूप से रह रहे छात्र पंजीकृत चिकित्सा देनेवाले डाक्टर से चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना है जिसपर माता-पिता/अभिभावकों से मेक-अप परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगते हुए अग्रेषित किया जाना है।

डीन (अकादमी)/ संकाय प्रभारी (अकादमिक) अपने स्वविचार से अपने निर्णय का कारण बताते हुए छात्र को मेक-अप परीक्षा देने की अनुमति दे सकते हैं।

**आर 18.0 संवर्ग में छात्रों का विषय वार ग्रेडिंग****आर.18.1 अक्षर ग्रेड्स**

सेमेस्टर कार्यनिष्पादन के आधार पर, प्रत्येक छात्र को अंतिम अक्षर ग्रेड प्रत्येक विषय में दिया जाता है। अक्षर ग्रेड और उससे इंकित होनेवाले ग्रेड पाइंट्स का विवरण निम्नप्रकार है।

ग्रेड	पाइंट
एस	10
ए	9
बी	8
सी	7
डी	6
ई	4
यू	0(अयोग्य /विफलता)
डब्ल्यू	0 न्यूनतम उपस्थिति के लिए पंजीकरण रद्द किया गया है
पी, हेच	उत्तीर्ण/ पूरा किया गया है
एफ, एल	अनुत्तीर्ण/ अपूर्ण

**आर.18.2** एक छात्र को एक विषय को सफलतापूर्वक पूरा करने और क्रेडिट अर्जित करने के लिए माना जाता है यदि वह उस विषय में U या W या I के अलावा एक समग्र अक्षर ग्रेड प्राप्त करता है।

किसी भी विषय में ग्रेड U या W अक्षर का मतलब उस विषय में फेल होना है। सफलतापूर्वक पूरा किया गया विषय दोहराया नहीं जा सकता।

**आर.18.3** ग्रेड सापेक्ष आधार पर दिए जाते हैं।

**आर.19.0 ग्रेड प्रदान कराने की पद्धति।**

**आर.19.1** सत्रांत सेमेस्टर परीक्षा के अंतिम दिन से सात दिनों के अंदर कक्षा समिति की अंतिम बैठक छात्र सदस्य के बिना बुलाई जाएगी। छात्रों को विभिन्न विषयों के लिए दिये जानेवाले अक्षर ग्रेड का निर्णय लिया जाएगा।

**आर.19.2.** प्रत्येक विषय के लिए जिसमें अंतिम ग्रेड हो के परिणाम शीट दो प्रतियाँ और निरपेक्ष अंक के दो प्रतियाँ, अंतिम ग्रेड प्राध्यापक द्वारा संबंधित कक्षा समिति के अध्यक्ष को समर्पित किया जाना है।

कक्षा समिति बैठक में ग्रेड के अंतिम निर्णय लेने के बाद : एक प्रति निरपेक्ष अंक के साथ और एक निरपेक्ष अंक के बिना केवल ग्रेड के साथ कक्षा समिति के अध्यक्ष से डीन(अकादमिक)/ संकाय प्रभारी (अकादमिक) को अग्रेषित किया जाएगा।

अंतिम ग्रेड, निरपेक्ष अंक के साथ एक प्रति कोर्स के विभागाध्यक्ष को दिया जाना है।

**आर.20.0 परिणाम की घोषणा**

**आर.20.1** प्रत्येक विषय में छात्रों को प्रदान किये जानेवाले अक्षर ग्रेड संस्थान के वेबसाइट पर अंतिम कक्षा समिति बैठक के तुरंत बाद प्रकाशित किया जाएगा।

**आर.20.2** एक बार सम्मानित किया गया डब्ल्यू ग्रेड छात्र के रिकॉर्ड में रहता है और जब वह उस विषय को बाद में सफलतापूर्वक पूरा करता है तो उसे हटा दिया जाता है। उसके द्वारा अर्जित ग्रेड को उपयुक्त सेमेस्टर के ग्रेड कार्ड में उस पाठ्यक्रम में किए गए प्रयासों की संख्या के संकेत के साथ दर्शाया जाएगा।

**आर.20.3** छात्र द्वारा प्राप्त 'यू' ग्रेड को बाद में उस विषय को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ग्रेड कार्ड से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, उस पाठ्यक्रम में छात्र द्वारा किए गए प्रयासों की संख्या को ग्रेडकार्ड में दर्शाया जाएगा।

**आर.21.0 उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः जांच**

**आर.21.1** छात्रों द्वारा सीखने की प्रक्रिया के रूप में और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, परीक्षा/परीक्षा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कक्षा परीक्षणों, माइनरस, असाइनमेंट आदि में सुधार के बाद उत्तरपुस्तिकाएं छात्रों को दिखाई जाएंगी। कक्षा समीक्षा समिति में माइनरस में छात्रों के प्रदर्शन पर चर्चा की जाएगी।

**आर.21.2** अंतिम सेमेस्टर परीक्षा की लिपियों के मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, उन उत्तरपुस्तिकाओं को भी ग्रेड के अंतिम रूप से एक दिन पहले तक छात्रों को दिखाया जाएगा। एक बार ग्रेड तय हो जाने के बाद, छात्र को अपनी उत्तरपुस्तिकाओं को सत्यापित करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

**आर.21.3** छात्र संस्थान की वेबसाइट पर परिणामों के आधिकारिक प्रकाशन की तारीख से 20 दिनों के भीतर किसी भी मध्यस्थता के लिए डीएएसी से अपील कर सकता है।

**आर.21.4 उत्तर लिपियों का निपटान**

पाठ्यक्रम से संबंधित उत्तरपुस्तिकाओं को परिणाम की घोषणा की तारीख से 6 महीने की अवधि के लिए संकाय द्वारा संरक्षित किया जाएगा। इस अवधि के बाद, संस्थान द्वारा इसे स्कैप के रूप में निपटाया जाएगा।

**आर.22.0 कोर्स पुनरावृत्ति**

**आर.22.1** किसी भी मुख्य विषय में 'यू' या 'डब्ल्यू' ग्रेड हासिल करने वाले छात्र को अगली बार पेश किए जाने पर इसे अनिवार्य रूप से दोहराना होगा।

**आर.22.2** किसी भी वैकल्पिक विषय में 'यू' या 'डब्ल्यू' ग्रेड हासिल करने वाले छात्र को अगली बार पेश किए जाने पर पाठ्यक्रम को दोहराना हो गया वह एक सफल ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक और समकक्ष वैकल्पिक पाठ्यक्रम पंजीकृत कर सकता है।

**आर.23.0 ग्रेड कार्ड**

**आर.23.1** प्रत्येक छात्र को सेमेस्टर के अंत में जारी किए गए ग्रेड कार्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क. उस सेमेस्टर के लिए पंजीकृत प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट।

ख. प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्राप्त पत्र ग्रेड

ग. उस सेमेस्टर के अंत तक छात्र द्वारा अर्जित क्रेडिट की कुल संख्या।

घ. उस सेमेस्टर में लिए गए सभी पाठ्यक्रमों का सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज (SGPA)।

ड. पहले सेमेस्टर से लेकर वर्तमान सेमेस्टर तक लिए गये सभी पाठ्यक्रमों का संचयी ग्रेड बिंदु औसत अंतिम सेमेस्टर ग्रेड कार्ड में दिखाया जायेगा।

**आर.23.2** ग्रेड पॉइंट एवरेज (जीपीए) निम्नलिखित सूत्र द्वारा संगणित किया जाएगा।

$$GPA = \frac{\sum_i (C_i \times GP)}{\sum_i C_i}$$

जहाँ  $C_i$  = कोर्स के क्रेडिट, जीपी = कोर्स के लिए प्राप्त ग्रेड पॉइंट और  $\sum_i C_i$  = उस सेमेस्टर में लिये गये सभी पाठ्यक्रम में क्रेडिट के कुल, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड भी शामिल है।

इसी प्रकार के फार्मुला क्युमिलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए) के लिए भी अपनाया जाता है जिसमें  $\sum_i C_i$  उस अवधितक के सभी पूरे किये गये सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रम के क्रेडिट के कुल दर्शाया जाएगा, जिसमें छात्र द्वारा लिये गये यू या डब्ल्यू ग्रेड भी शामिल होगा।

**आर.23.3** एम.टेक कार्यक्रम के अंत में छात्रों को कोई श्रेणी/ डिवीजन/ रैंक प्रदान नहीं किया जाएगा। सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने का फॉर्मूला सीजीपीए\*10 है।

**आर.24.0 उद्योग या अन्य संगठन में परियोजना कार्य**

**आर.24.1** जो छात्र उद्योगों/अनुसंधान एवं विकास संगठनों में अपना परियोजना कार्य करना चाहते हैं, उन्हें तीसरे/अंतिम सेमेस्टर के दौरान ऐसे संगठनों में अपना परियोजना कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

**आर.24.2** ऐसे छात्रों के अनुरोध पर एक विभागीय समिति जांच करेगी और तय करेगी

- i. एक आंतरिक गाइड (संस्थान के एक संकाय सदस्य) परियोजना कार्य क्षेत्रसहित और
- ii. बाह्य गाइड (उद्योग के वैज्ञानिक या इंजीनियर).

**आर.24.3** उक्त विवरण विभागाध्यक्ष के जरिए डीन (अकादमिक)/संकाय प्रभारी (अकादमिक) को देना है, समर्पित करना है और परियोजना शुरू करने के पहले डीन की अनुमति प्राप्त करनी है।

**आर.24.4** उद्योग में परियोजना करने के लिए अनुमति प्राप्त छात्र को ट्यूशन शुल्क और अन्य शुल्क संस्थान को तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के लिए अदा करना है।

**आर.24.5** उद्योग/ अनुसंधान एवं विकास संगठनों में अपना परियोजना कार्य करने वाले छात्रों को केवल एक स्रोत से ही वजीफा लेने की अनुमति है।

**आर.25.0 हाफ-टाइम शिक्षण एसिस्टेंटशिप**

**आर.25.1** गेट अंक के आधार पर जिन छात्र एम. टेक में प्रवेश पाने योग्य हुए हैं और संस्थान के पूर्णकालीन छात्र के रूप में शामिल हुए हैं, समय समय पर संस्थान द्वारा सूचित हेचटीटीए के पुरस्कार के लिए योग्य होंगे।

**आर.25.2** स्व-वित्तीय विदेशी हेचटीटीए के लिए हकदार नहीं हैं।

**आर.26.0 एम. टेक पाठ्यक्रम के लिए योग्यता**

**आर.26.1** निम्नलिखित योग्यताएँ रखने पर कोई छात्र एम. टेक उपाधिके लिए योग्य होंगे :

- (1) पंजीकृत और सफलतापूर्वक सभी कोर कोर्स और परियोजना को पूरा किया हो
- (2) निर्धारित अवधिके अंदर अपने स्ट्रीम के पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम क्रेडिट सफलतापूर्वक पाये हो
- (3) संस्थान, पुस्तकालय और छात्रावास को कुछ देय न हो
- (4) उनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई हो
- (5) छात्र जो विदेश के विश्व विद्यालय के संदर्शन परिवर्तन पाठ्यक्रम के तहत करते हैं क्रेडिट अंतरण के लिए निम्नलिखित को अपनाया जाएगा:

ग्रेड शीट में इंकित क्रेडिट/ग्रेड का उपयोग जो उस विश्व विद्यालय से प्राप्त है जहाँ छात्र अपना पाठ्यक्रम किया है, छात्र द्वारा ट्रांस्क्रिप्ट्स के अंश के रूप में करना चाहिए।

आईआईआईटीडीएम ट्रांस्क्रिप्ट्स केवल, आईआईआईटीडीएम में पूरा किये कोर्स, क्रेडिट और ग्रेड को दर्शाता है और उस विशिष्ट सेमेस्टर में अन्य विश्व विद्यालय में पाये गये (ग्रेड के बिना) क्रेडिट को दर्शाता है।

केवल संस्थान में किए गए क्रेडिट के आधार पर सीजीपीए गणना को पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार किया जाना है।

डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम आवश्यक क्रेडिट की गणना के लिए विदेशों में विश्वविद्यालयों में अर्जित क्रेडिट पर विचार किया जाएगा।

**आर.26.2** उपाधि, सीनेट की सिफारिश और संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित होना है।

**आर.27.0 संशोधन की शक्ति**

उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का अधिकार सीनेट रखती है।

**अध्यादेश और विनियम****पी.एच.डी. कार्यक्रम****अध्यादेश**

1. एक उम्मीदवार जिसने संस्थान के विनियम के अनुसार इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंस में मास्टर डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त की है, वह इस संस्थान के क्रमशः इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी या विज्ञान में पी एच डी कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
2. उम्मीदवार जो इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी की स्नातक उपाधि, असाधारण श्रेष्ठ शैक्षणिक परिदृश्य उस विधा में रखता हो जिसका निर्धारण संस्थान के विनियम में किया गया है वे भी इस संस्थान के इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी के पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन देने के लिए योग्य हैं।
3. संस्थान की विनियमन के अनुसार पीएचडी डिग्री पुरस्कार दिया जाएगा।

**विनियम****आर.1 प्रवेश के संवर्ग**

इस संस्थान के पीएचडी पाठ्यक्रम में उम्मीदवारों को प्रवेश निम्नलिखितों में से किसी एक संवर्ग में दिया जाएगा।

- (i) संस्थान के फेलोशिप के साथ या बिना या परियोजना सपोर्ट के साथ नियमित पूर्ण कालीन विद्वान
- (ii) अनुसंधान विद्वान जो संस्थान के स्टाफ सदस्य हैं।

**आर.2 योग्यताएँ****आर.2.1 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ/**

इस संस्थान के पीएचडी पाठ्यक्रम में नियमित पूर्ण-कालीन विद्वानों के रूप में प्रवेश पाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ निम्नप्रकार है :

**आर.2.1.1 इंजीनियरिंग में पीएचडी**

क. उम्मीदवार जिसके पास इंजीनियरिंग / टैक्नोलॉजी में अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरिंग / टैक्नोलॉजी विधा में अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ अनुसंधान द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि।

ख. उम्मीदवार जिसकी योग्यता इंजीनियरिंग / टैक्नोलॉजी में स्नातक है, पर असाधारण अच्छा शैक्षणिक रिकार्ड योग्य विधा में है तो सीधे पीएचडी प्रवेश के लिए विचार किया जा सकता है। नियमित पूर्णकालीन विद्वान के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकता है :

- आईआईटी के बी.टेक उपाधि धारक, 10.0 पाइंट की तुलना में 8.0 के न्यूनतम सीजीपीए और वैध गेट स्कोर रखता हो।
- किसी अन्य विश्व विद्यालय से जो विश्व विद्यालय के सबसे शीर्ष दस रैंक में एक धारक हो, इंजीनियरिंग / टैक्नोलॉजी में स्नातक उपाधि और वैध गेट स्कोर रखता हो।
- विख्यात अनुसंधान व विकास संगठन से इंजीनियरिंग व टैक्नोलॉजी के स्नातक उपाधि धारक और अच्छा अनुसंधान रिकार्ड रखता हो

**आर 2.1.2 विज्ञान में पीएचडी**

विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ और वैध गेट स्कोर या यूजीसी/सीएसआईआर-नेट/एनबीहेचएम या संबंधित क्षेत्र में पंजीकरण वर्ष में समतुल्य लायक योग्यता/ इंजीनियरिंग/ टैक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड के साथ/ आईआईटी के बीटेक उपाधि धारक के उम्मीदवार जिसके सीजीपीए 10.0 के लिए न्यूनतम 8.0 हो और वैध गेट स्कोर रखता हो।

चयन समिति प्रवेश अधिसूचना में सूचीबद्ध विषयों के अलावा अन्य विषयों के मेधावी उम्मीदवारों पर विचार कर सकती है यदि उम्मीदवार की शैक्षिक / अनुसंधान पृष्ठभूमि और अनुसंधान के प्रस्तावित क्षेत्र के बीच एक अच्छा मेल है।

प्रवेश अधिसूचना में अंतर-अनुशासनात्मक अनुसंधान क्षेत्रों के बारे में विवरण भी शामिल होगा, जो कि पीएचडी डिग्री और संस्थान द्वारा दिए गए संबंधित विषयों / विशेषज्ञता के लिए अनुसंधान विद्वानों द्वारा अनुसरण किया जा सकता है।

आर.2.1 में दी गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अलावा अतिरिक्त मानदंड चयन समिति द्वारा समय-समय पर उम्मीदवारों को परीक्षण और/ या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए निर्धारित किया जा सकता है।

#### आर.2.2 एम.एस./एमटेक से पी.हच.डी पाठ्यक्रम के पंजीकरण के अपग्रेडेशन

मेरिटोरियस उम्मीदवार जो एम.एस./एमटेक पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत किया है, वह पीएचडी पाठ्यक्रम के पंजीकरण में अपग्रेडेशन अद्यतन करने के लिए योग्य है बशर्ते निम्नलिखित मानदंड के अनुकूल हो :

- (i) उम्मीदवार के एम.एस./एमटेक पाठ्यक्रम में कम से कम 2 सेमेस्टर सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए।
- (ii) निर्धारित कोर्स में 8.0. के न्यूनतम सीजीपीए।

एम.एस.विद्वान के मामले में, एम.एस.विद्वान के सामान्य परीक्षण समिति उसी गाइड के पर्यवेक्षण के तहत पीएचडी अपग्रेडेशन के लिए आवेदन पर विचार करेगा और अपनी सिफारिशों को सीनेट को देगा। यदि अनुमोदन हो तो, एक डाक्टोरल समिति जैसे आर.9 में उल्लिखित है उसका गठन सामान्य परीक्षण समिति के स्थान पर किया जाएगा।

एमटेक विद्वान के मामले में, निदेशक/ उप निदेशक द्वारा पीएचडी के अपग्रेडेशन के लिए दिये गये आवेदन पर विचार करने के लिए विधिवत एक समिति का गठन किया जाएगा जो अपनी सिफारिशों को सीनेट को देगा। यदि अनुमोदन हो तो, एक डाक्टोरल समिति जैसे आर.9 में उल्लिखित है उसका गठन किया जाएगा और आर.6 के अनुसार गाइड की नियुक्ति होगी।

पीएचडी पाठ्यक्रम में अपग्रेड होने के बाद एक सेमेस्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा दो कोशिशों में उम्मीदवारों को व्यापक परीक्षा (आर.12ए) उत्तीर्ण होना होगा।

उम्मीदवार को सीधे स्नातक से आये उम्मीदवार के समान माना जाएगा लेकिन एम.एस./ एमटेक रजिस्ट्रेशन के तहत रहे रेसिडन्सी अवधि और कोर्स वर्क को पीएचडी पाठ्यक्रम में डाक्टोरल समिति द्वारा निर्णय किये अनुसार क्रेडिट किया जाएगा।

#### आर.3 अंतर्राष्ट्रीय छात्र

विदेशी नागरिक को केवल नियमित पूर्णकालीन विद्वानों के रूप में ही पंजीकृत किया जा सकता है। विदेशी नागरिक जो भारतीय विश्व विद्यालयों से उपाधि पाया है प्रवेश के लिए भारतीय के समतुल्य रूप में माना जाएगा। विदेशी नागरिक जो विदेश में पाये उपाधि रखता है आर 2.1 में दी गयी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी। विधा में भारतीय स्नातकोत्तर उपाधि की समतुल्य उपाधि, इसके अलावा वैध जीआरई/ जीमेट/ गेट/ नेट/ आईकेट/ जेमेट/ टोफल या समतुल्य परीक्षा में संबंधित विधा में स्कोर रखना है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कामकाजी अंग्रेज़ी मालूम होना चाहिए। प्रवेश पाने पर, संस्थान भारत सरकार से भारत में अध्ययन करने के लिए आवश्यक क्लियरंस के लिए आवेदन देगा।

#### आर.4.चयन प्रक्रिया

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और निदेशक/ उप निदेशक द्वारा समय समय पर लागू किये जानेवाले अतिरिक्त मानदंड रखनेवाले योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार और/या परीक्षण के लिए चयन समिति द्वारा बुलाया जाएगा।

उम्मीदवार जो अंतिम आवेदन तारीख से दस वर्ष पहले स्नातकोत्तर उपाधि पाये हैं तो एक विनिर्दिष्ट परीक्षण चलाया जा सकता है।

विदेशी नागरिकों से पाये गये आवेदन पर बिना वैयक्तिक साक्षात्कार/ परीक्षण विचार किया जा सकता है।

उम्मीदवारों के अकादमी रिकार्ड, साक्षात्कार और/या परीक्षण में कार्यनिष्पादन के आधार पर चयन समिति सीनेट के अध्यक्ष को पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों की सूची की सिफारिश करेगी।



**आर.5 प्रवेश**

- क. उम्मीदवारों का चयन जो सीनेटके अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित है निर्धारित शुल्क भरने के बाद पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।
- ख. किसी भी कारण से पूर्व पंजीकरण को रद्द करने के बाद सामान्यतः पुनः पंजीकरण के लिए कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है। वैयक्तिक मामलों में पक्ष विपक्ष के आधार पर और विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार के पुनः पंजीकरण पर विचार किया जाएगा।

**आर.6 गाइड/गाइडों का विकल्प**

- क. अनुसंधान विद्वान और गाइडों द्वारा दिये गये पसंद पर विचार करते हुए निदेशक द्वारा गाइडों को अनुसंधाताओं का आबंटन किया जाएगा।
- ख. एक अनुसंधान विद्वान को अधिकतम दो गाइड नियुक्त किया जायेगा।

**आर.7 गाइड होने की योग्यताएँ**

पीएचडीविद्वानों के लिए निम्नलिखित सदस्य गाइड के रूप में हो सकते हैं:

- संस्थान के सभी संकाय सदस्य
- संस्थान के डाक्टोरल उपाधि रखे वैज्ञानिक/अभिकल्प कर्मचारी/ सेवानिवृत्त संकायसदस्य/ समिरिटस संकाय जो जारी रखते हैं, गाइड के रूप में काम कर सकते हैं।

क. जब एक संकाय सदस्य, कम से कम 3 वर्ष के लिए जब किसी को गाइड करता है, सेवानिवृत्त होता है, वह गाइड के रूप में अपना कार्य जारी रखेगा। फिर भी अतिरिक्त रूप में एक सह-गाइड की नियुक्ति की जाएगी जो सेवा में हैं। सेवानिवृत्त हुए गाइड को डाक्टोरल समिति, सारांश प्रस्तुति और मौखिक परीक्षा की बैठकों में बुलाया जाएगा।

ख. एक संकाय सदस्य जो 3 वर्ष के अंदर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, उसे अन्य संकाय सदस्य के साथ एक नए विद्वान के लिए गाइड बनने की अनुमति दी जा सकती है जो पंजीकरण के समय सह गाइड के रूप में कम से कम 5 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होने की संभावना नहीं है। सेवा निवृत्त होने पर संकाय सदस्य गाइड के रूप में जारी रहेंगे और डाक्टोरल और मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किये जाएंगे।

ग. सीएसआईआर और अन्य एमिरिटस फेलो/ वैज्ञानिक/ एमिरिटस प्रोफसर जो इस संस्थान में 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए काम कर चुके हैं, विद्वानों के लिए सह-गाइड के रूप में आईआईआईटीडी व एम के साथ रह सकते हैं बशर्ते विद्वान के पंजीकरण के समय कम से कम पांच वर्ष की सेवा बाकी हो।

घ. संकाय सदस्य गाइड होने के मामले में, यदि एक वर्ष से अधिक समय के लिए छुट्टी पर जाते हैं तो दूसरे संकाय सदस्य को पहचाना जाएगा जो अनुसंधान विद्वान के सह-गाइड होंगे।

ड. अनुसंधान विद्वान के पंजीकरण के तीन वर्ष के बाद नये गाइड को लेने पर डाक्टोरल समिति विचार करेगा।

**आर.8 गाइड का परिवर्तन/जोड़**

अनुसंधान विद्वान के डाक्टोरल समिति गाइड के परिवर्तन या सह गाइड की नियुक्ति के लिए वैध कारणों के लिए सिफारिश कर सकती है।

**आर.9 डाक्टोरल समिति**

एक शोधार्थी के लिए, उसका मार्गदर्शक निर्धारित प्रपत्र को विधिवत भरकर, संस्थान के प्रमुख या उसके नामिती को, अनुसंधान के क्षेत्र, मार्गदर्शक (मार्गदर्शकों) के नाम और संकाय सदस्यों को उनके विशेषज्ञता के साथ उस शोध छात्र की डॉक्टरेट समिति के गठन के लिए संसूचित करेगा। इसे एक शोधार्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

## 2. डाक्टरल समिति का गठन निम्नप्रकार होगा :

1.	संस्थान के प्रधान या उसके द्वारा नामांकित	अध्यक्ष
2.	अनुसंधान गाइड	सदस्य
3.	आईआईआईटीडी व एम से कम से कम दो संकाय	सदस्य
4.	अन्य विख्यात अकादमी संस्थान से एक संकाय सदस्य	सदस्य

यदि कोई सदस्य एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए छुट्टी पर जाते हैं या संस्थान से पदत्याग करते हैं, अध्यक्ष, सीनेटया उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अध्यक्ष, डाक्टरल समिति या उसके द्वारा नामांकित के सलाह पर दूसरा सदस्य को नामित करेगा। वैज्ञानिक/ अभिकल्पना कर्मचारी और अन्य जो पीएचडी विद्वानों को गाइड करते हैं को डाक्टरल समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

### आर. 10.0 पंजीकरण

- क. डाक्टरल समिति सामान्यतः संगठित होने के एक सप्ताह के अंदर मिलेगी जहाँ, अनुसंधान विद्वान अपनी प्रस्तुति करेंगे। डाक्टरल समिति पीएचडी पाठ्यक्रमके लिए पंजीकरण दिनांक नियत या अनुमोदन करेगा। इस बैठक में प्रस्तावित अनुसंधान शीर्षक और अध्ययन के कोर्स को निर्धारित या अनुमोदित करेगा।
- ख. अनुसंधान विद्वान जो बाह्य अभिकरण द्वारा समिथत परियोजना में लगा है उनको प्रवेश पाने की तारीख से छः महीने तक पीछे की तारीख डाक्टरल समिति के कारण सहित बताने पर दिया जा सकता है। डाक्टरल समिति की सिफारिश के आधार पर सीनेटएक और छः महीने पीछे की तारीख से दे सकता है।

### आर.11 कोर्स काम

डाक्टरल समिति सामान्यतः 12 क्रेडिट के पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी। यदि आवश्यक हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम संस्थान के स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों से होंगे।

क. इंजीनियरिंग में शोध छात्र न्यूनतम 12 क्रेडिट के साथ निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। ऐसे मामलों में जहां छात्र को इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री के साथ इंजीनियरिंग में पीएच.डी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश दिया जाता है, छात्र को न्यूनतम 24 क्रेडिट के साथ निर्धारित पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए।

ख. विज्ञान में अनुसंधान विद्वान न्यूनतम 16 क्रेडिट के साथ निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। ऐसे मामलों में जहां छात्र को इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री के साथ विज्ञान में पीएच.डी कार्यक्रम में सीधे प्रवेश दिया जाता है, छात्र को न्यूनतम 24 क्रेडिट के साथ निर्धारित पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए।

ग. एम.एस./पी.एच.डी कार्यक्रम से एक उम्मीदवार के पंजीकरण के उन्नयन के मामले में, एमएस/एम.टेक कार्यक्रम में उम्मीदवार द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किए गए पाठ्यक्रमों को डाक्टरल समिति द्वारा पाठ्यक्रम कार्य की आवश्यकता के लिए विचार किया जा सकता है। डाक्टरल समिति जहां भी आवश्यक हो, उम्मीदवार के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है।

घ. डाक्टरल समिति इस संस्थान या अन्य संस्थानों में पहले से ही एक शोध छात्र द्वारा किए गए पाठ्यक्रमों को क्रेडिट दे सकती है, बशर्ते वे निर्धारित के समान या समकक्ष हों, और उनमें विद्वान का प्रदर्शन स्तर न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता हो। डाक्टरल समिति जहां भी आवश्यक हो, शोधार्थियों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है।

### ड. ग्रेड

सेमेस्टर कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रत्येक छात्र को प्रत्येक विषय में सेमेस्टर के अंत में अंतिम ग्रेड प्रदान किया जाएगा। ग्रेड और उससे इंगित ग्रेड पाइंट निम्न प्रकार है :

ग्रेड	पाइंट
एस	10

ए	9
बी	8
सी	7
डी	6

अनुसंधान विद्वान उनके द्वारा लिये गये कोर्स में न्यूनतम 7.5 सीपीजीएलाना होगा, निर्धारित कोर्स में “सी” ग्रेड के न्यूनतम के अधीन है। यदि न्यूनतम से अधिक आवश्यक लिया गया है तो सीजीपीए की गणना के लिए सर्वोत्तम अंक लिये विकल्प को लिया जाएगा।

एक छात्र को तभी सफलतापूर्वक विषय पूरा किया हुआ माना जाएगा जब ग्रेड डी से इतर ग्रेड पाया हो। यदि एक बार विषय सफलतापूर्वक पूरा किया हुआ तो उसे पुनः नहीं लिखा जा सकता है।

जीपीए की गणना निम्नलिखित फार्मुला द्वारा की जाएगी

$$GPA = \Sigma(C \times GP) \div \Sigma C$$

जहाँ C कोर्स के लिए क्रेडिट है और GPA सफलतापूर्वक पूरा किये कोर्स में प्राप्त ग्रेड पाइंट।  $\Sigma C$  उस सेमेस्टर में लिए गए सभी पाठ्यक्रम में क्रेडिट के कुल।

## आर.12.प्रगति रिपोर्ट

क. एक पंजीकृत अनुसंधान विद्वान एक लिखित रिपोर्ट प्रथम तीन वर्ष वार्षिक तौर पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा और उसके बाद प्रत्येक छः महीनों में एक बार प्रस्तुत करना होगा। रिपोर्ट डाक्टोरल समिति के माध्यम से अकादमिक अनुभाग को भेजा जाना चाहिए।

ख. प्रत्येक सेमेस्टर में अनुसंधान विद्वान द्वारा की गयी प्रगति का पुनरीक्षण डाक्टोरल समिति करेगा।

डाक्टोरल समिति की सिफारिश के आधार पर पंजीकरण को जारी रखना और पुरस्कार/छात्रवृत्ति जारी रखना/अनुसंधान एसिस्टेन्टशिप होगा। अपर्याप्त प्रयास/प्रगति के कारण पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है।

## आर.12a व्यापक परीक्षा

क. प्रत्येक पीएचडी विद्वान व्यापक परीक्षा लेगा और संतोषजनक रूप में परिणाम पाना होगा। व्यापक परीक्षा के दौरान व्यापक परीक्षा समिति अध्यक्ष, तथा जिसमें डाक्टोरल समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित एक पर्यवेक्षक और संस्थान के कम से कम दो अन्य संकाय होंगे।

- व्यापक परीक्षा में अनुसंधान विद्वान का कार्यनिष्पादन यदि प्रथम बार संतोषजनक नहीं है तो उन्हें परीक्षा लिखने की तारीख से छः महीने के अंदर एक और बार व्यापक परीक्षा लिखने का मौका दिया जाएगा।
- अनुसंधान विद्वान के पंजीकरण, जो दो कोशिशों के बावजूद व्यापक परीक्षा उत्तीर्ण होने में असफल हुआ हो, उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- व्यापक परीक्षा का उद्देश्य यह है कि अनुसंधान विद्वान के सामान्य क्षमता का परीक्षण उनके अनुसंधान क्षेत्र में करना होगा। व्यापक परीक्षा में सामान्यतः लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा या मौखिक परीक्षा होगी।
- व्यापक परीक्षा समिति अनुसंधान विद्वान को पर्याप्त समय पूर्व व्यापक परीक्षा चलाये जाने की तारीख को सूचित करना होगा ताकि विद्वान पर्याप्त रूप में उसके लिए तैयार हो।

ख. पीएचडी अनुसंधान विद्वान व्यापक परीक्षा को पीएचडी में पंजीकरण करने की तारीख से एक वर्ष के अंदर व्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने की आशा की जाती है और किसी भी हालत में पीएचडी में पंजीकरण करने की तारीख से तीन सेमेस्टर से अधिक समय न लिया गया हो।

## आर.13 पंजीकरण

सभी अनुसंधान विद्वान जिनका पंजीकरण जारी है उनको आवश्यक शुल्क अदा करने के बाद, थीसिस समर्पित करने तक प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित तारीख को पंजीकरण करना होगा।

**आर.14 थीसिस जमा करने के लिए न्यूनतम अवधि**

क. नियमित पूर्ण कालीन अनुसंधान विद्वान को इंजीनियरिंग में पीएचडी पाठ्यक्रम में पंजीकरण करने की तारीख से अध्ययन और अनुसंधान तथा थीसिस समर्पित करने के लिए न्यूनतम अवधि 24 महीने हैं तथा इंजीनियरिंग / टैकनोलाजी में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वालों के लिए और निम्नलिखितों के लिए 36 महीने हैं

- (i) इंजीनियरिंग/टैकनोलाजी में स्नातक उपाधि के साथ सीधे पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाये अनुसंधान विद्वानों के लिए।
- (ii) एम.एस./एमटेक से अपग्रेड होकर पीएचडी पाठ्यक्रम में भर्ती हुए अनुसंधान विद्वान।
- (iii) विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखनेवाले अनुसंधान विद्वानों के लिए।

ख. नियमित पूर्ण कालीन अनुसंधान विद्वान को विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में पीएचडी पाठ्यक्रम में पंजीकरण करने की तारीख से अध्ययन और अनुसंधान के लिए न्यूनतम अवधि 24 महीने हैं और उसके अंदर थीसिस समर्पित करना होगा।

ग. डाक्टरल समिति की विधिवत सिफारिश पर अस्वस्थ या अन्य वैध कारणों से सेमेस्टर या उससे लम्बी अवधि के लिए पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

**आर.15. काम करने के लिए पीएचडी पाठ्यक्रम से भारमुक्ति**

पीएचडी विद्वान जिसको नौकरी की पेशकश मिली हो, पाठ्यक्रम से राहत दी जा सकती है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तों पर प्रत्येक सेमेस्टर के भुगतान भरकर पंजीकरण को सक्रिय रखा जा सकता है:

विद्वान जो नौकरी करना चाहते हैं, अनुरोध पर उन्हें डाक्टरल समिति की सिफारिश पर भारमुक्त किया जाएगा बशर्ते निम्नलिखित पूरा किया हो

क. न्यूनतम आवासी आवश्यकताएँ

ख. कोर्स कार्य और

ग. व्यापक परीक्षा

घ. डॉक्टरेट समिति द्वारा मूल्यांकन के रूप में पर्याप्त शोध कार्य पूरा किया गया हो

उनके पंजीकरण के नवीकरण प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर के लिए तभी विचार किया जाएगा जब डाक्टरल समिति उनकी प्रगति से संतुष्ट हो और पंजीकरण को जारी रखने के लिए सिफारिश करता हो।

**आर.16 पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि**

पीएचडी विद्वानों को पंजीकरण की तारीख से 5 वर्ष के अंदर थीसिस समर्पित करना होगा। डाक्टरल समिति समर्पित करने की उस अवधि को नियमित पूर्ण कालीन विद्वानों के लिए और 2 वर्ष दे सकता है।

**आर.17 पाठ्यक्रम से वापसी**

डाक्टरल समिति की सिफारिश पर अस्वस्थता या अन्य वैध कारणों के लिए एक सेमेस्टर या उससे अधिक अवधि के लिए किसी विद्वान को उनका विभागाध्यक्ष संस्थान से वापसी करने की अनुमति दे सकते हैं। सामान्यतः किसी विद्वान को अधिकतम दो सेमेस्टर के लिए ही जारी न रखने की अनुमति दी जाएगी।

**आर.17a पंजीकरण रद्द करना:**

(क) डाक्टरल समिति द्वारा यदि अनुसंधान विद्वान की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई या जिसने नामांकन नहीं किया है उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

(ख) आर.16 के अनुसार अनुसंधान विद्वान जो अपना थीसिस अधिकतम अनुमेय समय के अंदर समर्पित नहीं करता है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा।

**आर.18 अपग्रेड पीएचडी पाठ्यक्रम को संशोधित करके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रत्यावर्तन**

- (a) एक अनुसंधान विद्वान जो अपना एम.एस. पंजीकरण को पीएचडी में अपग्रेड करता है, पुनः एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए प्रत्यावर्तन चाहता है उसी गाइड के तहत जो इसके लिए आवेदन दे सकता है बशर्ते उन्हें एम.एस. के मूल पंजीकरण की तारीख से तीन वर्ष पूरा ना हो।
- (b) यदि अनुसंधान विद्वान जो अपना एम.एस. पंजीकरण को पीएचडी में अपग्रेड कर लेता है पर व्यापक परीक्षा को दो बारी में उत्तीर्ण नहीं कर पता है तो उन्हें एम.एस. पाठ्यक्रम में वापस कर दिया जाएगा।

डाक्टरल समिति आवेदन पर तभी विचार करेगा जब विद्वान सामान्य परीक्षण समिति द्वारा मूलतः एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित सभी कोर्स आवश्यकताओं की पूर्ति किया हो और अब तक किये गये अनुसंधान कार्य एम.एस. थीसिस के लिए उपयुक्त पाया गया हो। यदि आवेदन स्वीकरणीय है तो डाक्टरल समिति पंजीकरण संशोधन के लिए सिफारिश कर सकता है। यदि संशोधन संस्थान द्वारा अनुमोदित हो जाता है, तो भी डाक्टरल समिति सामान्य परीक्षण समिति के रूप में एम.एस. पाठ्यक्रम पूरा होने तक अपना कार्य जारी रखेगा। पीएचडी से एम.एस. के वापसी के दिनांक से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के अंदर एम.एस. उपाधि की आवश्यकताओं को विद्वानको पूरा करना होगा।

**आर.19 सारांश (थेस बिंदु)**

1. निर्धारित कोर्स, व्यापक परीक्षा और अनुसंधान कार्य के संतोषजनक पूर्ति पर विद्वान को आवश्यक सारांश की प्रतियों को निर्धारित प्रपत्र में गाइड द्वारा अकादमी अनुभाग को डाक्टरल समिति के विचारार्थ समर्पित करना होगा। सारांश के समर्पण के पहले विद्वान को कम से कम दो संगोष्ठी अपने अनुसंधान के विषय पर प्रस्तुत करना है और कम से कम एक पेपर या तो प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत करना होगा, यदि वह संदर्भित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल होतो बेहतर होगा।
2. शोधार्थी डॉक्टरल समिति के समक्ष सारांश प्रस्तुत करेगा। डॉक्टरल समिति, यदि वह शोध कार्य को पर्याप्त और संतोषजनक मानती है (एससीआई/ई-एससीआई पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए कम से कम दो शोध पत्र प्रकाशित/स्वीकार किए गए हैं), शोध छात्र को शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति देगी और संस्थान के बाहर से कम से कम दस परीक्षक (विदेश से 5 और भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास संगठनों से 5) के पैनल की सिफारिश करेगी।

**आर.20 थीसिस समर्पण**

सारांश की स्वीकृति के एक महीने के अंदर अनुसंधान विद्वान आवश्यक थीसिस प्रतियों को और निर्धारितानुसार थीसिस के सार को समर्पित करना होगा।

वैध कारणों पर विद्वान द्वारा अनुरोध किये जाने पर डाक्टरल समिति एक महीने से अधिक अवधि प्रदान कर सकता है।

**आर.21 परीक्षकों के पैनल**

शोध प्रबंध को मूल्यांकन के लिए डॉक्टरल समिति द्वारा अनुशंसित परीक्षकों के पैनल में से अध्यक्ष, सीनेट या उनके नामित द्वारा चुने गए दो परीक्षकों को भेजा जाएगा।

**आर.22 थीसिस रिपोर्ट**

- क. शोध प्रबंध की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर परीक्षक से शोध प्रबंध पर रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा की जाती है।
- ख. शोध प्रबंध रिपोर्ट प्राप्त करने में अनुचित देरी के मामले में, अध्यक्ष, सीनेट या उनके नामित व्यक्ति शोध प्रबंध के मूल्यांकन के लिए उनके स्थान पर एक और परीक्षक नियुक्त करेंगे।
- ग. यदि दो परीक्षकों में से कोई एक शोध प्रबंध को अनुशंसित नहीं घोषित करता है, तो शोध प्रबंध को मूल्यांकन के लिए पैनल से तीसरे परीक्षक के पास भेजा जाएगा।

- घ. यदि कोई परीक्षक शोध प्रबंध को फिर से जमा करने का सुझाव देता है, तो संशोधन के बाद, शोधार्थी को डॉक्टरल समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर शोध प्रबंध को फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा नहीं करने पर संशोधित शोध प्रबंध को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- ङ. यदि दो परीक्षक, तीसरे परीक्षक को रेफर करने के बाद, यदि आवश्यक हो, शोध प्रबंध की रिपोर्ट की सिफारिश नहीं करते हैं, तो शोध छात्र का पंजीकरण रद्द हो जाएगा।
- च. यदि किसी तीसरे परीक्षक को भेजे जाने के बाद दो परीक्षकों की रिपोर्ट, यदि आवश्यक हो, शोध प्रबंध को अनुशंसित के रूप में घोषित करती है, तो डॉक्टरल समिति रिपोर्टों पर विचार करेगी और मौखिक परीक्षा के संचालन के लिए सिफारिश करेगी जो सामान्य रूप से मौखिक परीक्षा बोर्ड के गठन की तारीख से दो सप्ताह से पहले आयोजित नहीं की जाएगी। डॉक्टरल समिति कम से कम चार विशेषज्ञ सदस्यों के एक पैनल का सुझाव देगी, जिसमें से एक सदस्य को मौखिक परीक्षा बोर्ड के लिए नामित किया जाएगा।
- छ. अन्य सभी मामलों में, जो उपरोक्त विनियमों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, मामले को डॉक्टरल समिति को विचार के लिए भेजा जाएगा।

### आर.23 मौखिक परीक्षा

क. मौखिक परीक्षा बोर्ड का गठन निम्नलिखित प्रकार से है:

	संस्थान के प्रमुख या उनके नामिती	अध्यक्ष
	शोध प्रबंध के परीक्षक देश के भीतर से, या डॉक्टरेट समिति द्वारा अनुमोदित परीक्षकों के पैनल से अध्यक्ष, सीनेट या उनके नामित व्यक्ति द्वारा नामित विषय में विशेषज्ञ।	सदस्य
	शोध गाइड	सदस्य(यों)
	डॉक्टरेट समिति द्वारा अनुमोदित और अध्यक्ष, सीनेट, या उनके द्वारा नामित पैनल से या तो संस्थान से या बाहर से विशेषज्ञ	सदस्य

- ख. संबंधित शोधार्थी की डॉक्टरल कमेटी के सदस्यों को मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- ग. मौखिक परीक्षा बोर्ड, शोध छात्र की शोध प्रबंध कार्य की जांच करेगा और उसके प्रदर्शन को संतोषजनक या अन्यथा मूल्यांकन करेगा। मौखिक परीक्षा बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शोध छात्र शोध प्रबंध परीक्षक द्वारा उठाए गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे।
- घ. यदि मौखिक परीक्षा बोर्ड शोधार्थी के प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं घोषित करता है, तो उसे बाद की तारीख में मौखिक परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है (एक महीने से पहले नहीं और पहली मौखिक परीक्षा की तारीख से छह महीने बाद में नहीं) दूसरे अवसर पर मौखिक परीक्षा बोर्ड में डॉक्टरल कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे।
- ङ. यदि मौखिक परीक्षा बोर्ड दूसरे अवसर पर भी शोधार्थी के प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं घोषित करता है, तो मामले को निर्णय के लिए सीनेट के पास भेजा जाएगा।

च. मौखिक परीक्षा बोर्ड शोध प्रबंध के अंतिम संस्करण में संशोधन की सिफारिश उन परीक्षकों के सुझावों पर विचार करने के बाद भी कर सकता है जिन्होंने शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया और मौखिक रूप से चर्चा की। मौखिक परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शोध प्रबंध को अकादमिक अनुभाग को यह प्रमाणित करते हुए अग्रेषित करेंगे कि मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुशंसित संशोधन, यदि कोई हो, को शोध प्रबंध की प्रति में मौखिक परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट के साथ शामिल किया गया है।

छ. सभी शोधार्थी मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा पीएच.डी डिग्री प्रदान करने की सिफारिश के पश्चात् शोध प्रबंध के अंतिम रूप की दो प्रतियां ए4 आकार में और एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण पीडीएफ प्रारूप में जमा करेंगे।

#### आर.24 पीएचडी उपाधि प्रदान करना

यदि मौखिक परीक्षा में शोधार्थी का प्रदर्शन संतोषजनक है, तो उसे पीएच.डी. सीनेट की सिफारिश पर और संस्थान के शासी बोर्ड के अनुमोदन से डिग्री प्रदान की जाएगी।

#### आर.25 अनुशासन

प्रत्येक शोध छात्र को परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह अनुशासित और शालीन व्यवहार का पालन करना आवश्यक है और किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचे।

संस्थान के प्रमुख को सूचित किए गए शोध छात्र के अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य को समय-समय पर सीनेट द्वारा नामित अनुशासन और कल्याण समिति को भेजा जाएगा।

समिति आरोपों की जांच करेगी और आरोपों की पुष्टि होने पर उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी।

समिति की सिफारिश पर संस्थान के प्रमुख द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए विचार किया जाएगा।

संस्थान के प्रमुख सीनेट की अगली बैठक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे।

#### आर.26 संशोधन की शक्ति

उक्त सभी विषयों के होते हुए भी समय समय पर किसी भी विनियम को संशोधित करने का हक सीनेट रखती है।

### अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम

#### नियम और विनियम

संस्थान के इंजीनियरिंग और विज्ञान विभागों में अंशकालिक शोधार्थियों के रूप में पीएच.डी. करने के लिए उद्योग/शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत व्यावसायिकों के लिए संस्थान के विभिन्न विभागों में पीएच.डी. कार्यक्रम का विस्तार किया गया है।

अंशकालिक प्रणाली में पीएच.डी कर रहे शोधार्थी, संस्थान छात्रवृत्ति/फैलोशिप या संस्थान से किसी भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं हैं।

#### आरपी 1.1 : पात्रता मानदंड:

अंशकालिक पीएचडी के लिए अपने आवेदन पर विचार करने के लिए आवेदक को इस खंड के (क), (ख) और (ग) के तहत उल्लिखित न्यूनतम पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा। संस्थान के कार्यक्रम और विभागों के लिए विशिष्ट किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से समय-समय पर विज्ञापन के साथ वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

#### (क) शैक्षिक योग्यता:

स्नातक और स्नातकोत्तर में न्यूनतम 60% कुल अंकों या सीजीपीए 6.5 (10 में से) के साथ अध्ययन की उपयुक्त शाखा में मास्टर/एम.एस. (शोध द्वारा) डिग्री।

शैक्षिक योग्यता में छूट: इंजीनियरिंग विभागों के लिए बी.टेक./बी.ई. डिग्री पर भी विचार किया जा सकता है यदि उम्मीदवारों के पास शोध अनुभव के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कम से कम 6 वर्ष का अनुभव है।

**(ख) संबंधित अनुभव**

स्थायी कर्मचारी जो अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर जमा कर सकते हैं और सरकारी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं/सरकारी संगठनों/सरकारी उद्योग/पीएसयू/राज्य उपक्रमों में वैज्ञानिक-सी/असिस्टेंट प्रोफेसर/व्याख्याता के समकक्ष संवर्ग में (कम से कम तीन वर्ष के अनुभव) वाले कार्यरत हैं।

अथवा

कम से कम तीन वर्ष के अनुभव वाले आर एंड डी सुविधाओं के साथ निजी उद्योग/ शिक्षा संस्थानों के स्थायी/नियमित कर्मचारी पात्र हैं।

**(ग) संगठनात्मक अर्हताएं:**

(i) सरकारी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं/सरकारी शैक्षणिक संस्थान/सरकारी संगठन/सरकारी उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राज्य उपक्रम।

(ii) निजी संगठन/उद्योग/शैक्षणिक संस्थान, जिससे आवेदक संबंधित है, को सीआईआई/एसएसओसीएचईएम में सदस्यता या किसी अन्य समकक्ष सदस्यता के साथ कम से कम 3 वर्ष (अर्थात्, विज्ञापन के अनुसार पीएच.डी. (अंशकालिक) प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि से कम से कम पांच वर्ष पहले स्थापित) का होना चाहिए।

**आरपी 1.2: चयन प्रक्रिया**

न्यूनतम शैक्षिक पात्रता रखने वाले और सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित अतिरिक्त मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र उम्मीदवारों को ही चयन समिति (समितियों) द्वारा आयोजित साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

**आरपी 1.3: प्रवेश**

क. जिन उम्मीदवारों के चयन को अध्यक्ष, सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है, उन्हें निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा।

**आरपी 1.4: गाइड का चयन**

क. शोधार्थियों को गाइड का आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा (i) शोधार्थी और गाइड द्वारा दी गई प्राथमिकताओं, (ii) गाइड के साथ शोधार्थी की संख्या और (iii) शोध के क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

ख. डॉक्टरल समिति की सिफारिश के साथ शोध छात्र अपने मूल संगठन से सह-पर्यवेक्षक हो सकता है।

ग. शोध छात्र के लिए संस्थान से दो से अधिक गाइड नहीं होंगे।

**आरपी 1.5 : गाइड का परिवर्तन/संयोजन**

किसी शोधार्थी की डॉक्टरल समिति वैध कारणों से गाइड बदलने या सह-गाइड की नियुक्ति की सिफारिश कर सकती है।

**आरपी 2.1 डॉक्टरल समिति**

शोधार्थी के लिए, उसका गाइड डॉक्टरल समिति के गठन के लिए निर्धारित प्रपत्र में शोध का क्षेत्र, गाइड और विशेषज्ञतावाले संकाय सदस्यों के नाम विधिवत भरकर संस्थान के प्रमुख या उसके नामित को भेजेगा। इसे शोधार्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।



डॉक्टरल समिति का गठन निम्नलिखित प्रकार से है:

1.	संस्थान के प्रमुख या उनके नामिती	अध्यक्ष
2.	शोध गाइड विभाग से एक सदस्य और मूल संगठन से एक ) (ओं) (अन्य सदस्य	सदस्य (यों)
3.	विभागसंस्थान से कम से कम दो संकाय सदस्य/	सदस्य
4.	अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से एक संकाय सदस्य	सदस्य

यदि कोई सदस्य एक वर्ष की अवधि से अधिक के अवकाश पर जाता है, या संस्थान से त्याग-पत्र देता है, तो अध्यक्ष, सीनेट या उसके नामिती अध्यक्ष, डॉक्टरल समिति के सुझाव पर किसी अन्य सदस्य को नामित करेंगे। वैज्ञानिक/डिजाइन स्टाफ और अन्य जो पीएच.डी. शोधार्थियों को गाइड कर सकते हैं, डॉक्टरल समिति के सदस्यों के रूप में नामित किए जा सकते हैं।

## आरपी 2.2 पंजीकरण

डॉक्टरल समिति गठित होने के एक सप्ताह के भीतर सामान्य रूप से बैठक करेगी, जहां शोधार्थी एक प्रस्तुति देगा। डॉक्टरल समिति इस बैठक में पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण की तारीख निश्चित/अनुमोदित करेगी, प्रस्तावित शोध विषय पर विचार करेगी और अध्ययन के पाठ्यक्रमों को निर्धारित/अनुमोदित करेगी।

## आरपी 3.1: पाठ्यक्रम कार्य

डॉक्टरल समिति सामान्य तौर पर दो कोर पाठ्यक्रम और कम से कम चार ऐच्छिक विषय निर्धारित करेगी। यदि आवश्यक हो तो निर्धारित पाठ्यक्रम संस्थान के स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम या अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों से होंगे।

(क) इंजीनियरिंग में शोध छात्र न्यूनतम 12 क्रेडिट के साथ निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। ऐसे मामलों में जहां छात्र को इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री के साथ सीधे इंजीनियरिंग में पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, छात्र को न्यूनतम 24 क्रेडिट के साथ निर्धारित पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करना चाहिए।

(ख) विज्ञान में शोध छात्र न्यूनतम 16 क्रेडिट के साथ निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। ऐसे मामलों में जहां शोध छात्र को सीधे इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री के साथ विज्ञान में पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है, शोध छात्र को न्यूनतम 24 क्रेडिट के साथ निर्धारित पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

(ग) डॉक्टरल समिति जहां भी आवश्यक हो, शोध छात्रों के लिए अतिरिक्त पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकती है।

घ. प्रत्येक शोधार्थी को शून्य क्रेडिट के साथ शोध पद्धति या संबंधित सॉफ्ट स्किल कोर्स भी पूरा करना होगा।

ड. ग्रेड

शोधार्थी के प्रदर्शन के आधार पर, उसे प्रत्येक पाठ्यक्रम में सेमेस्टर के अंत में अंतिम ग्रेड प्रदान किया जाता है। ग्रेड और संबंधित ग्रेड अंक इस प्रकार हैं:

ग्रेड	अंक
S	10
A	9
B	8
C	7
D	6

शोधार्थियों को उनके द्वारा लिए गए पाठ्यक्रमों में न्यूनतम सीजीपीए 7.5 प्राप्त करना होगा, जो निर्धारित पाठ्यक्रमों में न्यूनतम "सी" ग्रेड के अधीन होगा। यदि न्यूनतम आवश्यक ऐच्छिक विषयों से अधिक लिया गया है, तो सीजीपीए की गणना के लिए केवल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले ऐच्छिक विषय पर विचार किया जाएगा।

यह विचार किया जाता है कि छात्र ने यदि डी के अलावा अन्य ग्रेड प्राप्त किया है तो उसने विषय को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और क्रेडिट अर्जित किया है। एक बार विषय को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के बाद, इसे दोहराया नहीं जा सकता है।

जीपीएकी गणना इस सूत्र के अनुसार की जाएगी

$$GPA = \Sigma(C \times GP) \div \Sigma C$$

इसमें सी पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट है और जीपी सफलतापूर्वक पूरा किए गए पाठ्यक्रम के लिए प्राप्त ग्रेड बिंदु है और  $\Sigma C$  उस सेमेस्टर में सफलतापूर्वक पूरा किए गए पाठ्यक्रमों के क्रेडिट का योग है

### आरपी 3.2 प्रगति रिपोर्ट

- क) पंजीकृत शोधार्थी प्रत्येक छह महीने में आवश्यक प्रारूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट को आगे की प्रक्रिया के लिए डॉक्टरल समिति के माध्यम से अकादमिक अनुभाग को भेजा जाना चाहिए।
- ख) एक शोधार्थी द्वारा की गई प्रगति की डॉक्टरल समिति द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में समीक्षा की जाएगी। डॉक्टरल समिति की अनुशंसा के आधार पर पंजीकरण और पुरस्कार/छात्रवृत्ति/शोध सहायता की निरंतरता को जारी रखना होगा। प्रयास/प्रगति की अपर्याप्तता पंजीकरण रद्द करने का एक कारण हो सकती है।
- ग) सभी अंशकालिक शोधार्थियों को अपेक्षित शुल्क के भुगतान के बाद शोध प्रबंध जमा करने तक निर्धारित तिथि पर प्रत्येक सेमेस्टर में व्यक्तिगत रूप से नामांकन करना आवश्यक है।

### आरपी 3.4 आवासीय आवश्यकता

- (क) आर एंड डी सुविधाओं वाले अंशकालिक उम्मीदवारों के लिए, आवासीय आवश्यकता को कम से कम एक सेमेस्टर तक कम किया जा सकता है यदि वह स्व-अध्ययन के अधीन है, या कम से कम दो सेमेस्टर जिसमें से एक सेमेस्टर एक स्ट्रेच पर है, यदि वह पाठ्यक्रम कार्य के लिए पंजीकृत है।
- (ख) आर एंड डी संगठनों में कम से कम 10 वर्षों के शोध अनुभव वाले अंशकालिक उम्मीदवारों के लिए, डॉक्टरल समिति की विशेष अनुमति और अध्यक्ष, सीनेट के अनुमोदन के साथ, आवासीय आवश्यकता को पूरी तरह से छूट प्रदान की जा सकती है। फिर भी, ऐसे उम्मीदवारों के लिए आईआईआईटीडीएम- कर्नल में किसी भी नियमित पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित असाइनमेंट जमा करके और परीक्षण/परीक्षा आदि देकर, स्व-अध्ययन मोड पर निर्धारित संख्या में क्रेडिट के लिए पाठ्यक्रम कार्य पूरा करना अनिवार्य है। तथापि, उसकी प्रगति की समीक्षा के लिए डॉक्टरल समिति के समक्ष प्रति सेमेस्टर कम से कम एक सेमिनार अनिवार्य है।
- (ग) सभी अंशकालिक उम्मीदवारों के लिए, एक सेमेस्टर की अनिवार्य आवासीय आवश्यकता लागू होती है, यदि वह पाठ्यक्रम के शोध कार्य के लिए पंजीकृत है या अधिकतम तीन बार (अर्थात्, हर बार दो महीने) के ब्रेक के साथ, यदि वह स्व-अध्ययन के तहत कोर्स वर्क का iath;uकरा रहा है।
- (घ) पीएचडी डिग्री के लिए एक उम्मीदवार का पंजीकरण, सामान्य रूप से, शामिल होने की तारीख से प्रभावी होगा और समाप्ति से पहले आठ वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसके लिए उसे शोध प्रबंध जमा करने की आवश्यकता होगी। यदि कोई उम्मीदवार इस अवधि के भीतर अपनी शोध प्रबंध जमा करने में विफल रहता है, तो उसका पंजीकरण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।
- (ङ) सामान्य परिस्थितियों में, उम्मीदवार किसी भी कारण से अपने पहले के पंजीकरण को रद्द करने के बाद पीएच.डी के लिए पुनः पंजीकरण के लिए पात्र नहीं है। व्यक्तिगत मामले के गुण-दोष के आधार पर और किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक उम्मीदवार को पुनः पंजीकरण के लिए विचार किया जा सकता है।
- (च) यदि किसी उम्मीदवार को अपने व्यावसायिक या व्यक्तिगत कारणों से पीएचडी के दौरान विराम की आवश्यकता होती है, तो उसे निदेशक द्वारा डॉक्टरल समिति की सिफारिशों के अनुमोदन के बाद अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में अवकाश की अधिकतम अवधि एक वर्ष होगी।

**आरपी 3.5: व्यापक मौखिक परीक्षा**

क. प्रत्येक शोधार्थी एक व्यापक परीक्षा में संतोषजनक ढंग से भाग लेगा और प्रदर्शन करेगा। व्यापक परीक्षा एक व्यापक परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें पर्यवेक्षक और संस्थान के कम से कम दो अन्य संकाय सदस्य डॉक्टरल समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित होंगे।

i. यदि किसी शोधार्थी का पहले प्रयास में व्यापक परीक्षा में प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है, तो उसे पहले प्रयास के छह महीने के भीतर व्यापक परीक्षा में बैठने का एक और अवसर दिया जाएगा।

ii. शोधार्थी, जो दो प्रयासों में व्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने में विफल रहता है, का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

iii. व्यापक परीक्षा का उद्देश्य शोधार्थी की सामान्य क्षमता और उसके शोध के क्षेत्र की व्यापकता की जांच करना है। व्यापक परीक्षा में सामान्य तौर पर एक लिखित परीक्षा और/या मौखिक परीक्षा शामिल होगी।

iv. व्यापक परीक्षा समिति व्यापक परीक्षा के दायरे के बारे में शोधार्थी को पर्याप्त रूप से अग्रिम रूप से सूचित करेगी, ताकि शोध छात्र इसके लिए पर्याप्त रूप से तैयारी कर सके।

ख. सामान्य तौर पर शोधार्थियों से व्यापक परीक्षा को पीएच.डी कार्यक्रम में पंजीकरण के बाद एक वर्ष के भीतर सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जाती है और यह किसी भी मामले में पीएच.डी कार्यक्रम में उनके पंजीकरण होने के तीन सेमेस्टर के बाद नहीं हो।

**आरपी 4.1 कार्यक्रम की अधिकतम अवधि**

शोधार्थी को पंजीकरण की तारीख से 7 वर्ष के भीतर शोध प्रबंध जमा करना चाहिए। डॉक्टरल समिति अंशकालिक शोधार्थियों के लिए शोध प्रबंध जमा करने की अवधि को 2 वर्ष और बढ़ा सकती है। शोध प्रबंध जमा करने की न्यूनतम अवधि कार्यक्रम के पंजीकरण के बाद 4 वर्ष है।

**आरपी 4.2 कार्यक्रम वापस लेना**

शोधार्थी को संस्थान के प्रमुख द्वारा खराब स्वास्थ्य या डॉक्टरल समिति द्वारा विधिवत अनुशंसित अन्य वैध कारणों के कारण एक सेमेस्टर या उससे अधिक समय के लिए कार्यक्रम से हटने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्य तौर पर एक शोध छात्र को केवल दो सेमेस्टर की अधिकतम निरंतर अवधि के लिए कार्यक्रम को बंद करने की अनुमति दी जाएगी।

**आरपी 4.3: पंजीकरण रद्द करना**

क) जिस शोध छात्र की प्रगति डॉक्टरल समिति द्वारा संतोषजनक नहीं पाई जाती है या जिसने नामांकन नहीं किया है उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

ख) शोध छात्र का पंजीकरण जिसने अधिकतम अनुमेय अवधि के अंत से पहले अपनी शोध प्रबंध जमा नहीं की है, रद्द कर दिया जाएगा।

**आरपी 5.1: सारांश**

क) निर्धारित पाठ्यक्रम, व्यापक परीक्षा और शोध कार्य के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर, शोध छात्र आगे की प्रक्रिया के लिए उचित माध्यम से अपने शोध कार्य के सारांश की प्रतियों की अपेक्षित संख्या उचित माध्यम से शैक्षणिक अनुभाग को प्रस्तुत करेगा। सारांश प्रस्तुत करने से पहले, शोध छात्र को अपने शोध के विषय पर कम से कम दो सेमिनार देने होंगे और आरपी 5.1 (ख) के अनुसार कम से कम एक पेपर या तो प्रकाशित या प्रकाशन के लिए स्वीकृत होना चाहिए।

ख) शोधार्थी डॉक्टरल समिति के समक्ष सारांश प्रस्तुत करेगा। डॉक्टरल समिति, यदि वह शोध कार्य को पर्याप्त और संतोषजनक मानती है (एससीआई/ई-एससीआई पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए कम से कम दो शोध पत्र प्रकाशित/स्वीकार किए गए हैं), शोध छात्र को शोध प्रबंध जमा करने की अनुमति देगी और संस्थान के बाहर से कम से कम दस परीक्षक (विदेश से 5 और भारत में प्रतिष्ठित संस्थानों/अनुसंधान एवं विकास संगठनों से 5) के पैनल की सिफारिश करेगी।

**आरपी 5.2 शोध प्रबंध प्रस्तुत करना**

शोधार्थी, शोध प्रबंध की स्वीकृति के एक महीने के भीतर, शोध प्रबंध की आवश्यक संख्या में निर्धारित प्रतियों को प्रस्तुत करेगा। डॉक्टरल समिति वैध कारणों से शोध छात्र के अनुरोध पर एक महीने से अधिक का अतिरिक्त समय दे सकती है। शोध प्रबंध जमा करने के लिए आवश्यक एससीआई पेपर की न्यूनतम संख्या 2 है।

**आरपी 5.3 परीक्षकों का पैनल**

शोध प्रबंध को मूल्यांकन के लिए डॉक्टरल समिति द्वारा अनुशंसित परीक्षकों के पैनल में से अध्यक्ष, सीनेट या उनके नामिती द्वारा चुने गए दो परीक्षकों को भेजा जाएगा।

**आरपी 5.4 शोध प्रबंध अधिनिर्णय**

- क. शोध प्रबंध की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर परीक्षक से शोध प्रबंध पर रिपोर्ट भेजने की अपेक्षा की जाती है।
- ख. शोध प्रबंध रिपोर्ट प्राप्त करने में अनुचित देरी के मामले में, अध्यक्ष, सीनेट या उनके नामित व्यक्ति शोध प्रबंध के मूल्यांकन के लिए उनके स्थान पर एक और परीक्षक नियुक्त करेंगे।
- ग. यदि दो परीक्षकों में से कोई एक शोध प्रबंध को अनुशंसित नहीं घोषित करता है, तो शोध प्रबंध को मूल्यांकन के लिए पैनल से तीसरे परीक्षक के पास भेजा जाएगा।
- घ. यदि कोई परीक्षक शोध प्रबंध को फिर से जमा करने का सुझाव देता है, तो संशोधन के बाद, शोधार्थी को डॉक्टरल समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर शोध प्रबंध को फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा नहीं करने पर संशोधित शोध प्रबंध को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
- ङ. यदि दो परीक्षक, तीसरे परीक्षक को रेफर करने के बाद, यदि आवश्यक हो, शोध प्रबंध की रिपोर्ट की सिफारिश नहीं करते हैं, तो शोध छात्र का पंजीकरण रद्द हो जाएगा।
- च. यदि किसी तीसरे परीक्षक को भेजे जाने के बाद दो परीक्षकों की रिपोर्ट, यदि आवश्यक हो, शोध प्रबंध को अनुशंसित के रूप में घोषित करती है, तो डॉक्टरल समिति रिपोर्टों पर विचार करेगी और मौखिक परीक्षा के संचालन के लिए सिफारिश करेगी जो सामान्य रूप से मौखिक परीक्षा बोर्ड के गठन की तारीख से दो सप्ताह से पहले आयोजित नहीं की जाएगी। डॉक्टरल समिति कम से कम चार विशेषज्ञ सदस्यों के एक पैनल का सुझाव देगी, जिसमें से एक सदस्य को मौखिक परीक्षा बोर्ड के लिए नामित किया जाएगा।

अन्य सभी मामलों में, जो उपरोक्त विनियमों द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, मामले को डॉक्टरल समिति को विचार के लिए भेजा जाएगा।

**आरपी 5.5: मौखिक परीक्षा**

मौखिक परीक्षा बोर्ड का गठन निम्नलिखित प्रकार से है:

1)	संस्थान के प्रमुख या उनके नामिती	अध्यक्ष
2)	शोध प्रबंध के परीक्षक देश के भीतर से, या डॉक्टरेट समिति द्वारा अनुमोदित परीक्षकों के पैनल से अध्यक्ष, सीनेट या उनके नामित व्यक्ति द्वारा नामित विषय में विशेषज्ञ।	सदस्य
3)	शोध गाइड	सदस्य(यों)
4)	डॉक्टरेट समिति द्वारा अनुमोदित और अध्यक्ष, सीनेट, या उनके द्वारा नामित पैनल से या तो संस्थान से या बाहर से विशेषज्ञ	सदस्य

- क) संबंधित शोधार्थी की डॉक्टोरल कमेटी के सदस्यों को मौखिक परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
- ख) मौखिक परीक्षा बोर्ड, शोध छात्र की शोध प्रबंध कार्य की जांच करेगा और उसके प्रदर्शन को संतोषजनक या अन्यथा मूल्यांकन करेगा। मौखिक परीक्षा बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शोध छात्र शोध प्रबंध परीक्षक द्वारा उठाए गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे।
- ग) यदि मौखिक परीक्षा बोर्ड शोधार्थी के प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं घोषित करता है, तो उसे बाद की तारीख में मौखिक परीक्षा के लिए फिर से उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है (एक महीने से पहले नहीं और पहली मौखिक परीक्षा की तारीख से छह महीने बाद में नहीं) दूसरे अवसर पर मौखिक परीक्षा बोर्ड में डॉक्टोरल कमेटी के सदस्य भी शामिल होंगे।
- घ) यदि मौखिक परीक्षा बोर्ड दूसरे अवसर पर भी शोधार्थी के प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं घोषित करता है, तो मामले को निर्णय के लिए सीनेट के पास भेजा जाएगा।
- ङ) मौखिक परीक्षा बोर्ड शोध प्रबंध के अंतिम संस्करण में संशोधन की सिफारिश उन परीक्षकों के सुझावों पर विचार करने के बाद भी कर सकता है जिन्होंने शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया और मौखिक रूप से चर्चा की। मौखिक परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शोध प्रबंध को अकादमिक अनुभाग को यह प्रमाणित करते हुए अग्रेषित करेंगे कि मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा अनुशंसित संशोधन, यदि कोई हो, को शोध प्रबंध की प्रति में मौखिक परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट के साथ शामिल किया गया है।
- च) सभी शोधार्थी मौखिक परीक्षा बोर्ड द्वारा पीएच.डी डिग्री प्रदान करने की सिफारिश के पश्चात् शोध प्रबंध के अंतिम रूप की दो प्रतियां ए4 आकार में और एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण पीडीएफ प्रारूप में जमा करेंगे।

#### आरपी 5.6: पीएचडी डिग्री प्रदान करना.

यदि मौखिक परीक्षा में शोधार्थी का प्रदर्शन संतोषजनक है, तो उसे पीएच.डी. सीनेट की सिफारिश पर और संस्थान के शासी बोर्ड के अनुमोदन से डिग्री प्रदान की जाएगी।

#### आरपी 5.7 अनुशासन

प्रत्येक शोध छात्र को परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह अनुशासित और शालीन व्यवहार का पालन करना आवश्यक है और किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे संस्थान की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचे।

संस्थान के प्रमुख को सूचित किए गए शोध छात्र के अनुशासनहीनता के किसी भी कार्य को समय-समय पर सीनेट द्वारा नामित अनुशासन और कल्याण समिति को भेजा जाएगा।

समिति आरोपों की जांच करेगी और आरोपों की पुष्टि होने पर उपयुक्त दंड की सिफारिश करेगी।

समिति की सिफारिश पर संस्थान के प्रमुख द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए विचार किया जाएगा।

संस्थान के प्रमुख सीनेट की अगली बैठक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देंगे।

#### आर 5.8 संशोधित करने का अधिकार

उपरोक्त सभी बातों के होते हुए भी, सीनेट को समय-समय पर उपरोक्त किसी भी विनियम को संशोधित करने का अधिकार है।

[फा. सं. 79-2/2021-टीएस.1]

राकेश रंजन, अपर सचिव (टी.ई.)

**MINISTRY OF EDUCATION**  
**(Department of Higher Education)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th March, 2022

**S.O. 1360(E).**—In exercise of the powers conferred by section 35 read with section 36 (1) (2) and (3) of the Indian Institutes of Information Technology Act, 2014 (30 of 2014), the Senate with the approval of the Board of Governors, makes the following Ordinances of Indian Institute of Information Technology Design and Manufacturing, Kurnool.

**ORDINANCES AND REGULATIONS for**

**B.Tech Degree Programme**

**ORDINANCES**

- O.1** The minimum academic qualification for admission through Joint Seat Allocation Authority (hereafter JoSAA)/ Central Seat Allocation Board (hereafter, CSAB) to IIITDM Kurnool (hereafter, the Institute) is a pass in the final examination of 10+2 (Class XII) or its equivalent
- i) The +2 level examination in the 10+2 pattern of examination of any recognized Central/State Board of Secondary Examination, such as Central Board of Secondary Education, New Delhi, and Council for Indian School Certificate Examination, New Delhi.
  - ii) Intermediate or two-year Pre-University Examination conducted by a recognized Board/University.
  - iii) Final Examination of the two-year course of the Joint Services Wing of the National Defence Academy.
  - iv) Any Public School/Board/University Examination in India or in foreign countries recognized by the Association of Indian Universities as equivalent to 10+2 system.
  - v) H.S.C. Vocational Examination.
  - vi) A pass grade in the Senior Secondary School Examination conducted by the National Open School with a minimum of five subjects.
  - vii) 3 or 4 year diploma recognized by AICTE or a State Board of Technical Education.
- O.2** Admission to the branch of study shall be as decided during CSAB Counseling.
- O.3** The duration of the B.Tech programme will normally comprise a total of 8 semesters.
- O.4** Student may register for B.Tech (Honours) at the end of the fourth semester of B.Tech. programme subject to the conditions prescribed by the Senate from time to time.
- O.5** The award of the B.Tech degree shall be in accordance with the regulations of the Senate of the Institute.

**REGULATIONS**

**R.1.0 Admission**

- R.1.1** The number of seats in each branch of the B.Tech programme for which admission is to be made in the Institute, will be decided by its Senate. Seats are reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections, and physically challenged candidates as per the Government of India orders from time to time.
- R.1.2** Admission to the B.Tech programme in any year will be based on performance in Joint Entrance Examination (JEE) Main and HSC examinations as per Central Board of Secondary Education (CBSE) guidelines through a counseling conducted by the JoSAA/ CSAB for the respective year.
- R.1.3** The eligibility criteria, consistent with Ordinance O.1, for appearing at the JEE (Main).

- R.1.4** The JoSAA/CSAB will decide on the procedure for conducting the JEE Main and preparing a merit list for the general category of students and a separate merit list for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Economically Weaker Sections and Other Backward Classes. Subject to minimum performance criteria in the examination decided by the committee from year to year, the JoSAA/CSAB will offer admission, in order of merit, from these lists to candidates taking into account the choice of branch indicated by the candidate and the available seats in each branch in various Institutes.
- R.1.5** At the time of admission, a candidate should have appeared/ passed in the final examination of any of the qualifying examinations. If any Board awards only letter grades without providing an equivalent percentage of marks on the grade sheet, the candidate should obtain a certificate from the Board specifying equivalent marks and submit it at the time of counseling. In case such a certificate is not provided by the candidate, the decision of the Joint Implementation Committee regarding his/ her eligibility shall be final.
- R.1.6** Candidates have to fulfill the medical standards required for admission as set out in the Information Brochure sent along with the application form.
- R.1.7** The selected candidate will be admitted to the B.Tech programme after he/she fulfills all the admission requirements as indicated in the letter of admission after payment of the prescribed fees.
- R.1.8** If, at any time after admission, it is found that a candidate has not fulfilled all the requirements stipulated in the offer of admission, the Institute may revoke the admission of the candidate and report the matter to the Senate.
- R.1.9** Students admitted to B.Tech programme can opt for B.Tech (Honours) at the end of the fourth semester. The student should have a CGPA of 9.0 and above, and should have cleared all the courses as prescribed in the curriculum in the first attempt. Students who have obtained 'P' or 'U' or 'W' grade in any course are not eligible for B.Tech (Honours) degree.

## **R.2.0 Structure of the B.Tech Programme**

- R.2.1** The programme of instruction will consist of:
- (i) A general core programme comprising basic sciences, basic engineering, and humanities
  - (ii) An engineering core programme introducing the student to the foundations of engineering in his/her branch;
  - (iii) An elective programme enabling the students to take up a group of courses of interest to him/her; and
  - (iv) A project approved by the Department.
- In addition, a student should satisfactorily complete the prescribed NCC/NSO/NSS programme.
- R.2.2** The complete programme will consist of 5 categories: Humanities, Basic Sciences, Basic Engineering, Professional Major and Electives and distributed over eight semesters with two semesters per year.
- R.2.3** Every branch of the B.Tech programme will have a curriculum and course contents (syllabi) for the courses approved by the Senate.
- R.2.4** Credits are assigned to the courses based on the following general pattern: One credit for each Instruction period, two credits for each laboratory or practical or project session of three periods.
- R.2.5** The curriculum of any branch of the B.Tech programme is designed to have a **total of approximately 163 credits for the award of the B.Tech degree.**
- R.2.6** **No semester shall have more than six or more lecture-based courses and four laboratory courses as prescribed in the curriculum carrying a maximum of 27 credits subject to the following constraints.**

Students may be permitted to register for an additional course (backlog) from fifth semester onwards. However, in special cases, students of VII semester may be permitted to take seven lecture-based courses if they have not registered for seven courses in previous semesters, subject to:

- a) Minimum of two or three laboratory slots out of the four recommended are free.
- b) Maximum number of credits registered in any semester shall not exceed 27.
- c) No withdrawal from any of the courses registered will be allowed except as per regulation 7.1
- d) Students can apply to register one backlog course in V & VI semesters and two backlog courses in VII & VIII semesters subject to a maximum of 27 credits in a semester.

**R.2.7** Every course of the B.Tech programme is mapped into any one of the six categories listed below:

Sl. No	Code	Category
1.	HMC	Humanities & Management Courses
2.	BSC	Basic Science Courses: Physics/ Chemistry/Mathematics / Life Sciences
3.	BEC	Basic Engineering Courses
4.	PEC	Professional Engineering Courses
5.	PCD	Professional / Career Development Industrial Lecture / Internships
6.	DES	Design Courses

**Minimum number of credits to be earned for the award of B.Tech. Degree is 163.**

**R.2.8** Online courses can be taken only as an Elective course for B.Tech Programme or an extra course for the requirement of the B.Tech (Honours) Programme. The rules for taking online course are given below.

**R.2.8.1** Students are allowed to register for courses offered only from SWAYAM/NPTEL.

**R.2.8.2** Maximum **9 (Nine)** Credits only be earned by a student during the entire program through online courses. However, students in B.Tech (Honours) programme may earn additional three credits through online course. One credit weightage is given to full 4 week NPTEL/SWAYAM course.

**R.2.8.3** Credits earned through SWAYAM/NPTEL MOOCs along with grades will be taken into account, based on the recommendations of Chairman, Senate.

**R.2.8.4** The registered and successfully completed online course will be mentioned in the grade sheet as Pass/Fail Courses with the approval of the Committee. However, grade secured by the students will not be considered for the calculation of his/her CGPA.

**R.2.8.5** Students must get prior permission from the concerned Head of the Department /Academic section of the Institute for registering online courses.

**R.2.8.6** Students who are unsuccessful in completing a particular online course can again register for the same online course or another online course or they may also register any other in-house elective course whenever offered next.

**R.2.8.7** Credit for the completed online course(s) will be considered for a semester if the completion certificate is submitted to Academic section within two weeks from the last End Semester (theory) examination; otherwise, the credit will be added to the next semester.

**R.2.8.8** Students should submit the self-attested grade card and /or completion certificate generated after finishing the examination.

**R.2.9** The medium of instruction, examination and project reports will be English.



**R.2.10** B.Tech (Honours) students can register for a **maximum of 3 additional PEC** courses in a semester from the Honours basket of courses over and above the courses prescribed in the B.Tech curriculum **from 5<sup>th</sup> semester onwards**.

### **R.3.0 Faculty Adviser/Faculty Mentor**

- R.3.1** To help the students in planning their courses of study and also for getting general advice on the academic programme, the Institute will assign a faculty to act as mentor for group of students in the beginning of B Tech programme.
- R 3.2** One faculty is nominated by the concerned Head of the Department for each class to act as Faculty Advisor in the beginning of every semester.

### **R.4.0 Class Committee**

- R.4.1** Every class of the B.Tech.programme will have a Class Committee (CC) consisting of Faculty and students.
- R.4.2** The constitution of the Class Committee will be as follows:
- One professor/Head of the department not associated with teaching the class to be nominated by Director to act as the Chairman of the Class Committee.
  - All faculty teaching the theory/laboratory courses for that class.
  - Two students from the respective class; and
  - Faculty Adviser of the respective class.
- R.4.3 The basic responsibilities of the Class Committees are**
- To review periodically the progress of the classes
  - To discuss problems concerning curriculum and syllabi and the conduct of the classes.
  - The method of assessment with suitable weightages for each course/practice as decided by the teacher is informed to the class committee and then will be announced to the students at the beginning of the semester.
  - To communicate the recommendations of CC to the Director through the concerned Head of the department.
  - The Class Committees shall meet at least twice in a semester, once at the beginning of the semester, and once before commencement of Minor II.

### **R.5.0 Change of Branch**

- R.5.1** Change of discipline from one branch to another branch may be permitted at the end of First year of study.

Type	from	till	eligibility criteria
Change of degree	B.Tech	Dual Degree	(i) 8.5 CGPI (ii) At the end of 3rd year of B.Tech course (iii) No backlock courses on the date of application (iv) The change is acceptable as long as the original sanctioned strength of the concerned course does not exceed 10% (+-).Regular admission and reservation rules will be followed as per norms of the Government of India.
Branch change	B.Tech COI	B.Tech EDM/MDM /	

	B.Tech EDM	B.Tech COI / MDM	(ii) At the end of 1 <sup>st</sup> year of B.Tech Other criteria as above
	B.Tech MDM	B.Tech COI / EDM	

- R.5.2** The CGPA of the first and second semester will be the basis for consideration for branch change.
- R.5.3** All students who have successfully completed all prescribed courses of first year in one attempt (without backlogs) are only be eligible for branch change subject to the availability of vacancies.
- R.5.4** In making a change of branch, the strength of a class should not fall below the existing strength by more than ten percent and should not go above the sanctioned strength by more than ten percent.
- R.5.5** However, a minimum of one student will be eligible for consideration for change of branch from each discipline at the end of the first year irrespective of the regulation 5.4
- R.5.6** If a student with a higher CGPA is not offered a particular branch because of other constraints this should not be offered to any other student with a lower CGPA even if he/she is eligible on the basis of the existing norms.

#### **R.6.0 Registration and Enrolment**

- R.6.1** Except for the first semester, registration of a semester will be done during a specified week before starting of subsequent semester.
- Late registration/enrolment will be permitted with a fine as decided from time to time up to two weeks from the last date specified for registration.**
- R.6.2** **From the second semester onwards all students must enroll on a specified day at the beginning of a semester.** A student will be eligible for enrolment only if he / she satisfies R.8 and will be permitted to enroll only if he/she has cleared all dues to the Institute, Hostel, Library and the NCC Unit up to the end of the previous semester, provided he/she is not debarred for enrolment by a disciplinary action of the Institute.
- R.6.3** The registration form, in the prescribed proforma, shall be filled by each student at the beginning of the semester and the same is to be carefully verified and duly recommended by the Faculty Adviser and submit all the forms with consolidated report through proper channel immediately to the Academic section through concerned Head of the Department.
- R.6.4** The B.Tech students are also eligible to take extra courses apart from the courses prescribed in the curriculum viz one course in 5th, 6th, 7th semesters and not more than two courses in 8th semester subject to a maximum of 15 credits, provided a student has no backlog and should have earned CGPA of 7.0 & above at the end of previous semester. Students taking extra courses should obtain the prior approval of Director. This will be shown in the grade card as EXTRA category and will be taken for CGPA calculation.

#### **R.7.0 Registration Requirement**

- R.7.1** **The curriculum for any semester, except for the final semester will normally carry credits between 21 and 29.**
- If a student finds his/her load heavy in any semester, or for any other valid reason, he/she may drop courses within three weeks of the commencement of the semester but before commencement of first Minor with the written approval of his/her Faculty Adviser and Head of the department. However, the student should ensure that the total number of credits registered in any semester should enable him/her to earn the minimum number of credits as specified in **R.8.1**.

**R.8.0 Minimum Requirement to Continue the Programme**

**R.8.1** A student should earn not less than 10 credits in the first semester and 26 credits at the end of the second semester. Thereafter he must maintain an average of 14 credits per semester including first two semesters to continue his/her studies. However, in the final semester a student may earn less than 14 credits if it is sufficient for him/her to fulfill the requirements for the award of the degree. If a student fails to earn credits every semester, as stated above, his/ her name will be struck off the rolls at the end of the semester.

**R.8.2** A student who has not completed the NCC / NSO / NSS requirements (see R.26) in first six semesters will not be permitted to continue the B.Tech programme.

**R.8.3** **A student should have a minimum CGPA of 5.0 (see R.25.2) calculated for the courses successfully completed at the end of each semester.**

If the CGPA is below 5.0 or if he/she earns less than the average 20 credits, and, further, in the following semester if his/her CGPA is less than 5.0 or could not earn average 14 credits as per **R.8.1**, his/her name will be removed from the rolls.

**R.9.0 Maximum Duration of the Programme**

**R.9.1** A student is ordinarily expected to complete the B.Tech programme in eight semesters. However, a student may complete the programme at a slower pace by taking more time, but in any case, not more than 12 semesters excluding semesters withdrawn or medical grounds etc. as per **R.12**. However, the students have to satisfy **R.8.1** every semester, failing which their registration will be cancelled.

**R.10.0 Temporary Withdrawal from the Programme**

**R.10.1** A student may be permitted by the Director to withdraw from the programme for a semester or longer for reasons of ill health or other valid reasons. Normally a student will be permitted to discontinue from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

**R.11.0 Discipline**

**R.11.1** Every student is required to observe discipline and decorous behavior both inside and outside the campus and not to indulge in any activity which will tend to bring down the prestige of the Institute.

**R.11.2** Any act of indiscipline of a student reported to the Director, will be referred to a **Discipline and Welfare Committee (DWC) constituted by the Senate**. The Committee will enquire into the charges and recommend suitable punishment if the charges are substantiated. The recommendations of DWC will be reported to Director for taking appropriate action.

**R.11.3** **Appeal:** The student may appeal to the Director for discussions in Senate and decision of Senate will be final.

**R. 11.4** Ragging of any form is a criminal and non-bailable offence in our country and current State and Central legislations provide for stringent punishment including imprisonment. Once the involvement of a student is established in ragging, the concerned student will be dismissed from the Institution and will not be admitted into any other Institution. Avenues also exist for collective punishment, if individuals cannot be identified in this inhuman act. Every senior student of the Institute along with the parent shall give an undertaking every year in this regard and this should be submitted at the time of enrolment.

**R.12.0 Attendance**

**R.12.1** **Every** student is expected to have 100% attendance in a course. However minimum 85% attendance is mandatory for the theory and lab courses.

**R.12.2** Students may avail medical leave on medical grounds approved by the competent authority of the Institute. This leave should not exceed 25% of the total classes offered in a particular course.

**R.12.3** Similarly in order to encourage the extracurricular activities, students may be granted duty leave approved by the competent authority of the Institute. This duty leave also should not exceed 25% of the total classes offered in a particular course.

**R.12.4** If at all any student avails medical leave (as per R 12.2) and duty leave (as per R 12.3), sum of medical leave and duty leave should not exceed 25% of total classes.

**R.12.5** Any student not fulfilling the attendance requirements as given above in 12.1 to 12.4 shall not be eligible to appear for the End Semester Examination and shall be awarded “W” grade for that particular course.

Student registration for that course will be treated as cancelled, and he shall be awarded ‘W’ grade (W stands for registration cancelled due to lack of attendance) in that course. **This grade shall appear in the grade card till the course is successfully completed.**

**R.12.6 Condonation of Attendance:** Those students who have less than 75% attendance can be considered for condonation of attendance provided their overall attendance in a course including the period of illness does not fall below 60%.

(1) The institute can consider additional waiver for students who have suffered major / long term illness that requires hospitalization. Such candidates need to submit a medical certificate issued / endorsed by the Institute Doctor and it shall be the decision of the Director/his/her nominee to permit such students on a case-to-case basis as deemed appropriate.

### **R.13.0 Assessment Procedure – Tests and Examinations**

**R.13.1** The Senate will decide from time to time on the system of tests and examinations in each subject in each semester.

### **R.14.0 System of Tests**

**R.14.1** In Lecture/Tutorial based courses, the first two semesters have two minors (exams) in case of general courses and for higher semester courses, the minor will be as decided by the class committee.

### **R.15.0 End Semester Examination**

**R.15.1** There will be one end semester examination for each lecture-based course.

### **R.16.0 Project Evaluation**

**R.16.1** At the completion of a project, the student will submit a project report that will be evaluated by duly appointed examiner(s).

The evaluation will be based on the report and a viva voce examination on the project.

**R.16.2** The project reports of B.Tech students who have not completed their course work will be evaluated in that semester itself and the result sent in confidential to the Academic Section. The result of the project work evaluation will be declared by the Academic section only after the successful completion of the courses by those students.

### **R.17.0 Weightages**

**R.17.1** The following will be the weightages for different subjects:

a) Pre-end Sem comprising Minors / Projects / Assignments and End Semester Examination. Total marks of Pre-end Sem should not exceed the total marks of End Semester i.e. the End Semester marks should be  $\geq 50\%$

b) Laboratory / Practice courses shall also follow a pattern similar to (a)

The weightage for theory courses of higher semesters of the B.Tech programme should not be below 40% each for both sessional assessment and end semester examination. Subject to the above constraint, the Class Committee is free to decide the weightages in any course and announce to the students within 2 weeks from the beginning of the semester.

**R.17.2** The markings for all tests, tutorial assignments (if any), laboratory work and examinations will be on absolute basis. The final grades in each subject are awarded on relative basis based on guidelines issued by the Institute from time to time.

**R.18.0 Make-up Examination**

**R.18.1 Students** who have missed the Minors or end-semester examinations for valid reasons are eligible for a make-up examination. Only one makeup examination for a particular course in a semester is permitted. Student who has missed minor(s) and the end semester examination in the same course due to genuine reasons like illness etc. may be permitted to write make-up examination for the missed examinations.

Student should make an application to the Director / Examination Section within ten days from the date of the examination missed explaining the reasons for their absence.

Applications received after this period will not be entertained.

**R.18.2** Official permission to take a make-up examination will be given under exceptional circumstances such as admission to a hospital due to illness.

°**Students residing in the Hostels should produce a Medical Certificate issued by the Medical Officer of the Institute** that he / she was admitted in the Hospital during the period of the missed minor / examination.

°Students residing in the Hostels and taking medical consultation with outside Doctors are required to obtain written permission from the Medical Officer of the Institute Hospital **before they proceed for consultation.**

°**Students residing in the hostels but taking medical consultation with outside Doctors are required to obtain an endorsement on the certificate of treatment by the Medical Officer of the Institute.**

°A student staying outside the Campus permanently / temporarily must produce a medical certificate from the Registered Medical Practitioner and the same **should be duly endorsed by parent / guardian.**

°Other documents related to the treatment (such as Prescriptions, bills of medicine etc.) should be submitted in support of the application for medical leave.

**R.18.3** A single make-up examination will be held about two weeks after the end-semester examination for those who are permitted to take make-up examination.

**R.18.4 A student who misses this make-up examination will not normally be given another make-up examination.** However, in exceptional cases of prolonged illness resulting in the student missing a make-up examination, the Chairman of the Senate, in consultation with the Dean(Academic)/faculty in-charge(Academic) or with approval of the Senate, may permit the student to appear for a second make-up examination.

**R.18.5** Students who appear for makeup examinations, Internal marks shall be considered for grading. Student could earn any grade from S to U based on the performance.

**R19.0 Supplementary Examinations**

Students who have secured U grade in any course are eligible to appear in the supplementary examinations as governed by the following regulations:

- (1) As per R 10.2 student will be allowed to appear in the Supplementary Examination for any course.
- (2) The students are required to register for the supplementary examinations based on the circular issued by the Academic section of the Institute.
- (3) As a remedial measure, if any student would like to attend summer classes and then appear for the supplementary examinations, they may request and register for the same. If the number of students registered for summer course is at least 10, the faculty member willing to offer that course during summer shall conduct classes for at least 30 hours to make the students understand the subject. Classes may be scheduled so that the summer examination / Supplementary examination shall be completed by 15th July.
- (4) Students appearing in supplementary examinations shall be graded based only on their performance in the supplementary examination.

- (5) Students appearing in supplementary examinations should pay an examination fee of Rs 500/- per course.
- (6) Student who clears a course in a supplementary examination shall not be awarded S, A and B grades. He/she could only secure a highest grade of C.

### R.20.0 Subject-wise Grading of Students

**R.20.1 Each student is awarded a final letter grade for each subject based on his/her semester performance at the end of the semester.** The letter grades and the corresponding grade points are as follows:

S	10	grade points	
A	9	“	
B	8	“	
C	7	“	
D	6	“	
E	5	“	
P	4	“	
U	0	“	Unqualified / Failure
W	0	“	Failure due to insufficient attendance in course
I	0	“	Incomplete (Subsequently to be changed into Pass (P to S) or U grade in the same Semester)
X	0	-	Completed (in NSO/NCC/NSS)
Y	0	-	Incomplete (in NSO/NCC/NSS)

**R.20.2** A student is considered to have completed a subject successfully and earned the credits if he secures a letter grade other than U or F or W or I in that subject.

**A letter grade U or W any subject implies a failure in that subject.**

**A subject successfully completed cannot be repeated.**

**R. 20.3** The grades are awarded in any subject is on relative basis.

### R.21.0 Method of Awarding Letter Grades

**R.21.1** A final meeting of the class committee without the student members will be convened within seven days after the last day of the end-semester examination. The letter grades to be awarded to the students for different subjects will be finalized at the meeting.

**R.21.2** Two copies of the results sheets for each subject, containing the final grade and attendance code and two copies with the absolute marks, the final grade and the attendance code should be submitted by the teacher to faculty advisor for further processing. After finalization of the grades at the Class Committee meeting, one copy with the absolute marks and one without the absolute marks but having only the grades and the attendance code will be forwarded by the Class Committee Chairman to the Dean (Academic)/Faculty In-charge(Academic).

### R.22.0 Declaration of Results

**R.22.1** After finalization by the Class Committee as per **R.20.1**, the Letter-Grades are awarded to the students of the B Tech programme.

**R.22.2** **The W grade once awarded stays in the record of the student and is deleted when he/she completes that subject successfully later.** The grade acquired by him/her will be indicated in the grade card of the appropriate semester with an indication of number of attempts made in that course.

- R.22.3** 'U' grade obtained by the student will be deleted in the grade card when he/she completes that subject successfully later. Further, the number attempts made by the student in that course, will be indicated in the grade card.

#### **R.23.0 Re-examination of Answer Scripts**

- R.23.1 As a process of learning by students and also to ensure transparency, the answer scripts after correction of class tests, minor (s), assignments etc., will be shown to the students within one week from the date of test/examination. The performance of the students in minors will be discussed in the Class Review Committee.
- R.23.2 In order to ensure transparency in the evaluation of scripts of end-semester examination, those answer scripts also shall be shown to the students up to one day before the finalization of grades. Once the Grades are finalized, the student will no longer have any right to verify his/her answer scripts.
- R.23.3 The student can appeal to DAAC for any arbitration within 20 days from the date of official publication of results in the Institute Website.
- R. 23.4 Disposal of Answer Scripts
- Answer scripts related to a course shall be preserved by the faculty for a period of 6 months from the date of announcement of results. After this period, the same shall be disposed of as scrap by the institute.

#### **R.24.0 Course Repetition**

- R.24.1** A student who earns a U or W grade on any core subject must revise that subject the next time he is offered. If the student earns U or W in any of the optional subjects and U in the core course then the student has the option to repeat the same to get the grade successfully. There is no repetition for successfully completed courses.

#### **R.25.0 Grade Card**

- R.25.1** The grade card issued at the end of the semester to each student will contain the following:
- The credits for each course registered for that semester.
  - The letter grade obtained in each course
  - The attendance code in each course
  - The total number of credits earned by the student up to the end of that semester in each of the course categories
  - The Semester Grade Point Average (SGPA) of all the courses taken in that semester.
  - The Cumulative Grade Point Average (CGPA) of all the courses taken from the first semester to the current semester.
- R.25.2** The GPA will be calculated according to the formula

$$GPA = \frac{\sum_i C_i \times GP}{\sum_i C_i}$$

Where  $C_i$  = credit for the course,  $GP$  = the grade point obtained for the course and  $\sum C$  is sum of credits of the courses that are successfully completed in that semester.

For the cumulative grade point average (CGPA), a similar formula is used where the sum  $\sum_i C_i$  is the sum of credits in all courses taken in all the semesters completed upto the point of time.

The **CGPA based on the successfully completed courses** is calculated; deleting the 'U' or 'W' grades, and is also shown separately in the grade card.

- R.25.3** No class or division or rank will be awarded to the students at the end of their B.Tech programme. The formula for conversion of CGPA to percentage is  $CGPA \times 10$ .

**R.26.0 NCC / NSO / NSS Requirements**

- R.26.1** All students admitted to the B.Tech programme will have to take either NCC or NSO / NSS as an extra-curricular programme. **NCC programme is not available for Foreign Nationals and Women students.**
- R.26.2** NSO /NSS programme will be held as announced by the Institute.
- R.26.3** The NCC / NSO / NSS requirement should be completed within first four semesters from the beginning of B Tech programme.
- R.26.4** The minimum attendance requirement is 85% for NCC/NSO/NSS courses.
- R.26.5** If a student falls short of the attendance requirements, he / she should make up the deficiency as noted below:
- (i) If the absence is on valid ground, the deficiency will be made up in the extra NCC / NSO / NSS programmes to be offered during April of the same year.
  - (ii) If the absence is unauthorized, the deficiency will have to be made up during the following year. The deficiency in NCC will have to be made up in NSO / NSS programmes at the rate of four times the deficiency: each NCC / NSS class missed will be made up by four NSO classes. The deficiency in NSO / NSS classes will have to be made up at the rate of two classes for each class missed.

**R.27.0 Eligibility for Award of the B.Tech Degree**

- R.27.1** A student shall be declared to be eligible for award of the B.Tech degree if he/she has
- (a) registered and successfully completed all the core and elective courses and projects;
  - (b) successfully acquired the minimum required credits as specified in the curriculum corresponding to the branch of his/her study within the stipulated time;
  - (c) earned the specified credits in all the categories of subjects;
  - (d) completed the NCC / NSO / NSS requirements;
  - (e) no dues to the Institute, Hostels, Libraries, NCC / NSS / NSO etc.
  - (f) no disciplinary action pending against him / her.

**For students visiting Universities abroad under Exchange programme of NUS/DAAD or any other University, the following will be followed for credit transfer:**

The credits / grades obtained from the university where the student has done courses will be indicated in the grade card.

Institute transcripts should only indicate the courses, credits and grades completed at IIITDM and the courses and credits (without grades) done in other Universities in a particular semester.

**The CGPA calculation based on credits done at Institute alone is to be considered for award of prizes.**

**The credits earned at Universities abroad will be considered for calculation of minimum required credits for award of degree.**

- R.27.2** The award of the degree must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

**R.28.0 Eligibility for Award of the B.Tech Degree (Honours):**

- R.28.1.** A student shall be declared to be eligible for award of B. Tech (Honours) subject to fulfilment of the following:
- a) Honours programme should be opted for by the student at the end of the 4th Semester
  - b) Must secure a minimum CGPA of 9.0 at the end of Four semesters to be eligible to register for B Tech (Honours).
  - c) Must compulsorily register for 09 additional credits related to the programme as recommended by the Head of the Department.



- d) In addition to the conditions prescribed under R.27.0, the B.Tech (Honours) students must maintain CGPA of 9.0 in every semester.
- e) Student, who fails to satisfy the above conditions, shall be awarded regular B.Tech degree.

R 28.2 A student shall be declared to be eligible for award B Tech (Honours) degree if he/she fulfils conditions listed in R 28.1.

R 28.3 The award of B. Tech (Honours) must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

### **R.29.0 Power to Modify**

**R.29.1** Notwithstanding all that has been stated above, the Senate has the right to modify any of the above regulations from time to time.

### **R.30 Summer Term Course**

**R.30.1** A Summer Term Course (STC) may be offered with the approval of the Director/Deputy Director. **No student should register for more than two courses during a summer term, including contact course during summer.**

**R.30.2** Summer term courses will be announced at the end of the even semester before the commencement of the end semester examinations. A student will have to register within the time stipulated in the announcement by paying the prescribed fees.

**R.30.3** The number of contact hours in any summer term course will be the same as in the regular semester course. The assessment procedure in a summer term course will also be similar to the procedure for a regular semester course.

**R.30.4** **Withdrawal from a summer term course is not permitted.** No makeup examination (see **R.18**) will be given for a summer term course.

### **R.31 Contact Courses**

**R.31.1** A Contact Course may be offered during the regular semester or summer term ONLY to a final year student who has obtained “U” grade in a CORE course. The course will be offered ONLY on the recommendation of the department with the mutual agreement of the teacher and the student.

**R.31.2** No student should register for more than two contact courses during the semester or summer period. If a student registers for 2 summer term courses, then he/she is not eligible to register for contact course during that summer.

**R.31.3** The contact course cannot be offered if a regular or a summer course is offered on the same subject, during that period.

**R.31.4** Final year students, who wish to take contact courses, should apply to the Dean(Academic)/Faculty-in-charge (Academic) , Academic Courses before the commencement of the semester / summer term in which the contact course is to be taken.

**R.31.5** The assessment procedure for a contact course will be similar to the procedure for the regular semester course.

**R.31.6** Withdrawal from a contact course is not permitted.

### **R.32 Movement of a student to higher semester**

Students are expected to clear all the subjects in every semester. In case of backlog in the courses during the Nth semester, they will be given multiple chances in supplementary examinations till completion of N+3 semesters. If a student cannot clear the backlog in the given chances, he/she is required to drop equivalent credit course(s) in N+4 semester and to register for the backlog course(s) again during N+4th Semester.

**ORDINANCES AND REGULATIONS****Master of Technology Programme****Ordinance**

- O.1** The minimum academic qualification for admission through CCMT to IIITDM Kurnool is 60% or 6.5 CGPA in the appropriate branch of engineering or its equivalent.
- a. Candidates who have qualified for the award of the Bachelor's degree in Engineering / Technology from educational Institutions approved by AICTE/UGC/Government and who have a valid GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) score are eligible to apply for admission to the M.Tech programme.
- b. Associate Membership holders of the professional bodies for admission into their parent disciplines from the following – (i) The Institution of Engineers (India) (AMIE) (ii) The Indian Institute of Metals (AMIM) (iii) The Institution of Electronics and Tele- communication Engineering (AMIETE) with valid GATE Score can also apply.
- O.2** Candidates working and sponsored (with full pay and allowances for 24 months) by industry / government organizations / private and public enterprises recognized by DST and engaged in R & D work/ engineering colleges recognized by AICTE/UGC, possessing at least two years of professional experience as on the last date of receipt of applications at IIITDM, Kurnool, can apply, provided they hold:
- 1 B.E./ B.Tech. degree from AICTE/UGC recognized Engineering Colleges/university with first class or 60% aggregate marks in all the four years or
- 2 AMIE and other Associate memberships (listed above) with a valid GATE Score
- O.3** Admission to the branch of study shall be as decided during CCMT counselling.
- O.4** The exact eligibility criteria for admission to the M.Tech programme shall be as approved by the Senate of the Institute from time to time and announced by the Institute on an annual basis.
- O.5** The duration of the M.Tech programme will normally comprise of a total of four semesters, including project work.
- O.6** Candidates may be permitted to do their project work in industry and other approved organisations as prescribed in the regulations.
- O.7** The award of Half-time Teaching Assistantship (HTTA) to the candidates admitted to the M.Tech programme shall be in accordance with the regulations of the Senate of the Institute.
- O.8** The award of the M.Tech degree shall be in accordance with the regulations of the Senate of the Institute.

**REGULATIONS****R.1.0 ADMISSION**

- R.1.1** The number of seats in each programme for which admission is to be made in the Institute will be decided by its Senate. Seats are reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other backward classes, Economically weaker sections and physically challenged candidates as per the Government of India orders issued from time to time.
- R.1.2** Admission to the M.Tech programme in any year will be based on performance in GATE through a counselling conducted by CCMT.
- R.1.3** The students admitted into this programme are required to do a minimum of 8 hours work, such as handling theory or laboratory classes, tutorials, Assignments, etc.
- R.1.4** Foreign nationals whose applications are received through Indian Council of Cultural Relations, Government of India, are also eligible. Foreign Nationals are also eligible under self-financing scheme for which applications are invited through their embassy.

**R.1.5** The eligibility criteria for admission including the minimum GATE score required for admission as full time students with HTTA, will be decided by the Senate.

**R.1.6** The conditions for admission to M Tech programmes in IIITDM Kurnool will be given in the CCMT and Institute websites. However, if at any time the Dean(Academic)/Faculty in-charge(Academic)/ Director finds any of the requirements not fulfilled by the candidate, the Dean(Academic)/ Faculty in-charge(Academic)/ Director may revoke his/her admission to the programme.

### **R.2.0 STRUCTURE OF THE M.TECH.PROGRAMME**

**R.2.1** The programme of instruction for each stream of specialization will consist of

- i. core courses(compulsory)
- ii. elective courses
- iii. project work

The student may be required to give one or more seminars and undergo industrial / practical training during the programme.

**R.2.2** The complete programme will be of 4 semester duration. The academic programmes in each semester may consist of course work and/or project work as specified by the Senate for each specialisation. The total contact hours is normally about 32 hours per week.

**R.2.3.** Every stream of specialisation in the programme will have a curriculum and syllabi for the courses approved by the Senate. The curriculum is so framed such that the minimum number of credits for successful completion of the M.Tech programme of any stream is not less than 67 and not more than 70.

**R.2.4** Credits will be assigned to the courses based on the following general pattern:

- i. One credit for each lecture period
- ii. Two credits for each laboratory or practical session of three periods
- iii. Credits for the seminar, project work and industrial / practical training will be as specified in the curriculum.

**R.2.5** A student will have to register for all the core courses listed in the curriculum of his/her selected area of specialisation and successfully complete all of them.

However, the Departmental Post Graduate Committee may grant permission to a student not to register for some of the core courses and substitute them by some other courses depending on the courses successfully completed by the student in the undergraduate programme. This has to be intimated to and approved by the Dean (Academic)/Faculty In-charge(Academic) / Director.

**R.2.6** Electives will have to be taken from the courses offered by the Department in that particular semester from among the list of approved courses. However, most of the departments permit selection of electives other than those listed against the Department provided they have relevance to the area of specialisation and subject to the approval of the Faculty Adviser.

**R.2.7** In some specialisations students may be permitted to register for a maximum of two B.Tech courses. The concerned departments will identify such courses and get prior approval of the Senate.

**R.2.8** The medium of instruction, examination, seminar and project reports will be in English.

### **R.3.0 Faculty Adviser**

**R.3.1** To help the students in planning their courses of study and for getting general advice on academic programme, the concerned Department will assign a faculty advisor for each M.Tech programme offered in the department in the beginning of every semester.

**R.4.0 Class Committee**

- R.4.1** Every class of the M.Tech programme will have a Class Committee (CC) consisting of Faculty and students.
- R.4.2** The constitution of the Class Committee will be as follows:
- One professor/Head of the department not associated with teaching the class to be nominated by Director to act as the Chairman of the Class Committee.
  - All faculty teaching the theory /laboratory courses for that class.
  - Two students from the respective class; and
  - Faculty Adviser of the respective class.
- R.4.3** The basic responsibilities of the class committee are:
- to review periodically the progress of the classes and discuss issues faced by students.
  - The type of assessment for the course will be decided by the teacher in consultation with the class committee and will be announced to the students at the beginning of the semester.
  - Each class committee will communicate its recommendations to the Head of the Department and the Dean (Academic)/Faculty In-charge(Academic).
  - The class committee without the student members will also be responsible for the finalisation of the semester results.
- R. 4.4** *The class committee shall meet at least twice in a semester, once at the beginning of the semester and once before commencement of minor II.*

**R.5.0 Change of Branch**

Change of Programme is not permitted once a student is given admission to M.Tech programme.

**R.6.0 Registration Requirement**

- R.6.1** *Except for the First semester, registration for the semester will be done during a specified week before starting of that semester. Late registration/enrollment will be permitted with a fine as decided by from time to time up to 2 weeks from the last date specified for registration.*
- R.6.2** *The M.Tech students are eligible to take extra courses apart from the courses prescribed in the curriculum, namely, one course in 3<sup>rd</sup> semester and not more than two courses in 4<sup>th</sup> semester, subject to a maximum of 9 credits, provided a student has no backlog and should have earned CGPA of 7.0 & above by the end of the previous semester. Students taking extra courses should obtain the prior approval of Dean (Academic)/Faculty In-charge(Academic).*
- R.6.3** During the final project semester, students are not normally permitted to register for courses. However, students who are short of a few credits required for the degree may be allowed by the Dean (Academic)/Faculty In-charge(Academic) to register for one or two courses along with the project under the specific recommendation from the Head of the department.
- In such cases the project duration may have to be extended beyond the normal period suitably. However, the M.Tech HTTA will be paid for a maximum period of 24 months only, as per the existing Government of India rules.
- R.6.4** Withdrawal from a course registered is permitted upto two weeks from the date of commencement of the semester. Substitution by another course is not permitted. Courses withdrawn will have to be taken when they are offered next, if they belong to the list of core courses (Compulsory courses).
- R.6.5** In extraordinary circumstances like medical grounds, a student may be permitted by the Dean (Academic)/Faculty Incharge(Academic) to withdraw from a semester completely.

Normally a student will be permitted to withdraw from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

### ***R.7.0 MINIMUM REQUIREMENT TO CONTINUE THE PROGRAMME***

- R.7.1** A student should have earned not less than 10 credits in the first semester, 26 credits by the end of second semester and 36 credits by the end of third semester.

The student will be asked to leave the programme failing to satisfy this requirement

- R.7.2** In addition to the above, to be eligible to continue in the programme the student should have a minimum CGPA of 5.0, calculated according to the formula in R.23.2. However, in calculating the CGPA for eligibility to continue the programme, only courses the student has successfully completed upto the point under consideration will be taken into account. If the CGPA of any student so calculated falls below 5.0, the student will be issued a warning and if he/she does not make good and get a CGPA less than 5.0 in the following semester also then he/she will be asked to leave the programme.

### ***R.8.0 MAXIMUM DURATION OF THE PROGRAMME***

- R.8.1** A student is ordinarily expected to complete the M.Tech programme in four semesters. However students who do not complete their project work in third/four semesters, are permitted to submit the report in the fifth semester with the prior approval.

Students should complete the course work in not more than 5 semesters and the entire programme in 8 semesters including the project work from the date of admission to the programme.

### ***R.9.0 DISCONTINUATION FROM THE PROGRAMME***

- R.9.1** Students may be permitted to discontinue the programme and take up a job provided they have completed all the course work. The project work can be done during a later period either in the organisation where they work if it has R and D facility, or in the Institute. Such students should complete the project within six semesters from the date of admission to the programme.

Students desirous of discontinuing their programme at any stage with the intention of completing the project work at a later date should seek and obtain the permission of the Dean (Academic)/Faculty In-charge (Academic)/Director before doing so.

### ***R.10.0 DISCIPLINE***

- R.10.1** Every student is required to observe discipline and decorous behaviour both inside and outside the campus and should not indulge in any activity which brings down the prestige of the Institute.

- R.10.2** Any act of indiscipline of a student reported to the Dean will be referred to Discipline and Welfare Committee constituted by the Senate from time to time.

The Committee will enquire into the charges and recommend suitable punishment if the charges are substantiated. The appropriate committee will consider the recommendation of the Discipline and Welfare Committee and authorize the Dean(Academic)/Faculty in-charge(Academic) to take appropriate action.

- R.10.3. Appeal:** The student may appeal to the Chairman, Senate, whose decision will be final.

The Dean(Academic)/Faculty Incharge(Academic) will report the action taken at the next meeting of the Senate.

- R. 10.4** Ragging of any form is a criminal and non-bailable offence in our country and current State and Central legislations provide for stringent punishment including imprisonment. Once the involvement of a student in ragging is established, the concerned student will be dismissed from the Institution and will not be admitted into any other Institution. Avenues also exist for collective punishment, if individuals cannot be identified in this inhuman act. Every senior student of the Institute along with the parent shall give an undertaking every year in this regard and this should be submitted at the time of enrolment.

**R.11.0 ATTENDANCE**

- R.11.1** Students are expected to have 100% attendance in a course. However, students with minimum 85% in each course, either theory/practice, will only be allowed to appear in the end semester examinations. Students failing to meet the minimum attendance percentage will have to repeat the course when it is offered next.
- R.11.2** Details of attendance shortage of students for each course/practice should be sent to the Dean (Academic) / Faculty in-charge (Academic) through the concerned Head of the Department.

**R.12.0 LEAVERULES**

- R.12.1** All M.Tech students should apply to the Head of the Department for leave, stating the reasons whenever they are not in a position to attend classes/project work. They will not be eligible for HTTA for the period of absence, if it is unauthorised leave even if they have not fully utilised the eligible leave.
- R.12.2** Students are eligible for leave of 30 days in a year which will be regularised @15 days per semester with a provision of carryover from first to second semester and from the third to fourth semester (i.e. unutilized leave from the first year cannot be carried over to second year).

The intervening holidays will be treated as part of leave with provision of suffixing and prefixing holidays.

**R.13.0 ASSESSMENT PROCEDURE: TESTS AND EXAMINATIONS**

- R.13.1** For Lecture or / Lecture and Tutorial based subjects, a minimum of two sessional assessments will be made during the semester. The sessional assessment may be in the form of periodical tests, assignments or a combination of both, whichever suits the subject best. The assessment details as decided at the Class Committee will be announced to the students right at the beginning of the semester by the teacher.

**R.14.0 END SEMESTER EXAMINATION**

- R.14.1** There will be one end semester examination of 3 hours duration in each lecture based subject. In case of practice based subjects, a final examination may or may not be conducted. In the case of project, a viva-voce examination will be conducted on the completion of the project work.

**R.15.0 PROJECTE VALUATION**

- R.15.1** Evaluation of Project work will be taken up only after the student completes all the core as well as elective course requirements satisfactorily.

**R.16.0 WEIGHTAGE**

- R.16.1** The following will be the weightages for different subjects.
- a. Lecture or lecture and tutorial based subjects:  
Sessional assessment : Minimum of 40%  
End semester examination : Minimum of 40%
  - b. Practice based subjects:  
Sessional work: 75 to 100%  
Final examination: , if held : 25%
- R.16.2** The markings for all tests/ tutorial/ assignments (if any), practice work and examinations will be on an absolute basis. The final percentages of marks are calculated in each subject as per the stipulated weightages.

**R.17.0 Make-up Examination**

- R.17.1** Students who have missed sessional assessments on valid reasons should apply to the Academic section indicating the reasons for the absence and the Faculty Advisor shall consider these requests suitably.

- R.17.2** Students who have missed the end semester examinations on valid reasons, should make an application to the Dean (Academic) /Faculty In-charge(Academic) within ten days from the date of the examination missed. Permission to sit for a make-up examination in the subject(s) is given under exceptional circumstances like hospitalisation or accident to the student. A student who misses this make-up examination will not be normally given another make-up examination.

However, in exceptional cases of illness resulting in the students missing a make-up examination, the Dean (Academic) / Faculty In-charge(Academic) in consultation with the Chairman of the Senate may permit the student to appear for a second make-up examination.

- R.17.3** For application on medical grounds, students residing in the hostels should produce a Medical Certificate issued by an Institute Medical Officer only.

Students staying outside the campus permanently/temporarily should produce a medical certificates from registered medical practitioners and the same should be forwarded by the parents/guardian for the purpose of make-up examinations.

The Dean (Academic)/ Faculty in-charge(academic) can use his discretion in giving permission to a student to take a make-up examination, recording the reasons for his/her decision.

**R.18.0** *Subject wise Grading of Students into Categories*

- R.18.1** Letter Grades

Each student is awarded a final letter grade at the end of the semester in each subject based on his/her semester performance at the end of the semester. The letter grades and the corresponding grade points are as follows.

Grade	Points
S10	Grade points
A	9
B	8
C	7
D	6
E	4
U	0 Unqualified/Failure
W	0 Failure due to insufficient attendance in course e I
P, H	Passed / completed
F, L	Failed / incomplete

- R.18.2** A student is considered to have completed a subject successfully and earned the credit if he/she secures an overall letter grade other than U or W or I in that subject.

A letter grade U or W in any subject implies failure in that subject. A subject successfully completed cannot be repeated.

- R.18.3** Grades are awarded on relative basis.

**R.19.0** *Method of Awarding Letter Grades*

- R.19.1** A final meeting of the Class Committee without the student members will be convened within seven days after the last day of the end semester examination.

The letter grades to be awarded to the students for different subjects will be finalised at this meeting.

- R.19.2** Two copies of the result sheets for each subject containing the final grade and two copies along with absolute marks and final grade should be submitted by the teacher to the concerned Faculty Advisor for further processing.

After finalisation of the grades at the Class Committee Meeting, one copy with absolute marks and one without the absolute marks but having only the grades will be forwarded by the Class Committee Chairman to the Dean (Academic)/Faculty In-charge(Academic).

One copy with absolute marks, the final grade will be sent to the Head of the Department in which the course is offered.

#### **R.20.0 DECLARATION OF RESULTS**

- R.20.1** The letter grades awarded to the students in each subject will be announced in the Institute web site soon after the final Class Committee meeting.
- R.20.2** **The W grade once awarded stays in the record of the student and is deleted when he/she completes that subject successfully later.** The grade acquired by him/her will be indicated in the grade card of the appropriate semester with an indication of number of attempts made in that course.
- R.20.3** **‘U’ grade obtained by the student will be deleted in the grade card when he/she completes that subject successfully later. Further, the number of attempts made by the student in that course, will be indicated in the grade card.**

#### **R.21.0 RE-EXAMINATION OF ANSWER PAPERS**

- R.21.1** As a process of learning by students and also to ensure transparency, the answer scripts after correction of class tests, minor (s), assignments etc., will be shown to the students within two weeks from the date of test/examination. The performance of the students in minors will be discussed in the Class Review Committee.
- R.21.2** In order to ensure transparency in the evaluation of scripts of end-semester examination, those answer scripts also shall be shown to the students up to one day before the finalization of grades. Once the Grades are finalized, the student will no longer have any right to verify his/her answer scripts.
- R.21.3** The student can appeal to DAAC for any arbitration within 20 days from the date of official publication of results in the Institute Website.
- R.21.4** Disposal of Answer Scripts

Answer scripts related to a course shall be preserved by the faculty for a period of 6 months from the date of announcement of results. After this period, the same shall be disposed of as scrap by the institute.

#### **R.22.0 COURSE RE-PETITION**

- R.22.1** A student securing ‘U’ or ‘W’ grade in any core subject has to repeat it compulsorily when offered next.
- R.22.2** A student securing ‘U’ or ‘W’ grade in any elective subject has to repeat the course when offered next or he/she can register another equivalent elective course in order to get a successful grade.

#### **R.23.0 GRADE CARD**

- R.23.1** The grade card issued at the end of the semester to each student will contain the following:
- the credits for each course registered for that semester.
  - the letter grade obtained in each course
  - the total number of credits earned by the student upto the end of that semester.
  - the semester grade point average (SGPA) of all the courses taken in that semester.
  - the Cumulative Grade Point Average (CGPA) of all the courses taken from the first semester till the current semester is shown in the final semester grade card.



**R.23.2** The Grade Point Average (GPA) will be calculated by the formula.

$$GPA = \frac{\sum_i (C_i \times GP)}{\sum_i C_i}$$

Where  $C_i$  = credit for the course, GP = the grade point obtained for the course and  $\sum C$  is sum of credits of the courses that are successfully completed in that semester.

For the cumulative Grade Point Average (CGPA), a similar formula is used except that the  $\sum C_i$  is the sum of credits in all the courses taken in all the semesters completed upto the point of time, including those in which the student has secured U or W grades.

**R. 23.3.** No class/division/rank will be awarded to the students at the end of the M.Tech programme. The formula for conversion of CGPA to percentage is  $CGPA \times 10$ .

#### **R.24.0 PROJECT WORK IN INDUSTRY OR OTHER ORGANISATION**

**R.24.1** Students who desire to do their project work in industries/R&D organizations, may be permitted to carry out their project work in such organisations during the third/final semester.

**R.24.2** A departmental committee shall examine the requests from such students, and fix:

- i. An internal guide (a faculty member of the institute) along with an area of project work and
- ii. External guide (Scientists or Engineer in the Industry).

**R.24.3** The above details should be submitted to the Dean (Academic)/ Faculty In-charge (Academic) through the Head of the Department for further processing.

**R.24.4** The students who are permitted to do the project work in an industry will have to pay the tuition and other fees to the Institute for the third and fourth semester as well.

**R.24.5** Students who do their project work in Industry/R&D Organizations, are permitted to draw stipend only from one source.

#### **R.25.0 HALF-TIME TEACHING ASSISTANTSHIP**

**R.25.1** Students who are qualified for M.Tech admission through valid GATE score and are admitted as full time students of the Institute, will be eligible for the award of the HTTA notified by the Institute from time to time.

**R.25.2** Self-financing foreign nationals are not eligible for HTTA.

#### **R.26.0 ELIGIBILITY FOR THE AWARD OF M.TECH DEGREE**

**R.26.1** A student shall be declared to be eligible for the award of M.Tech degree if he/she has

- (1) Registered and successfully completed all the core courses and the project.
- (2) Successfully acquired the minimum number of credits prescribed in the curriculum of the given stream within the stipulated time.
- (3) No dues to the Institute, Library and Hostels and
- (4) No disciplinary action pending against him/her.
- (5) For students visiting Universities abroad under Exchange programme the following will be followed for credit transfer:

The credits / grades obtained from the university where the student has done courses will be indicated in the grade card.

Institute transcripts should only indicate the courses, credits and grades completed at IITDM and the courses and credits (without grades) done in other Universities in a particular semester.

The CGPA calculation based on credits done at Institute alone is to be considered for award of prizes.

The credits earned at Universities abroad will be considered for calculation of minimum required credits for award of degree

**R.26.2** The final award of the Degree must be recommended by the Senate and approved by the Board of Governors of the Institute.

**R.27.0 POWER TO MODIFY**

Notwithstanding all that has been stated above, the Senate has the right to modify any of the regulations from time to time.

**ORDINANCES AND REGULATIONS**

**Doctor of Philosophy Programme (Full time)**

**ORDINANCES**

- 1 A candidate who has qualified for the award of Master's degree in Engineering/Technology or Master of Science of a recognized Institute or University in the discipline as prescribed in the regulations of the Institute, is eligible to apply for the Ph.D. programme in Engineering/Technology or Science respectively of this Institute.
- 2 A candidate who has qualified for the award of Bachelor's Degree in Engineering/Technology with exceptionally good academic background in the discipline as prescribed in the regulations of the Institute is also eligible to apply for Ph.D programme in Engineering/Technology of this Institute.
- 3 The award of the Ph.D degree shall be in accordance with the regulations of the Institute.

**REGULATIONS**

**R.1 Categories of Admission**

Candidates will be admitted to the Ph.D programme of the Institute under any one of the following categories:

- i. Regular full-time scholars with or without Institute fellowship or with project support.
- ii. Research Scholars who are staff members of the Institute.

**R.2 Eligibility**

**R.2.1 Minimum Educational Qualifications**

The minimum educational qualifications for admission to the regular full time scholars into Ph.D programme of the Institute are as follows:

**R.2.1.1 Ph. D. in Engineering**

- i. Candidates with a M. Tech/M.S. (Research) degree in Engineering/Technology with a good academic record.
- ii. Candidates who have qualified for the award of Bachelor's degree in Engineering/Technology with exceptionally good academic record in an eligible discipline will be considered for direct admission to Ph. D. Programme as a regular full time scholar subject to the following conditions:
  - A B. Tech degree holder of an IIT with a minimum CGPA of 8.0 on a 10.0-point scale or with a valid GATE score.
  - A Bachelor's degree holder in Engineering/Technology from any other University who is among the top 10 rank holders in the University and having a valid GATE score.
  - A Bachelor's degree holder in Engineering/Technology from a reputed R&D organization and having a proven research record.

**R 2.1.2 Ph.D. In Sciences**

Master's degree in Sciences with a good academic record and having a valid score in GATE or UGC/CSIR-NET/NBHM or equivalent qualification in the relevant area / Master's degree in Engineering/Technology with a good academic record / B. Tech degree holder of an IIT with a minimum of CGPA of 8.0 on a 10.0-point scale with a valid GATE Score.

The Selection Committee may consider meritorious candidates from disciplines other than listed in the Admission notification if there is a good match between the educational/research background of the candidate and the proposed area of research.

The admission notification will also include details about inter-disciplinary research areas, which may be pursued by the research scholars for the Ph. D degree and the corresponding disciplines/specializations given by the Institute.

Additional criteria other than the minimum educational qualifications given in R.2.1 may be set by the Selection Committee from time to time for short listing candidates to be called for test and/or interview.

**R.2.2 Upgradation of registration from M.S/M.Tech to Ph.D programme**

Meritorious candidates who have registered for M.S/M.Tech programmes in the Institute are eligible to upgrade their registration to the Ph. D programme in the same department if they satisfy the following criteria:

- (a) The candidate should have successfully completed Two (2) semesters in the M.S/M.Tech programme.
- (b) Minimum CGPA of 8.0 in the prescribed courses.

In the case of an M.S. student, the General Test Committee of the M.S. student will consider the application for up-gradation to Ph.D. under the supervision of the same guide(s) and make its recommendation to the Senate. If approved, a Doctoral Committee as per R.9 will be constituted to replace the General Test Committee.

In the case of a M.Tech Student, a Committee duly constituted by the Director/Deputy Director will consider the application for up-gradation to Ph.D and make its recommendation to the Senate. If approved, a Doctoral Committee as per R.9 will be constituted and guide(s) as per R.6 will be allotted.

The candidate should pass the comprehensive examination (R. 12A) within a semester after up-gradation to the Ph.D. programme and within two attempts.

The candidate will be treated on par with one admitted directly after a Bachelor's degree, but the residency period and course work completed under the M.S/M.Tech. registration as decided by the Doctoral Committee will be taken into account to the Ph.D programme.

**R.3 International Students**

Foreign nationals can only register as regular full-time scholars. Foreign nationals with degree from Indian Universities will be treated on par with Indian nationals for admission purposes. Foreign nationals with foreign degrees must meet the minimum educational requirements as given in R. 2. 1 equivalent to a Indian Master's degree in the relevant disciplines. In addition, they should have a valid GRE/GMAT/GATE/NET/ICAT/JMET/ TOEFL score or an equivalent examination score in the relevant discipline. International students are expected to have a working knowledge of English. Once admitted, the institute will apply for necessary clearance from the Government of India for study in India.

**R.4 Selection Procedure**

Eligible candidates possessing the minimum educational qualifications and satisfying additional criteria set by the Director/Dy. Director from time to time, will be called for a test and/or interview, by the Selection Committee.

For candidates who have obtained PG degree 10 years earlier as on the last date prescribed for receipt of the completed application, a test may be conducted.

The applications of foreign nationals may be considered without a personal interview/test.

Based on the academic record and the performance of the candidates in the interview and /or test, the Selection Committee will recommend to the Chairman, Senate, the names of Candidates found suitable for admission to the Ph.D. Programme.

**R.5 Admission**

- (a) Candidates whose selection is approved by the Chairman, Senate, will be admitted to the Ph. D. programme after payment of prescribed fees.
- (b) Under normal circumstances, a candidate is not eligible for re-registration for Ph. D. after cancellation of his / her earlier registration for any reason. Based on the merits of the individual case and taking into consideration any special circumstances, a candidate may be considered for re- registration.

**R.6 Choice of guide(s)**

- (a) Allotment of research scholars to guide(s) will be made by the Director taking into consideration the preferences given by the research scholars and guides.
- (b) There shall be not more than two guides from the institute for a research scholar.

**R.7 Eligibility for being Guides**

The following members may be considered as a guide for a Ph. D scholar:

- All faculty members of the Institute.
- Scientific/Design staff of the Institute with a doctoral degree.
- Adjunct /Retired/Emeritus faculty with a doctoral degree

(a) When a faculty member, who has guided a candidate for at least 3 years, retires, he will continue to be a guide. However, a co-guide who is in service will be appointed in addition. The guide who has retired will be invited for the Doctoral Committee meetings, synopsis presentation and the viva voce examination.

(b) A faculty member who is to retire within 3 years may be permitted to become a guide to a new scholar with another faculty member, who is not likely to retire within 5 years as co- guide, at the time of registration itself. On retirement, the faculty member will continue to be a guide and will be invited to the Doctoral committee meeting and viva voce examination.

(c) CSIR and other Emeritus Fellows / Scientists I Emeritus Professors, who hold office at this Institute for a period of 2 years or more, can become co-guides for scholars along with a guide from IITDM, with at least 5 years' service still left at the time of registration of the scholar.

(d) In case a faculty member who is a guide goes on leave exceeding one year duration, another faculty member will be identified to become a co-guide of the research scholar.

(e) The induction of new guide after 3 years of registration of a research scholar will be considered by the Doctoral committee.

**R.8 Change/Addition of guide**

The Doctoral Committee of a research scholar may recommend change of guide or appointment of a co-guide for valid reasons.

**R.9 Doctoral Committee**

For a research scholar, his/her guide will communicate, by duly filling the prescribed form, to the Head of the Institution or his nominee, the area of research, the name(s) of guide(s) and faculty members together with their specializations, for constituting Doctoral Committee of that research scholar. This should be completed within 2 weeks from the date of joining of a research scholar.

2. The following is the composition of the Doctoral Committee:

1.	Head of the Institute or his nominee	Chairman
2.	Research Guide(s)	Member(s)
3.	A minimum of two faculty members from Department/Institute	Member(s)
4.	One faculty member from the other reputed Institute	Member

In case any member goes on leave exceeding one year duration, or resigns from the Institute, the Chairman, Senate, or his nominee will nominate another member on the suggestion of the Chairman, Doctoral committee. Scientific/Design staff and others who are eligible to guide Ph.D. scholars may be nominated as members of the Doctoral Committee.

#### R.10 Registration

- The Doctoral Committee will meet normally within one week of being constituted, where the research scholar will make a presentation. The Doctoral Committee will fix/ approve the date of registration for the Ph. D. programme, consider the proposed research topic and prescribe/approve the courses of study in this meeting.
- Research scholars who are engaged in a project supported by an external agency may be given a back date up to six months from the date of admission, subject to reasons given by the Doctoral Committee. Based on the recommendation of the Doctoral Committee, the Senate may give a further six months retrospectively.

#### R.11. Course Work

The Doctoral Committee will normally prescribe courses of 12 credits. The prescribed courses shall be post-graduate level courses of the Institute or from courses offered in another reputed Institutes, if need arises.

- Research scholars in the Engineering shall complete the prescribed courses with minimum of 12 credits. In cases where the scholar is directly admitted to the Ph.D programme in Engineering with a Bachelor's degree in Engineering/Technology, the scholar should successfully complete prescribed courses with minimum 24 credits.
- Research scholars in the Sciences shall complete the prescribed courses with minimum of 16 credits. In cases where the scholar is directly admitted to the Ph.D programme in Sciences with a Bachelor's degree in Engineering/Technology, the scholar should successfully complete prescribed courses with minimum 24 credits.
- In case of upgradation of the registration of a candidate from M.S/Ph.D programme, the courses already successfully completed by the candidate in M.S/M.Tech programme may be considered by the Doctoral Committee for course work requirement. The Doctoral Committee may prescribe additional courses for a candidate, wherever found necessary.
- The Doctoral Committee may give credit to courses already undergone by a research scholar in this Institute or other Institutions, provided they are the same or equivalent to those prescribed, and the performance level of the scholar in them meets the minimum requirements. The Doctoral Committee may prescribe additional courses for research scholars wherever found necessary.

#### e. Grades

Based on the performance of the research scholar, he/she is awarded a final grade at the end of the semester in each course. The grades and the corresponding grade points are as follows:

Grade	Points
S	10
A	9
B	8
C	7

## D 6

Research scholars shall obtain a minimum CGPA of 7.5 in the courses taken by them subject to a minimum of "C" grade in the prescribed courses. If more than the minimum required electives have been taken, only the electives with the best performance will be considered for computing the CGPA.

A student is considered to have completed a subject successfully and earned the credits if he/she secures a grade other than D. Once a subject successfully completed, it cannot be repeated.

The GPA will be calculated according to the formula

$$\text{GPA} = \Sigma(C \times \text{GP}) \div \Sigma C$$

Where C is the credit for the course and GP is the grade point obtained for the successfully completed course and  $\Sigma C$  is sum of credits of the courses that are successfully completed in that semester.

**R.12. Progress Report**

a. A research scholar shall submit a written report in the required format, annually for the first three years, and every six months thereafter.

The report should be routed through the Doctoral Committee to the Academic section for further processing.

b. The progress made by a research scholar shall be reviewed by the Doctoral Committee every semester.

Continuance of registration and award/continuance of scholarship/Research Assistantship will be based on the recommendation of the Doctoral Committee. Inadequacy of effort/progress can be a reason for cancellation of registration.

**R.12a. Comprehensive Examination**

(a) Every research scholar shall take and perform satisfactorily in a Comprehensive Examination. The comprehensive Examination shall be conducted by a Comprehensive Examination Committee, consisting of the supervisor and at least two other faculty members of the Institute nominated by the Chairman of Doctoral Committee.

- i. If the performance of a research scholar in the Comprehensive Examination in the first attempt is not satisfactory, he / she will be given one more opportunity to appear for the comprehensive examination within six months of the first attempt.
- ii. The registration of a research scholar who fails to complete successfully the Comprehensive Examination in two attempts, will be cancelled.
- iii. The objective of the Comprehensive Examination is to test the general capability of the research scholar and the breadth of his / her field of research. The Comprehensive Examination will usually consist of a written test and/or oral examination.
- iv. The Comprehensive Examination Committee shall intimate to the research scholar sufficiently in advance the scope of the Comprehensive Examination, to enable the scholar to prepare adequately for it.

(b) The research scholars are normally expected to complete successfully the Comprehensive Examination within a year after his/her registration in the Ph. D programme and in any case not later than three semesters after his registration in the Ph.D programme.

**R.13 Enrolment**

Every research scholar is required to register in person each semester on the stipulated date till the submission of his/her thesis, after payment of the requisite fees.

**R.14 Minimum Period for submission of Thesis**

(a) The minimum period for regular full time research scholars from the date of registration to the date of submission of Ph.D thesis shall be 24 months for research scholars with Master's Degree in Engineering/Technology and 36 months for research scholars:

- (i) Directly admitted to the Ph.D programme with Batchelor's Degree in Engineering/Technology
- (ii) Who upgrade from M.S/M.Tech programme to Ph.D programme
- (iii) With Master's degree in Science.

(b) A regular full-time research scholar has a minimum period of 24 months for study and research from the date of registration for PhD courses in science, humanities and social sciences and management and has to submit thesis within that.

(c) Discontinuation of course for a semester or longer may be permitted for a period of semester or longer due to unwell or other valid reasons, duly recommended by the Doctoral Committee.

#### **R.15 Relief from Ph.D. Programme to take up Job**

Ph.D. Scholars who got a job offer can get relief from the programme, while keeping their registration alive on payment of the requisite fees every semester, on the following conditions:

Scholars who take up jobs will be relieved on their request, based on the recommendations of Doctoral Committee, if they have completed their

- a) Minimum residential requirement
- b) Course work
- c) Comprehensive examination.
- d) Completion of substantial research work as assessed by the Doctoral committee

The renewal of their registration for every semester, however, will be considered only if the Doctoral Committee finds his/her progress to be satisfactory and recommends continuance of registration.

#### **R.16 Maximum Duration of programme**

Research Scholars should submit the thesis within 5 years from the date of registration. The Doctoral Committee may extend the period for submission of the thesis further 2 years for regular full time research scholars.

#### **R.17 Withdrawal from the programme**

A scholar may be permitted by the Head of the Institute to withdraw from the programme for a semester or longer for reasons of ill health or other valid grounds duly recommended by the Doctoral Committee. Normally a scholar will be permitted to discontinue from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

#### **R. 17a Cancellation of Registration**

- i. The registration of research scholar whose progress is not found to be satisfactory by the Doctoral Committee or who has not enrolled is liable to be cancelled.
- ii. The registration of a research scholar who has not submitted his/her thesis before the end of the maximum permissible period as in R. 16 will be cancelled

#### **R.18 Reversion of upgraded Ph.D Registration to Master's Programmes**

- a) A research scholar who updates his/her M. S. registration to Ph.D, may apply for reversion to the M.S. Programme under the supervision of the same guide(s) if he/she so desires and if he/she has completed three years after the date of original M. S registration.
- b) If a research scholar, who upgrades his/her M.S. registration to Ph. D, fails to pass the comprehensive examination in two attempts, he/she will be reverted to the M.S. Programme.

The Doctoral Committee will consider the application only if the scholar has completed all the course requirements prescribed originally by the General Test Committee when the scholar

registered for the M.S. programme and if the research work carried out till date is found suitable for submission as an M.S. thesis. If the application is found acceptable, the Doctoral Committee may recommend reversion of registration. If the reversion is approved by the Institute, the Doctoral Committee will continue to function as the General Test Committee till the completion of the scholar's M.S. programme.

The scholar must complete the requirements of the M.S. degree within a maximum period of one year from the date of reversion of the registration from Ph.D to M.S.

### **R.19 Synopsis**

a) On satisfactory completion of the prescribed courses, the comprehensive examination and the research work, the scholar shall submit the requisite number of copies of the synopsis of his/her research work in the required format through proper channel to the Academic Section for further processing. Prior to submission of the synopsis, the scholar is required to give at least two seminars on the topic of his/her research and have at least one paper either published or accepted for publication as stated in R 19(b).

b) The research scholar shall present the synopsis before the Doctoral Committee. The Doctoral committee will, if it considers the work to be adequate and satisfactory (at least two research papers published/accepted for publication in SCI/e-SCI journals), permit the research scholar to submit the thesis and recommend a panel of at least ten examiners from outside the Institute (5 from abroad and 5 from reputed Institutions/R&D Organizations in India).

### **R.20 Submission of Thesis**

The research scholar shall, within one month of acceptance of the Synopsis, submit required number of copies of the thesis as stipulated.

The Doctoral Committee may grant additional time beyond one month on request from the scholar for valid reasons.

### **R.21 Panel of Examiners**

The thesis shall be referred to two examiners chosen by the Chairman, Senate or his/her Nominee, from among the panel of examiners recommended by the Doctoral Committee, for evaluation.

### **R.22 Thesis Adjudication**

a. The examiner is expected to send the report on the thesis within two months from the date of receipt of the thesis.

b. In case of undue delay in receiving the thesis report, the Chairman, Senate or his/her nominee shall appoint another examiner in his/her place for evaluating the thesis.

c. If one of the two examiners declares the thesis as not recommended, the thesis shall be referred to a third examiner from the panel for evaluation.

d. If an examiner suggests resubmission of the thesis, after revision, the research scholar will be allowed to resubmit the theses within the time stipulated by the Doctoral Committee, failing which the revised thesis will not be accepted and his/her registration will be cancelled.

e. If two examiners, after referral to a third examiner, if necessary, report the thesis as not recommended, the registration of the scholar shall stand cancelled.

f. If reports of two examiners after referral to a third examiner, if necessary, declare the thesis as recommended, the Doctoral Committee will consider the reports and recommend for conduct of viva voce which will be conducted normally not earlier than two weeks from the date of the constitution of the viva voce board. The Doctoral Committee will suggest a panel of at least four expert members out of which one member will be nominated for the viva voce board.

In all other cases, not covered by the above Regulations, the matter will be referred to the Doctoral Committee for consideration.



**R.23 Viva Voce Examination**

a) The following is the composition of the viva voce Board:

1)	Head of the Institute or his/her nominee	Chairman
2)	The examiner of the thesis from within the country, or a specialist in the subject nominated by the Chairman, Senate or his/her nominee from the panel of examiners Approved by the Doctoral Committee.	Member
3)	Research Guide(s)	Member(s)
4)	A Specialist either from the Institute or outside from the panel approved by the Doctoral Committee and nominated by the Chairman, Senate, or his /her nominee	Member

b) The Doctoral Committee members of the Research Scholar concerned will be invitee to the viva voce.

c) The viva voce board will examine the scholar on his/her thesis work and evaluate his/her performance as satisfactory or otherwise. The viva voce board will ensure that the scholar answers satisfactorily the questions raised by the thesis examiner(s).

d) If the viva voce board declares the performance of the research scholar not satisfactory, he/she may be asked to reappear for viva voce at a later date (not earlier than a month and not later than six months from the date of the first viva voce). On the second occasion, the viva voce board will also include the members of the Doctoral Committee.

e) If the viva voce board on the second occasion also declares the performance of the research scholar not satisfactory, the matter will be referred to Senate for a decision.

f) The viva voce board may also recommend revision to be made in the final version of the thesis after taking into consideration suggestions of the examiners who evaluated the thesis and the discussion at the viva voce. The Chairman of the viva voce board shall forward the thesis to the academic section certifying that the revisions recommended by the viva voce board, if any, have been incorporated in the copy of the thesis along with the report of the viva voce board.

g) All the research scholars shall submit two copies of the final form of thesis in A4 size and an electronic version in PDF format after the viva voce board recommends the award of the Ph.D degree.

**R.24 Award of Ph.D Degree**

If the performance of the research scholar in the viva voce is satisfactory, he/she will be awarded Ph.D. degree on the recommendation of the Senate and with the approval of the Board of Governors of the Institute.

**R.25 Discipline**

Every scholar is required to observe disciplined and decorous behavior both inside and outside the campus and should not indulge in any activity, which will tend to bring down the prestige of the Institute.

Any act of indiscipline of a scholar reported to the Head of the Institute will be referred to a Discipline and Welfare Committee nominated by the Senate from time to time.

The committee will investigate the charges and will recommend suitable punishment, if it finds the charges substantiated.

The recommendation of the Committee will be considered by the Head of the Institute to take appropriate action.

Head of the Institute will report the action taken at the next meeting of the Senate.

**R.26 Power to Modify**

Notwithstanding all that has been stated above, the Senate has the right to modify any of the above regulations from time to time.

**Part-Time Ph.D. PROGRAMME****RULES AND REGULATIONS**

Ph.D. programme in various departments of the institute is extended to professionals employed in the industry/Educational Institutions, to pursue Ph.D. as part-time research scholars in the engineering and science departments of the institute.

Research Scholars doing Ph.D. in Part-time mode are not eligible for Institute Scholarship/Fellowship or any financial support from the institute.

**RP 1.1 : Eligibility criteria:**

An applicant must satisfy the minimum eligibility criteria, mentioned under (a), (b) and (c) of this section, to consider his/her application for Part-time Ph.D. programme of the institute and any additional requirements specific to the departments will be published in website along with advertisement from time to time with the approval from the Competent Authority.

**(a) Educational Qualifications:**

Master's/M.S. (by Research) degree in the appropriate branch of study with minimum 60% aggregate marks or CGPA  $\geq 6.5$  (out of 10) in UG and PG.

Relaxation in educational qualifications: For engineering departments, candidates with B.Tech./B.E. degree, may also be considered if the candidates have at least 6 years of experience with proven track record of research experience.

**(b) Relevant Experience**

Permanent employees who can submit No Objection Certificate from their employer and are working in the cadre equivalent to Scientist-C/Assistant Professor/Lecturer in Government R&D laboratories/Government organizations/Government industry/ PSUs/State Undertakings having at least three years of experience are eligible.

OR

Permanent/Regular Employees from Private Industries/Education Institutions with R & D facilities having at least three years of experience are eligible.

**(c) Organizational Qualifications:**

(i) Government R&D laboratories/Government Educational Institutions/ Government organizations/Government industry/PSUs/State Undertakings.

(ii) Private Organization/Industry/Educational Institutions, to which the applicant belongs to, must be of at least 3 years standing (i.e., established at least five years before the last date of applying for Ph.D. (Part-time) admission as per the advertisement) with membership in CII/ASSOCHEM or any other equivalent membership.

**RP 1.2: Selection Procedure**

Eligible candidates possessing the minimum educational qualifications and satisfying additional criteria set announced by the Competent Authority from time to time only will be called for an interview to be conducted by the Selection Committee(s).

**RP 1.3: Admission**

- (a) Candidates whose selection is approved by the Chairman, Senate, will be admitted to the Ph. D. programme after payment of prescribed fees.

**RP 1.4: Choice of Guide**

- (a) Allotment of guide to research scholars will be done by the Competent Authority taking into consideration (i) the preferences given by the research scholars and guides, (ii) number of

research scholars with the guide and (iii) area of research.

- (b) Scholar may have Co-Supervisor from his/her parent organization with recommendation of Doctoral Committee.
- (c) There shall be not more than two guides from the institute for a research scholar.

### **RP 1.5: Change/Addition of Guide**

The Doctoral Committee of a research scholar may recommend change of guide or appointment of a co-guide for valid reasons.

### **RP 2.1 Doctoral Committee**

For a research scholar, his/her guide will communicate, by duly filling the prescribed form, to the Head of the Institution or his nominee, the area of research, the name(s) of guide(s) and faculty members together with their specializations, for constituting Doctoral Committee of that research scholar. This should be completed within 2 weeks from the date of joining of a research scholar.

The following is the composition of the Doctoral Committee:

1.	Head of the Institute or his nominee	Chairman
2.	Research Guide(s) (One Member from the department and another member from the parent organization)	Member(s)
3.	A minimum of two faculty members from Department/Institute	Member
4.	One faculty member from the other reputed Institute	Member

In case any member goes on leave exceeding one year duration, or resigns from the Institute, the Chairman, Senate, or his nominee will nominate another member on the suggestion of the Chairman, Doctoral committee. Scientific/Design staff and others who are eligible to guide Ph.D. scholars may be nominated as members of the Doctoral Committee.

### **RP 2.2 Registration**

The Doctoral Committee will meet normally within one week of being constituted, where the research scholar will make a presentation. The Doctoral Committee will fix/ approve the date of registration for the Ph. D. programme, consider the proposed research topic and prescribe/approve the courses of study in this meeting.

### **RP 3.1: Course Work**

The Doctoral Committee will normally prescribe two core courses and at least four electives. The prescribed courses shall be post-graduate level courses of the Institute or from courses offered in another reputed Institutes, if need arises.

- a. Research scholars in the Engineering shall complete the prescribed courses with minimum of 12 credits. In cases where the scholar is directly admitted to the Ph.D programme in Engineering with a Bachelor's degree in Engineering/Technology, the scholar should successfully complete prescribed courses with minimum 24 credits.
- b. Research scholars in the Sciences shall complete the prescribed courses with minimum of 16 credits. In cases where the scholar is directly admitted to the Ph.D programme in Sciences with a Bachelor's degree in Engineering/Technology, the scholar should successfully complete prescribed courses with minimum 24 credits.
- c. The Doctoral Committee may prescribe additional courses for research scholars wherever found necessary.
- d. Every research scholar shall complete also Research methodology or related soft skill course with zero credits.
- e. Grades

Based on the performance of the research scholar, he/she is awarded a final grade at the end of the semester in each course. The grades and the corresponding grade points are as

follows:

Grade	Points
S	10
A	9
B	8
C	7
D	6

Research scholars shall obtain a minimum CGPA of 7.5 in the courses taken by them subject to a minimum of "C" grade in the prescribed courses. If more than the minimum required electives have been taken, only the electives with the best performance will be considered for computing the CGPA.

A student is considered to have completed a subject successfully and earned the credits if he/she secures a grade other than D. Once a subject successfully completed, it cannot be repeated.

The GPA will be calculated according to the formula

$$\text{GPA} = \Sigma(C \times GP) \div \Sigma C$$

Where C is the credit for the course and GP is the grade point obtained for the successfully completed course and  $\Sigma C$  is sum of credits of the courses that are successfully completed in that semester

### RP 3.2 Progress Report

- A registered research scholar shall submit a report in the required format every six months. The report should be routed through the Doctoral committee to the Academic section for further processing.
- The progress made by a research scholar shall be reviewed by the Doctoral Committee every semester. Continuation of registration and award/continuation of scholarship/ Research Assistantship will be based on the recommendation of the Doctoral Committee. Inadequacy of effort/progress can be a reason for cancellation of registration.
- All part-time research scholars are required to enroll in person each semester on the stipulated date till their submission of thesis after payment of the requisite fees.

### RP 3.4 Residential Requirement

- For part-time candidates having R&D facilities, the residential requirement may be reduced to at least one semester if he is under self-study, or at least two semesters out of which one semester at a stretch, if he/she is registered for the course work.
- For part-time candidates with at least 10 years of research experience in R&D Organizations, with the special permission of the Doctoral Committee and approval of the Chairman, Senate, the residential requirement may be waived-off completely. Nevertheless, it is mandatory for such candidates also to complete the course work for the prescribed number of credits on self-study mode, by submitting assignments and giving tests/examinations etc., as prescribed for any regular course at IIITDM-Kurnool. However, at least one seminar per semester before Doctoral Committee is mandatory to review his/her progress.
- For all part-time candidates, mandatory residential requirement of one semester at a stretch is applicable, if he/she is registered for the course work or with a break of maximum three times (i.e., two months each time) if he/she is registering the course work under self-study.
- Registration of a candidate for the Ph.D degree shall be effective, normally, from the date of joining and shall remain valid for a period of eight years before the expiry of which he/she will be required to submit the thesis. In the event of a candidate failing to submit his/her thesis within the period, his/ her registration shall lapse automatically.
- Under normal circumstances, a Candidate is not eligible for re-registration for Ph. D. after cancellation of his / her earlier registration for any reason. Based on the merits of the individual case

and taking into consideration any special circumstances, a candidate may be considered for re-registration.

- (f) If a candidate requires a pause during Ph.D due to his professional or personal reasons, he/she will be allowed after the approval of recommendations of Doctoral Committee by the Director. In any circumstances, maximum period for break will be one year.

### **RP 3.5: Comprehensive viva-voce Examination**

- a. Every research scholar shall take and perform satisfactorily in a Comprehensive Examination. The comprehensive Examination shall be conducted by a Comprehensive Examination Committee, consisting of the supervisor and at least two other faculty members of the Institute nominated by the Chairman of Doctoral Committee.
  - i. If the performance of a research scholar in the Comprehensive Examination in the first attempt is not satisfactory, he / she will be given one more opportunity to appear for the comprehensive examination within six months of the first attempt.
  - ii. The registration of a research scholar who fails to complete successfully the Comprehensive Examination in two attempts, will be cancelled.
  - iii. The objective of the Comprehensive Examination is to test the general capability of the research scholar and the breadth of his / her field of research. The Comprehensive Examination will usually consist of a written test and/or oral examination.
  - iv. The Comprehensive Examination Committee shall intimate to the research scholar sufficiently in advance the scope of the Comprehensive Examination, to enable the scholar to prepare adequately for it.
- b. The research scholars are normally expected to complete successfully the Comprehensive Examination within a year after his/her registration in the Ph. D programme and in any case not later than three semesters after his/her registration in the Ph.D programme.

### **RP 4.1 Maximum Duration of Programme**

Research Scholars should submit the thesis within 7 years from the date of registration. The Doctoral Committee may extend the period for submission of the thesis further 2 years for part-time research scholars. The minimum period for submission of thesis is 4 years after the registration of programme.

### **RP 4.2 Withdrawal from the programme**

A scholar may be permitted by the Head of the Institute to withdraw from the programme for a semester or longer for reasons of ill health or other valid grounds duly recommended by the Doctoral Committee. Normally a scholar will be permitted to discontinue from the programme only for a maximum continuous period of two semesters.

### **RP 4.3: Cancellation of Registration**

- a) The registration of research scholar whose progress is not found to be satisfactory by the Doctoral Committee or who has not enrolled is liable to be cancelled.
- b) The registration of a research scholar who has not submitted his/her thesis before the end of the maximum permissible period will be cancelled.

### **RP 5.1: Synopsis**

- a) On satisfactory completion of the prescribed courses, the comprehensive examination and the research work, the scholar shall submit the requisite number of copies of the synopsis of his/her research work in the required format through proper channel to the Academic Section for further processing. Prior to submission of the synopsis, the scholar is required to give at least two seminars on the topic of his/her research and have at least one paper either published or accepted for publication as in RP 5.1(b).
- b) The research scholar shall present the synopsis before the Doctoral Committee. The Doctoral committee will, if it considers the work to be adequate and satisfactory (at least two research papers published/accepted for publication in SCI/e-SCI journals), permit the research scholar to submit the thesis and recommend a panel of at least ten examiners from outside the Institute (5 from abroad and 5 from reputed Institutions/R&D Organizations in India).

**RP 5.2 Submission of thesis**

The research scholar shall, within one month of acceptance of the Synopsis, submit required number of copies of the thesis as stipulated. The Doctoral Committee may grant additional time beyond one month on request from the scholar for valid reasons. Minimum number of SCI paper required for thesis submission is 2.

**RP 5.3 Panel of Examiners**

The thesis shall be referred to two examiners chosen by the Chairman, Senate or his/her Nominee, from among the panel of examiners recommended by the Doctoral Committee, for evaluation.

**RP 5.4 Thesis Adjudication**

- a. The examiner is expected to send the report on the thesis within two months from the date of receipt of the thesis.
- b. In case of undue delay in receiving the thesis report, the Chairman, Senate or his/her nominee shall appoint another examiner in his/her place for evaluating the thesis.
- c. If one of the two examiners declares the thesis as not recommended, the thesis shall be referred to a third examiner from the panel for evaluation.
- d. If an examiner suggests resubmission of the thesis, after revision, the research scholar will be allowed to resubmit the theses within the time stipulated by the Doctoral Committee, failing which the revised thesis will not be accepted and his/her registration will be cancelled.
- e. If two examiners, after referral to a third examiner, if necessary, report the thesis as not recommended, the registration of the scholar shall stand cancelled.
- f. If reports of two examiners after referral to a third examiner, if necessary, declare the thesis as recommended, the Doctoral Committee will consider the reports and recommend for conduct of viva voce which will be conducted normally not earlier than two weeks from the date of the constitution of the viva voce board. The Doctoral Committee will suggest a panel of at least four expert members out of which one member will be nominated for the viva voce board.

In all other cases, not covered by the above Regulations, the matter will be referred to the Doctoral Committee for consideration.

**RP 5.5: Viva-Voce examination**

The following is the composition of the viva voce Board:

1)	Head of the Institute or his/her nominee	Chairman
2)	The examiner of the thesis from within the country, or a specialist in the subject nominated by the Chairman, Senate or his/her nominee from the panel of examiners Approved by the Doctoral Committee.	Member
3)	Research Guide(s)	Member(s)
4)	A Specialist either from the Institute or outside from the panel approved by the Doctoral Committee and nominated by the Chairman, Senate, or his /her nominee	Member

- a) The Doctoral Committee members of the Research Scholar concerned will be invitees to the viva voce.
- b) The viva voce board will examine the scholar on his/her thesis work and evaluate his/her performance as satisfactory or otherwise. The viva voce board will ensure that the scholar answers satisfactorily the questions raised by the thesis examiner(s).
- c) If the viva voce board declares the performance of the research scholar not satisfactory, he/she

may be asked to reappear for viva voce at a later date (not earlier than a month and not later than six months from the date of the first vivavoce). On the second occasion, the viva voce board will also include the members of the Doctoral Committee.

- d) If the viva voce board on the second occasion also declares the performance of the research scholar not satisfactory, the matter will be referred to Senate for a decision.
- e) The viva voce board may also recommend revision to be made in the final version of the thesis after taking into consideration suggestions of the examiners who evaluated the thesis and the discussion at the vivavoce. The Chairman of the viva voce board shall forward the thesis to the academic section certifying that the revisions recommended by the viva voce board, if any, have been incorporated in the copy of the thesis along with the report of the viva voce board.
- f) All the research scholars shall submit two copies of the final form of thesis in A4 size and an electronic version in PDF format after the viva voce board recommends the award of the Ph.D degree.

#### **RP 5.6: Award of Ph.D Degree**

If the performance of the research scholar in the viva voce is satisfactory, he/she will be awarded Ph.D. degree on the recommendation of the Senate and with the approval of the Board of Governors of the Institute.

#### **RP 5.7 Discipline**

Every scholar is required to observe disciplined and decorous behavior both inside and outside the campus and should not indulge in any activity, which will tend to bring down the prestige of the Institute.

Any act of indiscipline of a scholar reported to the Head of the Institute will be referred to a Discipline and Welfare Committee nominated by the Senate from time to time.

The committee will investigate the charges and will recommend suitable punishment, if it finds the charges substantiated.

The recommendation of the Committee will be considered by the Head of the Institute to take appropriate action.

Head of the Institute will report the action taken at the next meeting of the Senate.

#### **R. 5.8 Power to Modify**

Notwithstanding all that has been stated above, the Senate has the right to modify any of the above regulations from time to time.

[F. No. 79-2/2021–TS.I]

RAKESH RANJAN, Addl. Secy. (TE)